Consumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.PRAMOD KUMAR	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :	S/O.LATE SHRI JAI PRAKASH	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,BHAG-2 ,CANAL ROAD, DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Nov-2015
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	GENUS
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	016403
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	3363097

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-B3 / GABBAR SINGH BASTI	Pole :	UPCL-DP-F-B3-1-002

27.05.24

Back Close

Pramod Kumar

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 677 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री राहुल सोनकर पुत्र श्री राम किशन,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **90 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– पी0डब्ल्यू0डी0 कैनाल रोड़
3. उत्तर – प्रमोद
4. दक्षिण– राहुल सोनकर, हीरालाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

Consumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.ANUJ SONKAR	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :	S/O.SH RAM KISHAN	Billing Status :	Disconnected
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,KISHANPUR ,CANAL ROAD	Contracted Load	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Nov-2015
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number	[redacted]	Meter Make :	GENUS
Meter Type .	WC	CT Type.	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit .	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	016406
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1790885

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB-SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-002

Back Close

This connection is disconnected.

24.06.24

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड
अनारवाला राजपुर,
देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 678 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्द राम सिंह,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 98 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– कैनाल रोड
3. उत्तर – हीरालाल
4. दक्षिण– विश्वनाथ

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक** 11 / 03 / 2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30 / 05 / 2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

...nsumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.SATENDRA KUMAR	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :	S/O.SH NAND RAM SINGH	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,KISHANPUR ,CANAL ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Oct-2018
E-mail :		Total Security Deposit :	1367.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	23156
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	25639

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-C1 / CANAL ROAD-1	Pole :	UPCL-DP-F-C1-2-030

Back Close

28.05.24

सतेन्द्र कुमार

3142 Details

Consumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	SRI TIKA RAM	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :		Billing Status :	Dismantled
Address :	VIRGUBBER SINGH ,CANNAL ROAD RAJPUR ,DEHRADUN_NORTH	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[redacted]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	27-Jun-2005
E-mail :		Total Security Deposit :	0.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1348723

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB-SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-001

Back Close

28.05.24

उपखण्ड अधि... विद्युत वितरण... मनारवाला... देहरादून

सन-4 ...

पता भ.सं. : 0 [redacted]
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 28/1158

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
[redacted]

UK:10110711

निर्वाचक का नाम : सतेन्द्र कुमार
Elector's Name : Satendra Kumar
पिता का नाम : नन्द राम सिंह
Father's Name : Nand Ram Singh
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 28

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 679 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री सिद्ध गोपाल पुत्र श्री हलके,,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आयेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी **6–1** नदी रिस्पना रकबा **98 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– सिद्ध गोपाल
3. उत्तर – विजय
4. दक्षिण– रजत

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र /

IDENTITY CARD

M[redacted]

निर्वाचक का नाम : सिद्ध गोपाल

Elector's Name : Siddha Gopal

पिता का नाम : हलके

Father's Name : Halke

लिंग / Sex : पुरुष Male

1.1.2006 को आयु

Age as on 1.1.2006 : 46

पहचान पत्र संख्या :- [redacted]

पता

म.सं. : 51/ए

गली/मोहल्ला : केनालरोड

ग्राम/नगर : किशनपुर

थाना : राजपुर

जिला : देहरादून

Address

H.No. : 51/ A

Strt/Mohalla: Kenalarod

Vill/Town : Kishanpur

PoliceStn. : Rajpur

Distt. : Dehradun

Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून

Place : Dehradun

दिनांक

Date : 31-10-2006

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/872

3146

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 680 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 21 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– जय सिंह
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– विजय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

[redacted]

पता म.सं. : 0
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248009
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248009
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 30-Sep-2013 30/1121

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this [illegible] No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

UK/11/230346

निर्वाचक का नाम : दीपक कुमार
Elector's Name : Deepak Kumar
पिता का नाम : जय प्रकाश सिंह
Father's Name : Jai Prakash Singh
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2013 को आयु
Age as on 1.1.2013 : 28

दीपक कुमार

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 681/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह पत्र श्री भाव सिंह,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 85 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– भरोसी
2. पश्चिम– पी0डब्ल्यू0डी0 के नालारोड
3. उत्तर – लिलिन्द प्रताप
4. दक्षिण– फलदेव

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

3149

(681)
9837724296

IndianOil
The Energy Of India

INDIAN GAS SERVICE (0000156449)
"S-16, AVAS VIKAS,.DOON VIHAR",
"JAKHAN, DEHRADUN",
UTTARAKHAND, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand-248009
India
GSTIN:

Indane

Generated on :Sunday, 23-Jun-2024 08:53

Customer History

Consumer ID	[redacted]	SV TV No	150001206052833
Consumer No	[redacted]	SV TSV Date	18-05-2013
Consumer Name	Rajendra .	Gender	Male
Consumer Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, CANAL ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Electricity Bill Voter Identity Card Aadhaar(UID) [8910]
Mobile	[redacted]	Scheme Onboarding Status	Not Applicable
Scheme Opted	Opted Out	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

Sl.No.	Equipment Name	Equipment Amount
1	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
2	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	150
	Total Amount	1600

M/s Indian Gas Service 156449 Doon Vihar, Jakhan, D.Dun 01352736722

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of Payment
[redacted]	12-05-2024	5-104128328014	12-05-2024 10:50:14	12-05-2024 12:03:28	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	MURARI LAL	Completed			Cash
[redacted]	03-05-2024	5-104104217031	03-05-2024 09:00:35	04-05-2024 08:47:03	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	MURARI LAL	Completed	30.3751017	78.0864467	Cash
[redacted]	13-02-2024	5-103879937098	13-02-2024 09:10:26	14-02-2024 09:06:25	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3749000	78.0867017	Cash
[redacted]	17-01-2024	5-103799636094	17-01-2024 09:08:36	17-01-2024 01:53:46	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
[redacted]	10-01-2024	5-103782457601	10-01-2024 06:23:05	13-01-2024 01:45:58	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
[redacted]	23-12-2023	5-103730341704	23-12-2023 06:59:39	24-12-2023 01:19:27	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
[redacted]	12-12-2023	5-103696684036	12-12-2023 09:00:42	12-12-2023 12:34:34	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
[redacted]	09-11-2023	5-103604571625	09-11-2023 09:01:57	09-11-2023 09:43:08	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3641682	78.0685807	Cash
[redacted]	07-11-2023	5-103599285032	07-11-2023 12:07:45	07-11-2023 12:11:03	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3639417	78.0632500	Cash
[redacted]	[illegible]0-2023	5-103525146219	10-10-2023 08:12:19	11-10-2023 10:18:00	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.36396[illegible]	[illegible]	Cash

990

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 682 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री मौ0 मसरफ पुत्र श्री अब्दुल हमीद,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 30 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– ....
2. पश्चिम– कैनाल रोड़
3. उत्तर – सैनी जनरल स्टोर
4. दक्षिण– सूरज मौर्य

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण **दिनांक** 11/03/2016 **से पूर्व** का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रुप में मान्य नहीं होगा।

दिनांक

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

परिवार के मुखिया का नाम श्री/श्रीमती मो० मंजरसर्फ

पिता/पति का नाम श्री अब्दुल्ला

पता मकान नं० पीर गज्जार मोहल्ला बस्ती

नाम वार्ड .... संख्या ...... नाम राजस्व ग्राम .... संख्या ....

शहर/ग्राम सभा दे० दून तहसील .... वि०ख० ....

परिवार के मुखिया का व्यवसाय टेलरिंग

तथा उसका पता ....

परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय 60,000/-

एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या ....

एस०बी०सी० ☐ डी०बी०सी० ☐ गैस नहीं है ☑

गैस एजेन्सी का नाम नहीं है

मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक [redacted]

दुकान रजिस्टर का क्रमांक ....

प्राधिकृत वितरक का नाम श्री अनिल शर्मा

नवीनीकरण की दशा में पूर्व 12-25/345

राशन कार्ड का क्रमांक [redacted]

यूनिटों का विवरण	अंकों में	शब्दों में
बालिग	3	तीन
नावालिग	—	—
योग	3	तीन

दिनांक 15-12-10

खाद्य अधिकारी मोहर सहित

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 683 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा मे,

श्री अर्जुन पुत्र श्री ईलम चन्द,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **20 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मनुसुदन
2. पश्चिम– खाली
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1769 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनाक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी हैं, उक्त भूमि पर **दिनांक 11 / 03 / 2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30 / 05 / 2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वय हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

बिलिंग तिथि	मीटर संख्या	मीटर स्थिति
	E35675	

देय तिथि	विस्तृत यूनिट	माह	अन्य देय	

	गत वर्ष	चालू वित्त वर्ष	
यूनिट			
निर्धारण			
अधिभार			

कोड के अन्तर्गत जोड़ने के लिए A तथा घटाने के लिए S भरें।

हस्ताक्षर | सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस

बिल बैंक / कैश द्वारा खण्डीय क्षेत्र की किसी भी PNB शाखा के काउंटर पर अथवा कलेक्शन बाक्स में डालकर जमा करा सकते हैं।

भुगतान	मिलान

[redacted]

खण्ड	खण्ड का नाम	स्वीकृत भार	विद्युत भार	स्वीकृत भार			बिल आधार
	702 UDD (NORTH) DEHRADUN		10	1.000			MO

मीटर संख्या		पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	मीटर गुणांक	मीटर्ड यूनिट		स्वीकृत यूनिट	कुल देय यूनिट	
[redacted]			[redacted]		1.0	30	250	280M	

SRI / SMT
SMT MANISHA
ARJUN SHARMA
GABBAR SINGH BASTI
BAGH 2 CANAL ROAD

बिल का विवरण		मूल्य रु. में
1. विद्युत मूल्य	2.30/2.60	656.75
2. एल.पी.एस. का विद्युत मूल्य पर अधिभार		
3. फिक्स्ड / डिमांड चार्ज	30.00	55.00
4. फिक्स्ड / डिमांड चार्ज (अधिक भार पर)	ADDL-SC	6.00
5.		
6.		
7.		
8.		
9. अन्य देय		
10. उपभोक्ता	SEC-INT 15	42.00
11. विद्युत कर		
12. वर्तमान देय (1 से 11 का योग)		759.75
13.		767.00
14.	494	1526.75
15.		
16.	288 01126524 170412	770.00
17. देय तिथि तक कुल देय (15-16)		757.00

			कुल माह	औसत यूनिट
				144M
जमा 1200	बिल संशोधन	300512	रीडर की मार्क	

आदेश का विवरण

	गत वर्ष	प्रति	वर्तमान वर्ष	प्रति	कुल
				-3	-3
अधिभार					

01/12 02/12 03/12 04/12 05/11 06/11
288 11

07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
228 144

300612 300612 150712

757.00 766.00 776.00

आपातकालीन स्थिति में 24 घण्टे 108 मेडिकल पुलिस निःशुल्क सेवा आग

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

चेतावनी : प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।

(राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– ...684.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:–22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रंजू देवी पत्नी श्री सत्य नारायण,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 40 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मनीषा
2. पश्चिम– मनीषा
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– अज्ञात

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : रंजू देवी
Elector's Name : Ranju Devi
पति का नाम : सत्यनारायण राम
Husbend's Name : Satyanarayan Ram
लिंग / Sex : महिला/ Female
1.1.2011 को आयु
Age ason1.1.2011 : 31

[redacted]

पता म.सं. : 0
गली / मोहल्ला : किशनपुर
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / लेखपाल : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Kishanpur
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 **28/1067**

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 685 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री राम भरोसे पुत्र श्री गंगा प्रसाद,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **42 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– गली
2. पश्चिम– भरोसे
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– मनुदेवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
C/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
C/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र [redacted]
IDENTITY CARD

निर्वाचक का नाम : राम भरोसे
Elector's Name : Ram Bharose
पिता का नाम : गंगा प्रसाद
Father's Name : Ganga Prasad

लिंग / Sex : पुरूष Male
1.1.2007 को आयु
Age as on 1.1.2007 : 45

पहचान पत्र संख्या :- [redacted]

पता
म.सं. : 32.ए
गली/मोहल्ला : किशनपुर
ग्राम/नगर : किशनपुर
थाना : राजपुर
जिला : देहरादून

Address
H.No. : 32. A
Strt/Mohalla: Kishanpur
Vill/Town : Kishanpur
PoliceStn. : Rajpur
Distt. : Dehradun
Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for **15- Rajpur**

स्थान : देहरादून दिनांक : 11-02-2007
Place : Dehradun Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/1177

849

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 687 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री राजदेव पुत्र श्री बुद्ध,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 66 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता / गली
2. पश्चिम– गली
3. उत्तर – राजकुमारी
4. दक्षिण– ....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11 / 03 / 2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
C/C

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
C/C

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

UK 10110774

निर्वाचक का नाम : राजदेव पासी
Elector's Name : Rajdev Pasi
पिता का नाम : बुद्धू पासी
Father's Name : Buddhu Pasi
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age ason1.1.2011 : 26

[redacted]

पता म.सं. : 0
गली / मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन -248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 26 Dec 2010 28/1222

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

1000

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 688 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25 दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- राजकुमारी
3. उत्तर - विजय
4. दक्षिण- राजकुमारी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

पता म.सं. : 0 [redacted]
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 **28/1212**

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : अशोक शर्मा
Elector's Name : Ashok Sharma
पिता का नाम : महेन्द्र शर्मा
Father's Name : Mahendra Sharma
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 32

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 689 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री विजय कुमार मण्डल पुत्र श्री दशरथ कुमार मण्डल,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 20 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– राजकुमारी
3. उत्तर – विरेन्द्र सैनी
4. दक्षिण– अशोक शर्मा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
O/C

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : विजय कुमार मण्डल
Elector's Name : Vijay Kumar Mandal
पिता का नाम : दशरथ मण्डल
Father's Name : Dasrath Mandal
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2013 को आयु
Age as on 1.1.2013 : 29

पता/ मकान : 0 [redacted]
गली/मोहल्ला : केनाल रोड वार्ड न. 3
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/लें.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन -248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Kenal Raad Ward No. 3
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Dehradun City Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013 30/919

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– ...691.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री नन्ह सिंह,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 90 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– अज्ञात
3. उत्तर – माती राम साहू
4. दक्षिण– गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : नरेश कुमार
Elector's Name : Naresh Kumar
पिता का नाम : नन्हे कुमार
Father's Name : Nanhe Kumar
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.2013 को आयु
Age as on 1.1.2013 : 45

[redacted]

पता म.स. : 0
गली / मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / ले.पा : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन – 248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin : 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 5 Jul 2013 30/1026

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 692 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री अनिल पुत्र श्री राम किशोर,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **32 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– राम किशोर
2. पश्चिम– अज्ञात
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– खाली भरत

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

पता म.सं. : 0 [redacted]
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : [illegible]
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन – 248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date: [illegible] 2011 28/1306

22 मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
[redacted]

निर्वाचक का नाम : अनिल
Elector's Name : Anil
पिता का नाम : राम किशोर
Father's Name : Ram Kishor
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 19

1008

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 693.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री राम लाल पुत्र श्री मगेर,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **56 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– अज्ञात
3. उत्तर – रास्ता
4. दक्षिण– गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

693

P

3169

पता

पहचान पत्र संख्या :- [redacted]

म.सं. : 44/8
गली/मोहल्ला : केनालरोड
ग्राम/नगर : किशनपुर
थाना : राजपुर
जिला : देहरादून

Address
H.No. : 44/ 8
Strt/Mohalla: Canalroad
Vill/Town : Kishanpur
PoliceStn. : Rajpur
Distt. : Dehradun
Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून दिनांक
Place : Dehradun Date : 03-11-2006

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/739

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : राम किशोर
Elector's Name : Ram Kishor
पिता का नाम : मंगरे
Father's Name : Mangare
लिंग / Sex : पुरुष Male
1.1.2006 को आयु
Age as on 1.1.2006 : 50

693

ok

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 694/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री गंगा राम पुत्र श्री राम किशोर,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **65 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – राम लाल
4. दक्षिण– भरत राम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०

25 किलोवाट एवं उससे कम लोड के उपभोक्ताओं के लिए

विद्युत बिल

खाता सं० [redacted]

बुक सं० | न सं० | बिल तिथि

ग्रुप 1119 | 2 | 17-12-14 12:16

सं SBA0114141217098B | माह 02

खण्ड 14-10-14 | 17-12-14 | उपखण्ड

देय तिथि DEHRADUN_NORTH 15-12-14 | विच्छेदन तिथि ARWALA 14-01-15

नाम SH RAN KISHOR

पता VEER GABER SINGH
BASTI BHAG 2 CANAL RD
DEHRADUN_NORTH

शहर / स्थान | स्वीकृत भार

मीटर संख्या | मीटर गुणांक 1.0000KW

श्रेणी EL6462 DOMESTIC | सप्लाई प्रकार 1.00 10

बिल माह 12/2014 | रीडिंग

	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	यूनिट्स
kWh	7982	8145	163
kVAh			
kVA			
kW			
PF 0.85		बिल आधार	NO

बिल विवरण	राशि ₹ में
विद्युत मूल्य @	
एम.सी.जी का 2.30/2.70/3.05/3.50	374.90
फिक्सड/डिमान्ड चार्जेज दर	
फिक्सड/डिमान्ड चार्जेज (स्वी.भार से अधिक भार पर)	70.00
वोल्टेज सप्लाई पर छूट/अधिभार (+/-)	
कंपे./एल.पी.एफ. अधिभार (+)	
सोलर वाटर हीटर छूट	
अस्थाई जमा समायोजन/माह (-)	
अन्य देय	
उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति	
विद्युत कर @ 0.15	24.45
अतिरिक्त अधिभार	8.00
वर्तमान देय	477.35
पिछले बिल की देय धनराशि	-2.00
विलम्ब शुल्क अधिभार	0.00
कुल देय	475.00
MSD: पिछले बिल की प्राप्त धनराशि	0.00
दिनांक 1035.00	16-10-2014

	तक	₹
30-12-2014	बाद	₹ 475.00
30-12-2014	बाद	₹ 481.00
14-01-2015		487.00

COUNTERFOIL

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 695 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री सूर्य लाल पुत्र श्री महादेव,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **36 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – मंदिर
4. दक्षिण– रमेश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

भारत सरकार
Government of India
आधार

Issue Date: 30/10/2014

सूर्य पाल
Surya Pal
जन्म तिथि/DOB: 26/01/1983
पुरुष/ MALE

[redacted]

आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
AADHAAR

पता:
द्वारा: महा देव, बीर गब्बर सिंह बस्ती, गैस गोदाम के पास,
देहरादून, देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

Address:
C/O: Maha Dev, Veer Gabbar Singh Basti,
Near Gas Godam, Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248001

[redacted]

[redacted]

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 696 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री सुमन घाघर पत्नी श्री बबलू,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 **161** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **66 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– विनोद
2. पश्चिम– ललकू
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– जंगल नदी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार **मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण** के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11 / 03 / 2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30 / 05 / 2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : बब्लू घाघट

Name : BABLU GHAGHAT

पिता का नाम : राम कुमार

Father's Name : RAM KUMAR

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु
Date Of Birth/ Age : 05/01/1987 / 47

पता : [illegible] वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो. राजपुर, तहसील-देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : H.No.1 Veer Gabbar Singh Basti, P.O-Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date : 01/09-2018

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - [illegible]
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 39 - [illegible] किशनपुर [illegible] भाग सं. 3)
Part No. and Name : 39 - Government Inter College (Left Side) Kishanpur (Left Part R.No.3)

नोट / Note

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया [illegible] प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
(Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

Sex पुरुष / Male

[illegible] तिथि / आयु 05/01/1967 / 47
Date Of Birth/ Age

पता : म.नं.1, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : H.No.1, Veer Gabber Singh Basti, P.O- Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ,
Electoral Registration Officer

Date : [illegible]

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इण्टर कालेज (बांया भाग) , [illegible] भाग क्र.सं. 3)
Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Sight) , Kishanpur (Left Part R.No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक है। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच ले।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY C

[redacted]

नाम : बब्लू घाघट
Name : BABLU GHAGHAT
पिता का नाम : राम कुमार
Father's Name : RAM KUMAR

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 697/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:–22/05/24

सेवा में,

श्रीमती मंजू पत्नी श्री मनोज कुमार,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 60 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– विनोद
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– खाली प्लॉट

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : मन्जू
Elector's Name : Manju
पति का नाम : मनोज कुमार
Husband's Name : Manoj Kumar
लिंग / Sex : महिला/ Female
1.1.2013 को आयु
Age as on 1.1.2013 : 29

[redacted]

पता म.सं. : 194
गली/मोहल्ला : डाकपटी बाजार
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 194
Street/Mohalla : Dhakapati Bazar
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Parwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 16 Jan 2013 **22/871**

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 698 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेश पाशी पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल,
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **किशनपुर** के खसरा नं0 161 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 208 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– ....
3. उत्तर – राय बदुर
4. दक्षिण– वीर अहिरखन/सड़क

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक **30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

7 OCT 2010
निर्गत किया
कोड सं. 001

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

विक्रय अनुबंधपत्र मय कब्जा

E 083954

श्री भोला पुत्र श्री रजुबा निवासी वीरगब्बरसिंह बस्ती कैनाल रोड किशनपुर राजपुर देहरादून। प्रथमपक्ष.....

एवं

श्री राजेश पासी पुत्र स्व0 श्रीकिशोरी लाल निवासी-16 म्युनिसिपल रोड डालनवाला जिला देहरादून। द्वितीयपक्ष........

विदित हो कि प्रथमपक्ष निर्मित 10×10 के तीन कमरे टीनपोश छत लैटरीन, बाथरूम लिंटरपोश स्थित वीरगब्बरसिंह बस्तीकैनाल रोडकिशनपुर राजपुर जिला देहरादून का मालिक काबिज व पूर्ण स्वामी है प्रथमपक्ष अपनी उपर सम्पत्ति मय मलबा विक्रय करना चाहता है औरद्वितीयपक्ष क्रय करने के लिये तैयार जिस हेतु यहअनुबंधपत्र मय कब्जा विक्रय किया जा रहा है जिसकी शर्तेनिम्न है:-

1. यहकि दोनो पक्षों के मध्य विक्रीत सम्पत्ति/मलबे की सौदा मु0-6, 70, 000 (अ0श0अ0...) (छः लाख सत्तर हजार रुपये) में तय पाया गया है।

भोला   राजेशपासी

2. यहकि द्वितीयपक्ष ने उपरोक्त विक्रीत मलबे की बाबत कुल धनराशि मु0 6,70,000/-रूपये आज दिनांक-9.10.2010 को प्रथमपक्ष को नकद अदा कर दी है जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष ने प्राप्त कर ली है अब दोनो पक्षो के मध्य उक्त सम की बाबत कोई धनराशिलेनी देनी शेष नहीं रह गयी हैं।

3. यहकि प्रथमपक्ष ने उपरोक्त विक्रीत मलबे पर द्वितीयपक्ष का अपने समान मौके करा दिया हैं।

4. यहकि सम्पूर्ण कब्जा प्राप्तकरने के पश्चात द्वितीयपक्ष उपरोक्त मलबे को प्रयो में लाये, उपयोगकरें, उपभोग करें या अन्य किसी को विक्रय करें इसमें प्रथमपक्ष को क आपत्ति नहीं होगी।

5. यहकि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त मलबे को नगरनिगम कार्यालय के अभिलेखो में अपने नाम स्थानान्तरित करा ले जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यहकि उपरोक्त अनुबंधपत्र मय कब्जा दोनो पक्षो की आपसी सहमति से बिना किसी सिखाये, बहकाय, के अंकित किया जा रहा है जिसमें दोनो पक्षो के उत्तराधि स्थानापन्न प्रशासक आदिआदि शामिल है एवं सदैव शामिल समझे जायेगें।

NOTARY V. L. SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27/01/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

विवरण विक्रीत सम्पत्ति/मलबा

सम्पत्ति/मलबा स्थित वीरगब्बर सिंह बस्ती कैनाल रोडकिशनपुर राजपुर देहर

जिसमें 10×10 के तीन कमरे टीनपोश एवं लेटरीन बाथरूम लिंटर पोश के निर्मि

जिसकी सीमाए निम्न है:-

पूरब में-सम्पत्ति श्री दिनेश मिस्त्री, सीमा में नाप 26 फिट

पश्चिम में-आम रास्ता, सीमा में नाप 27 फिट

उत्तर में-सम्पत्ति श्री रायबहादुर सीमा में नाप 90 फिट

दक्षिण में-सम्पत्ति श्रीवीरू सीमा में नाप 90 फिट

अत: यहअनुबंधपत्र आज दिनांक-9.10.2010 को स्थान देहरादून में अंकित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

भोला

प्रथमपक्ष.....

राजेशपाल

द्वितीयपक्ष.....

NOTARY
V. L. SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARANCHAL (INDIA)

गवाह.....

मूलचन्द
कैनाल रोड किशनपुर
दे० दून

गवाह.....

Mukesh Kum
251/1 Indira Colo
Chakrauta Rd

सतेन्द्रपाल मि०
S/o श्री शिवराम
शास्त्री पुरम देहरा

632/10

ATTESTED

Smt. Vijay Luxmi Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०

भुगतान पावती मूल प्रति A[redacted]

कार्यालय	ANARWALA	दिनांक:- 29-08-2014 10:45	
सर्विस कनेक्शन संख्या :	[redacted]		
एकाउन्ट संख्या :			
उपभोक्ता का नाम :	SH BHOLA AHIRVAR		
कुल देय राशि :	₹ 1890.00	Mode :	Cash
	Energy Charge	₹	1401.80
	Electricity Duty	₹	90.30
प्राप्त राशि	Surcharge	₹	92.95
	Others	₹	304.95
चैक/ड्राफ्ट विवरण		₹	1890.00

संख्या : दिनांक : धनराशि (Rupees One Eight Nine Zero Only)

काउन्टर सख्या 03 / sachinnanda1

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

स्वस्थ एवं सस्ते के हित में बिजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 800-419-0405

3184

विद्युत बिल

बिल सं.	[redacted]
क[redacted]	बिल तिथि
[redacted]	-10-17
40106606248	12:46
08-08-17 से	09-10-17 तक
ग्रुप माह	बिल माह
खण्ड 2 02 उपखण्ड	10/2017
DEHRADUN_N	ANARWALA
देय तिथि 24-10-17	विच्छेदन तिथि 23-11-17

नाम SH BHOLA AHIRVAR

पता VEER GABER SINGH BASTI BHAG 2 CANAL RD DEHRADUN_NORTH

शहर	स्वीकृत भार 1.00KW
मीटर सं.	मीटर गुणांक
श्रेणी EL7015 DOMESTIC	MD(0.00) सप्लाई प्रकार 10.1

रीडिंग

	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	बिल्ड यूनिट
Kwh	13847	13976	129
Kvah		13976	13976
PF	0.85	बिल आधार	MU

बिल विवरण	राशि ₹ में
विद्युत मूल्य @ 2.55/3.30	328.95
फिक्सड चार्ज @ 60/5.10	
फिक्सड चार्जेज (आधिक्य) 45.00	90.0
वोल्टेज पर छूट/अधिभार (+/-)	
कें.पी./एल.पी.एफ. अधिभार (+)	
Fuel Chrg (0.08):	8.82
अस्थाई जमा समायोजन/माह (-)	
अन्य देय	9.53
उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति	
विद्युत कर @ 0.15	19.35
विद्युत अतिरिक्त अधिभार	
GEC(0.2000)	25.80
पिछले बिल की देय धनराशि	482.45
विलम्ब शुल्क अधिभार	2143.00
	50.02
कुल देय	2675.00
SD/पूर्व की प्राप्त धनराशि	0.00
4300.00(12-08-2016)	
तक	₹
08-11-2017 बाद	₹ 2700.00
08-11-2017 बाद	₹ 2706.00

COUNTERFOIL

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No.here..................................

कनेक्शन सं.

बिल सं. 7021114118957

SDC593617100906?7

SEC.DPST. : 1200.00

ASD : 0.00

BILL AMOUNT : 2675.00

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत बिल/Invoice

GST No. (UPCL) 05AAACU6007G1ZP

उपभोक्ता विवरण

BILL NO : [redacted]
CONNECTION NO : [redacted]
ACCOUNT NO : [redacted]
METER NO : [redacted]
CATEGORY : RTS-1
SANCTIONED LOAD: 1.0
SUPPLY TYPE : 10.1
FROM DATE : 14/04/2024
TO DATE : 07/06/2024
BILLED DAYS : 54
BILL MONTH : 06/2024
DUE DATE : 22/06/2024
DISC. DATE : 07/07/2024
DIVISION : DEHRADUN_NORTH
SUB DIVISION : ANARWALA
NAME : [illegible] PASHI
S/O,W/O,C/O : [illegible] SHRI K[illegible] ISHOR[illegible]
ADDRESS : VIR [illegible] SINGH BASTI CANAL R[illegible]

बिल रीडिंग विवरण

CURRENT KWH : 2048
PREVIOUS KWH : 1923.0
CURRENT KVAH : 2048
PREVIOUS KVAH : 1923.0
MAXIMUM DEMAND : 1.0
BILL BASIS : MU
CONSUMPTION KWH : 125.0

बिल विवरण	राशि (₹)
ENERGY CHARGE @3.40/	425.0
FIXED CHARGE @75.00	150.0
EXCESS FIX. CHARGE	0.0
FPPCA CHARGES	9.02
FPPCA REFUND @0.05/0.03/0.31	0.0
E.D. @0.15	18.75
APPS @	0.0
FUEL CH. @ : 0.0	
GREEN CESS @0.00	0.0
VOLTAGE S/C	0.0
LPF SURCHARGE	0.0
OTHER DUES	25.0
SOLAR REBATE	0.0
PROV. AMT ADJ.	0.0
CURRENT BILL	627.77
INIT. CREDITED	0.0
CURRENT LPS	79.68
TOTAL SURCHARGE	242.68
PREV. BALANCE	3350.0
ASD INSTALLMENT	0.0
TOTAL BILL AMT	Rs.4057.0
LAST PAYMENT	Rs.160.0
PAYMENT DATE	19/12/202[illegible]
MF	[illegible]
PF	0.35

LATE PAYMENT SURCHARGE 51.252 [illegible] R MONTH AFTER DUE DATE

NAME : Mr.RAJESH PASHI
CONNECTION NO : 7021114140016
ACCOUNT NO : 41800009209
TOTAL BILL AMT : Rs.4057.0
BILL DATE : 07/06/2024
DUE DATE : 22/06/2024
TOTAL AR. SURCHARGE : 163.0

Toll Free No. : 1912

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि॰

भुगतान पावती मूल प्रति B 4954732

RAPDRP

कार्यालय ANARWALA

दिनांक:- 26-Dec-2017

सर्विस कनेक्शन संख्या : [redacted]

एकाउन्ट संख्या :

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम : Mr.RAJESH PASHI, VIR GABAR SINGH BASTI, KISHANPI

कुल देय राशि : ₹ -

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT	₹	1200.00
SERVICE LINE CHARGES	₹	600.00

प्राप्त राशि

Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या : दिनांक : धनराशि : ₹ 1800.00 बैंक

(Rupees One Eight Zero Zero. Only)

काउन्टर संख्या

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें

117 sachinnanda टोल फ्री न. 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 699 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री कर्मराजपाल पुत्र श्री श्री अम्बिका प्रसाद,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– ....
2. पश्चिम– ....
3. उत्तर – ....
4. दक्षिण– ....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रनण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

... Toll Free Customer Care No.1800-419-040...

BILL AMOUNT : 446.00

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि.

25 किलोवाट तक उससे कम भार के उपभोक्ताओं के लिए

विद्युत बिल

खाता सं.	[redacted]		
1114	[redacted]	13-02-15	बिल तिथि 11:29
ग्रुप 2	बिल सं. SBHD1141502130701		
15-12-14 से 13-02-15		तक 02 माह	
DEHRADUH_NORTH		उपखण्ड ANARWALA	
तिथि 13-02-15		विच्छेदन तिथि 14-03-15	

नाम Mr.KARAMRAJ PAL S/O.SH ...
VIR GABBAR SINGH BASTI
NEAR HAPPY EXCLAVE
JAKHAN

शहर / स्थान	स्वीकृत भार 1.000KW
मीटर संख्या 40027291	मीटर गुणांक 1.00
श्रेणी DOMESTIC	सप्लाई प्रकार 10

बिल माह	रीडिंग		
02/2015	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	यूनिट्स
kWh	347	466	119
kVAh			
kVA			
kW			
PF	0.85	बिल आधार	NU

बिल विवरण	राशि रु. में
विद्युत मूल्य रु. 2.30/2.70/3.35/3.50	273.70
उपभोक्ता का विद्युत मूल्य पर अधिभार	70.00
फिक्स्ड / डिमाण्ड चार्जेज़ कर	
फिक्स्ड / डिमाण्ड चार्जेज़ (स्वी.भार से अधिक भार पर)	
... पर छूट / अधिभार (+/-)	
... अधिभार (+)	
... मीटर छूट	
... समायोजन / भार (-)	
अन्य कर	
उपभोक्ता पर क्षतिपूर्ति 0.15	17.85
विद्युत कर	8.00
अतिरिक्त ...	
कुल भार	369.55
... बिल पर ...	0.00
...	13.14
कुल देय	383.00
ISD:	0.00
... 1092.00	31-12-2014

बिल भुगतान राशि

28-02-2015	तक	₹ 383.00
28-02-2015	बाद	₹ 383.00
14-03-2015	बाद	₹ 392.00
	बाद	₹

COUNTERFOIL

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No.here...........

1028

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 700 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेश पुत्र श्री रामचरण,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा न0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 48 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है–

1. पूरब– ....
2. पश्चिम– ....
3. उत्तर – ....
4. दक्षिण– ....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम मे अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

के आदेशानुसार उपभोक्ता का उपयोग परिचय पत्र के रुप मे मान्य नहीं होगा।

6/6
10/1/16

दिनांक

प्रमाणित कर्ता के
हस्ताक्षर एवं मोहर

[redacted] 1146 मिथलेश यादव 3189

पिता/पति का नाम श्री....सुखदेव यादव

पता मकान न....5/3.... मोहल्ला/वार्ड....नारायन....संख्या....

नाम राजस्व ग्राम....कैनाल रोड....संख्या....

शहर/ग्राम सभा....देहरादून....नि.क्षे....तहसील....

परिवार के मुखिया का व्यवसाय....

परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय....36000/-

एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या....14856

एस.बी.सी....✓....डी.बी.सी....गैस नही है....

गैस एजेन्सी/कम्पनी का नाम....Indian Oil

मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक....

दुकान रजिस्टर का क्रमांक....127

प्राधिकृत राशन विक्रेता का नाम और सोसाइटी....राकेश अग्रवाल

नवीनीकरण की दशा में पूर्व राशन कार्ड का नम्बर [redacted]

कार्ड धारक का मोबाईल नम्बर

कार्ड धारक का वोटर आई.डी.

कार्ड धारक का यू.आई.डी. नम्बर....

कार्ड धारक का बैंक खाता संख्या....

बैंक का नाम तथा शाखा....

यूनिटों का विवरण	अंकों में	शब्दों में
1+1+1+1+1	5	पांच

(5)

दिनांक 04/03/14 ह. खाद्य अधिकारी पद नाम मोहर सहित
20-6-14

परिवार के सदस्यों का विवरण

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	आयु	[illegible]
1	मिथलेश	2	स्वयं	39	
2	सुखदेव	1	पति	40	3000/-
3	मंजु	2	पुत्री	21	
4	रंजु	2	"	17	
5	अंकुर	1	पुत्र	14	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
योग			पांच	5	

[illegible]			

उपरोक्त विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सब सच है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है।

हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा
(परिवार के मुखिया का)

विक्रेता माह.................. से नियन्त्रित वस्तुओं का विवरण करेंगे।

हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा
(परिवार के मुखिया का)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 702 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री हरी ओम यादव पुत्र श्री राम केशर यादव,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **14 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– खाली
3. उत्तर – अंजू यादव
4. दक्षिण– जगदेव प्रसाद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपडी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11 / 03 / 2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/ 05 / 2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम मे अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

3191

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर शीट एवं पिन्कोडर ऑफिस

जल संचय जीवन संचय

Rajpur

28-04-2011

23/08/0262467

NO07RJR01R13C020262467

[redacted]

श्री हरिओम यादव / श्री राम केतार यादव

/

नई बस्ती वीर गब्बर सिंह कालोनी

योजना का नाम संयोजन की श्रेणी	Low Head/DOM/15	वितरण तिथि	बिल की अवधि			[illegible]
			से	तक	माह	[illegible]
		01-12-2023	08 / 2023	11 / 2023	4	[illegible]
बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	[illegible]
Avg.						3000
विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अधिभार	[illegible]
जल मूल्य	1,845.00		2,185.00	4,030.00		
सीवर सीट						
डिस्आनर्ड चैक शुल्क						
अन्य देय						
पूर्ण योग	1,845.00		2,185.00	4,030.00	110.00	58.00

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम [illegible] अवधि के लिए 1.5 % मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 डी0 बी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक
उत्तराखण्ड जल संस्थान

1048

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 703 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री जगदेव प्रसाद पुत्र श्री महादेव प्रसाद,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **24 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– खाली प्लॉट
3. उत्तर – हरी ओम
4. दक्षिण– रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक :	[redacted]
बिल की तिथि :	
सॉफ्टवेयर कोड :	
भवन स्वामी का नाम व् पता :	जगदेव प्रसाद यादव (म0ब0निर्माण के स्वामी) . वीर गब्बर सिंह बस्ती हैप्पी एन्क्लेव कैनाल रोड किशनपुर देहरादून
वर्तमान कर :	1016.00
कुल अवशेष :	4776.00
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर:	812.80
देय धनराशि :	5588.80

अवशेष 2014	अवशेष 2015	अवशेष 2016	अवशेष 2017	अवशेष 2018
940.00	940.00	940.00	940.00	1016.00

Print New

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 704 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री मान सिंह पुत्र श्री राम दीन,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– जितेन्द्र
3. उत्तर – नदी
4. दक्षिण– जितेन्द्र

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : मान सिंह
Elector's Name : Maan Singh
पिता का नाम : राम दीन
Father's Name : Ram Deen
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2012 को आयु
Age as on 1.1.2012 : 45

पता म.सं. : 0 [redacted]
गली / मोहल्ला : जाखन कैनाल रोड किशनपुर
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन – 248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Jakhan Canal Road Kishanpur
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Dehradun City Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 11 Dec 2011 **34/843**

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 705 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री फारूख शेख पुत्र श्री अनवर अली,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **40 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– जमशेद अली/रास्ता
3. उत्तर – जितेन्द्र
4. दक्षिण– ....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का हैं तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
c/c

3197

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
बिल रिसीट CC BR

[redacted]

EZ7976

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस

[redacted]

702 UDD [NORTH] DEHRADUN | 10 | 1.000 | MI

EZ7976 | 2 000030 | 1.0 | 28 | 28

SRI / SMT

SH FARUKH SHEKH
ANWAR ALI (DOMESTIC)
BEER GABER SINGH BAST
I CANAL ROAD

बिल का विवरण	दर	कुल रु. में
1. विद्युत मूल्य	2.20	61.6
3. फिक्स्ड/मिनिमम चार्ज	20.00	20.0
11. विद्युत कर	.15	4.2
13. वर्तमान बिल का कुल भुगतान		85.8
15. कुल देय		85.8

1445G

1200 | - | 300910

SEC-INT

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

07/10 08/10 07/07 10/07 11/07 12/09

291010 | 291010 | 111110

86.0

1040

87.00 | 88.00

1054

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 306.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री राम शरीक पुत्र श्री भोलापरसाद,
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 16 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– अज्ञात
3. उत्तर – फारूख शेख
4. दक्षिण– राम शरीफ का शेष

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
C/C

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
C/C

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक : [redacted]
बिल की तिथि :
सॉफ्टवेयर कोड :

भवन स्वामी का नाम व् पता :	राम सरीख (म०व०निर्माण के स्वामी) . कैनाल रोड किशनपुर देहरादून
वर्तमान कर :	729.00
कुल अवशेष :	3362.00
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर:	583.20
देय धनराशि :	3945.20

अवशेष 2014	अवशेष 2015	अवशेष 2016	अवशेष 2017	अवशेष 2018
675.00	675.00	675.00	608.00	729.00

Print New

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 707 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम),
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 30 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – राम शरीफ
4. दक्षिण– दानी शर्मा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा ।

दिनांक

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

12/02/16

परिवार के महिला मुखिया का नाम श्रीमती बाबू लाल शर्मा

पिता/पति का नाम श्री सुरुती देवी शर्मा

पता मकान नं 69 मोहल्ला/वार्ड .... संख्या ....

नाम राजस्व ग्राम वीर गब्बर सिंह बस्ती संख्या ....

शहर/ग्राम सभा देहरादून वि.ख .... तहसील सदर

परिवार के मुखिया का व्यवसाय मजदूरी

परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय 48000/

एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या ....

एस.बी.सी ✗ डी.बी.सी ✗ गैस नही है ✓

गैस एजेन्सी/कम्पनी का नाम ....

मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक 4987

दुकान रजिस्टर का क्रमांक 150

प्राधिकृत राशन विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती राकेश अग्रवाल

नवीनीकरण की दशा मे पूर्व राशन कार्ड का नम्बर ....

कार्ड धारक का मोबाईल नम्बर ....

कार्ड धारक का वोटर आई.डी. नम्बर [redacted]

कार्ड धारक का यू.आई.डी. नम्बर [redacted]

कार्ड धारक का बैंक खाता संख्या ....

बैंक का नाम तथा शाखा ....

यूनिटों का विवरण	अंकों में	शब्दों में
	6	छः

दिनांक 06/0?/16 ह. खाद्य अधिकारी पद नाम मोहर सहित

(मोहर: पूर्ति निरीक्षक ... देहरादून)

3202

चन आयोग

ELEC MISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र – ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : गीता देवी

Name : GITA DEVI

पति का नाम : बाबू लाल शर्मा

Husband's Name : BABU LAL SHARMA

भारत निर्वाचन आयोग

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु
Date Of Birth/ Age : 12/12/1985 / 50

पता : म नं0.7, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : H.No.7, Vir Gabbar Singh Basti, P.O- Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date : 06-02-2016

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इन्टर कालेज लेफ्ट पार्ट, किशनपुर भाग संख्या-3
Part No.and Name : 39 - Government Inter College Left Part, Kishanpur Left Part S.No.-3

नोट / Note :

1. इस कार्ड को अपने पास रखने से यह नहीं समझा जाये कि आप आवश्यक निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले अवश्य नामावली में जांच लें।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आयु प्रमाण नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

1045

1059

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 708 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री कमलेश पुत्र श्री मनीराम
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 28 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– रास्ता / सडक
3. उत्तर – दानी शर्मा
4. दक्षिण– गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ सलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपडी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11 / 03 / 2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/ 05 / 2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें **अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे** को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति **आपसे वसूल किया जायेगा**। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
O/C

3204

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : कमलेश
Elector's Name : Kamlesh
पिता का नाम : मनी राम
Father's Name : Mani Ram
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 35

पता म.सं. : 5/1/16 [redacted]
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 5/1/16
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 28/1248

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

1061

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 701 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25   दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री सजय लाल पुत्र श्री सुखई
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– गराजपाल
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– कर्मराजपाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 569/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वय हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

3206

752/1114/139200

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०

भुगतान पावती मूल प्रति B [redacted]

कार्यालय ANARWALA

34 [redacted] 003 दिनांक: 19-Dec-2016

सर्विस कनेक्शन संख्या : 48 [redacted] Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या : -

उपभोक्ता का नाम : Mr SANJAY PAL, HAPPY ENCLAVE, CANAL ROAD, VIR GA

कुल देय राशि : Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

Payment Towards : NEW CONNECTION

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण ₹ 1800.00

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

संख्या : दिनांक : धनराशि : बैंक :

काउन्टर संख्या 11 / sachinnanda2

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री न.- 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 710 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री सूरत सिंह रावत पुत्र श्री श्री नेता सिंह रावत
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **44 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– इन्ताज अली
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– गोविन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

3208

710

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र

IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : सूरज सिंह रावत

Elector's Name : Suraj Singh Rawat

पिता का नाम : नेता सिंह रावत

Father's Name : Neta Singh Rawat

लिंग / Sex : पुरुष Male

1.1.2006 को आयु

Age as on 1.1.2006 : 22

पहचान पत्र संख्या :- [redacted]

पता

म.सं. : 169

गली/मोहल्ला : राजपुर रोड आंशिक

ग्राम/नगर : किशनपुर

थाना : राजपुर

जिला : देहरादून

Address

H.No. : 169

Strt/Mohalla: Rajpur Road Anshik

Vill/Town : Kishanpur

PoliceStn. : Rajpur

Distt. : Dehradun

Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून दिनांक

Place : Dehradun Date : 02-11-2006

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/486

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

दिनांकः– 22/05/24

नोटिस संख्या– ..711....../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25

सेवा में,

श्री गोविंद रावत पुत्र श्री मनीराम
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 66 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– नदी
2. पश्चिम– रास्ता
3. उत्तर – सूरज रावत
4. दक्षिण– मुकेश कुमार

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र – ELECTO[redacted]ITY CARD

नाम : गोविन्द रावत

Name : Govind Rawat

पिता का नाम : मनी राम रावत

Father's Name : Mani Ram Rawat

लिंग / Sex पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु
Date Of Birth/ Age XX/XX/1992 / 22

पता : म.न.5/4, केनाल रोड वार्ड न. 1, पो.- देहरादून शहर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.5/4, Kenal Raad Ward No. 1, P.O- Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date : 20-03-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 32 - [illegible]
Part No and Name : 32 - Government Inter College (Left Sight), Kishanpur (Left Part R.No 3)

नोट / Note :

1. [illegible]

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. [illegible]

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

1053

हमारा बैंक बीसीएसबीआई कोड अनुपालित है. विस्तृत विवरण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क कीजिए
We are BCSBI code compliant Bank. For details, please contact the Branch Manager.

आपकी आवश्यकता के अनुरूप हमारे ऋण उत्पाद

- प्रत्यक्ष आवास वित्त (वैयक्तिक आवास के लिए)
- सेन्ट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण)
- सेन्ट व्हीकल (दो पहिया / चौपहिया वाहनों के लिए वैयक्तिक ऋण)
- सेन्ट मॉर्गेज (वैयक्तिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के समक्ष ऋण)
- सेन्ट ट्रेड (व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी)
- सेन्ट स्वाभिमान (वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मॉर्गेज योजना)
- सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं में समर्थ)
- सेन्ट्रल लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
- सेन्ट रेन्टल्स (भावी किराए के समक्ष ऋण)
- सेन्ट कल्याणी (महिला उद्यमियों को ऋण)
- पेंशनरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण (एसएमई उद्यमियों की आवश्यकताओं

Our Loan Products to meet your requirements

- Direct Housing Finance (For Personal Housing)
- Cent Vidyarthi (Education loan for higher studies in India & abroad)
- Cent Vehicle (Personal loan for two/four wheelers)
- nt Mortgage (Loan for personal use against property)
- de (Working Capital for traders)
- bhimaan (Reverse Mortgage Scheme for Senior Citizens)
- isan Credit Card (empowering farmers for their financial ents)
- aghu Udyami Credit Card
- ntals (Loan against future rentals)
- yani (Loan to women entrepreneurs)
- Pensioners (to meet personal exigencies)
- MSME (to meet credit requirements of SME entrepreneurs)

- कृपया अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड / क्रेडिट कार्ड) किसी फोन या ई-मेल द्वारा न दें, बैंक इस तरह कभी भी आ विवरण नहीं मांगता है।

- Do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to over phone or email, Bank never asks such personal details this way.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

JAKHAN
[redacted]
CKYC No:

Branch Address And Tel No.:
54 JAKHAN
CANAL ROAD
DEHRADUN UTTARAKHAND
248001
Tel: .

Name And Address Of Account Holder/s:
Mr. GOVIND RAWAT

HOUSE NO 5/4
CANAL ROAD
WARD NO 1 [redacted]
[redacted] . . Nomination: R
OPERATING SINGLY

MICR Code: 248016015
IFSC Code: CBIN0285073
01/03/2016

Tollfree no: 1800221911

Depositor is insured upto a maximum of Rs Five lacs subject to the conditions and announcements by DICGC time to time

तारीख / Date

अधिकारी / OFFICER

प्रबंधक / MANAGER

3212

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नौटिस संख्या– 712 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री जमील पुत्र श्री फुत्तन अहमद
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– मुनीम
2. पश्चिम– पुश्ता
3. उत्तर – रास्ता
4. दक्षिण– खाली बाउंड्री

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपडी / घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11 / 03 / 2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30 / 05 / 2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

UK/10111093

निर्वाचक का नाम : जमील अहमद
Elector's Name : Jamil Ahmed
पिता का नाम : पुप्तन अहमद
Father's Name : Puptan Ahmed
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 30

पता मकान : 0 RLA0207092
गली / मोहल्ला : केनालरोड
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / लेखपाल : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन - 248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Kenalroad
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Dehradun City Pin : 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 29 Dec 2010 28/1293
22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 713 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री रणजीत पुत्र श्री शिवनाथ महतो
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– अनमोल
2. पश्चिम– पुश्ता
3. उत्तर – फारूख अंसारी
4. दक्षिण– सुनीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपडी / घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11 / 03 / 2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30 / 05 / 2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA

IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : रन्जीत महतो

Elector's Name : Ranjit Mahato

पिता का नाम : शिवनाथ महतो

Father's Name : Shivanath Mahato

लिंग / Sex : पुरुष / Male

1.1.2013 को आयु / Age as on 1.1.2013 : 30

[redacted]

पता म.सं. : 20

गली / मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती

ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी / ले.पा. : जाखन

थाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248009

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No. : 20

Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwari/Lekh : Jakhan

Police Station : Rajpur

Post Office : Rajpur Pin - 248009

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

Date 28 Sep 2013 **30/1114**

22 मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 714/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री अनमोल पुत्र श्री सोभन शाह
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **20 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– राजू सोनकर
2. पश्चिम– रंजीत
3. उत्तर – फारूख अंसारी
4. दक्षिण– गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No. [redacted]

To
अनमोल कुमार
Anmol Kumar
C/O: Sonam Shah,
29 Veer Gabbar Singh Basti,Gram Kenal,Ward No 7,
VTC: Kishanpur,
PO: Rajpur,
Sub District: Dehradun,
District: Dehradun,
State: Uttarakhand,
[redacted]

[redacted]

Validity unknown

आपका [redacted] धार [redacted] / [redacted] r [redacted] ar [redacted]. |
[redacted]

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए ।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है ।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए ।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है ।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें ।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें ।
- आधार/बॉयोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बॉयोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 17/02/2015

अनमोल कुमार
Anmol Kumar
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1994
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं ।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए ।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

[redacted]

मेरा [redacted]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
द्वारा: सोनम शाह, 29 वीर गब्बर सिंह बस्ती,ग्राम कैनाल,वॉर्ड न 7, किशनपुर, राजपुर, देहरादून,
उत्तराखंड - 248009

Address:
C/O: Sonam Shah, 29 Veer Gabbar Singh Basti,Gram Kenal,Ward No 7, Kishanpur, PO: Rajpur, DIST: Dehradun, Uttarakhand - 248009

Details as on: 11/04/2024

[redacted]

1947 | [redacted] | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 715 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री हुकुमत लाल
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 **886** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 70 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– ढांग पुश्ता
3. उत्तर – राम किशोर
4. दक्षिण– उषा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक **11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. **नगर** आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : अश्वनी कुमार

Name : ASWANI KUMAR

पिता का नाम : स्व हुकुमत लाल

Father's Name : LATE HUKUMAT LAL

3220

लिंग / Sex पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु 06/09/1982 / 33
Date Of Birth/ Age

पता : वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- रायपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : Veer Gabber Singh Basti, P.O.- Raipur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Date : 28-06-2016 Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कालेज [illegible]
भाग सं-3 31
Part No and Name : 39 - Government Inter College [illegible]
Kishanpur (Left Part R No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को मात्र रखने से यह गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में नाम जांच लें।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु : 08/08/1982 / 33
Date Of Birth/ Age

पता : वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : Veer Gabber Singh Basti, P.O- Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date : 26-05-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इन्टर कालेज बांया भाग) , किशनपुर बायां भाग क.नं. 3)
Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Sight) , kishanpur (Left Part R.No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गांरटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक है। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच ले।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रुप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 316....../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थूलाल
हैंपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा न0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– विपिन सैनी
3. उत्तर – राजू
4. दक्षिण– शारदा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यो के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

UK/11730037

निर्वाचक का नाम : राजेन्द्र सिंह
Elector's Name : Rajendra Singh
पिता का नाम : नत्थु सिंह
Father's Name : Natthu Singh
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1 2013 को आयु
Age as on 1.1.2013 : 63

पता म.सं. : 1 [redacted]
गली / मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन – 248009
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 1
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin : 248009
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 3 Oct 2013 30/1132

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration
Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 717 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री सुनील सैनी पुत्र श्री विशाना सैनी
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– राजू
2. पश्चिम– सैनी विपिन
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– शारद प्रसाद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

3225

1082

Nom. Reg. No.:

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = De	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commision	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	*MOD bal= total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account
CIF No : [redacted]
Account No :
Customer Name: Mr. SUNIL SAINI

S/D/W/H/o:VISNA SAINI
Address:H N. 5/03. JAKHAN
CAQNAL ROAD. KISHANPUR
DEHRADUN
Phone:
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.:
FIRST

JAKHAN (DEHRA DUN)
HOUSE NO.282.AWAS VIKAS COLONY

Phone:2734420.904
Email:sbi06155@sbi.co.in
Branch Code:6155
Date of Issue:17/09/2014
17/09/2014 3261468 6155
IFSC:SBIN0006155
शाखा प्रबंधक
Branch Manager

1068

3226

भारत स

Unique Identification ... of India

Government of India

नामांकन कम / [redacted]

16/03/2012

To
सुनील सैनी
Sunil Saini
S/O Vishna Saini
5/3 Canal Road Jakhan Kishanpur
Dehradun
Dehradun G.p
Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248001

[redacted]

[redacted]

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

[redacted]

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

सुनील सैनी
Sunil Saini
जन्म तिथि / DOB : 01/02/1984
पुरुष / Male

[redacted]

मेरा [redacted], मेरी पहचान

[redacted]

[redacted] 18 [redacted] 12/05/24 [redacted]

[redacted]

द्वारा अतिक्रमण [redacted]

एतद्द [redacted]
हटा लें अन्यथा [redacted]
की भांति आपसे [redacted]
कृपया इस सम्ब [redacted]
सुनिश्चित करें।

[redacted]

O/C

प्रतिलिपिः—

1. जि [redacted]
2. न [redacted]
ए [redacted]
सं [redacted]
क्र [redacted]

[redacted]

O/C

3228

718

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : कंचन देवी
Elector's Name : Kanchan Devi
पति का नाम : नन्कू राम
Husband's Name : Nanku Ram
लिंग / Sex : महिला/ Female
1.1.2013 को आयु : 35
Age as on 1.1.2013

[redacted]

पता – म.सं. : 18
गली / मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी / ले.पा. : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन –248009
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 18
Street/Mohalla : Veer Gabbar Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhan
Police Station : Rajpur
Post Office : Rajpur Pin - 248009
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 28 Sep 2013 30/1113

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

Original Checked

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 719 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25 दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री छोटे लाल पुत्र श्री राम लखन
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **जाखन** के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- बाबूलाल
2. पश्चिम- रामू देवी
3. उत्तर - जयराम
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक** 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : छोटे लाल
Name : CHHOTE LAL
पिता का नाम : राम लखन
Father's Name : RAM LAKHAN

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्म तिथि / आयु Date Of Birth/ Age : 22/08/1983 / 31

पता : म.नं. 157/2, राजपुर रोड, पो.- देहरादून शहर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.157/2, Rajpur Road, P.O- Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date : 19-04-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 44 - राजकीय इन्टर कालेज (बाया भाग), किशनपुर (बाया भाग न.सं. 4)
Part No and Name : 44 - Government Inter College (Left Sight), Kishanpur (Left Part R.No 4)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक है। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच ले।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या— 720 /एम0डी0डी0ए0 /एन0जी0टी0—417—2022/2024—25 दिनांक— 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री अनिल कुमार
हैपी ऐन्क्लेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6—1 नदी रिस्पना रकबा 90 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:—

1. पूरब— रास्ता
2. पश्चिम— सतीश
3. उत्तर — गली
4. दक्षिण— राम सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0—1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या — 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू—राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या—417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : पूनम देवी

Name : Poonam Devi

पति का नाम : अनिल कुमार

Husband's Name : Anil Kumar

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1989 / 25
Date Of Birth/ Age

पता : म.नं.153/2, राजपुर रोड अंशिक, पो.- देहरादून शहर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.153/2, Rajpur Road Anshik, P.O-Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.-Dehradun-248001

Date 02.04.2014

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

[illegible] : 22 - [illegible]
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
[illegible]
Part No and Name : 30 - Government Inter College (Left Right), [illegible] (Left Part A No 1)

नोट / Note :

1. [illegible]
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. [illegible]
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 721....../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्री विकास कुमार पुत्र श्री छन्नु लाल सिंह
हैपी ऐन्कलेव, जाखन
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 84 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– रास्ता
2. पश्चिम– सतीश
3. उत्तर – ननकू राम
4. दक्षिण– गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक** 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

Consumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.VIKAS KUMAR	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :	S/O.SHRI CHHUNNU LAL SINGH	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,HAPPY ENCLAVE ,CANAL ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[redacted]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	27-Dec-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1521.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	127097
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	3943413

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Doon Vihar
DTR Code/Name:	UPCL-DP-A-B2 / INDER BABA MARG-2	Pole :	UPCL-DP-A-B2-2-023

Back Close

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 722 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सीमा वर्मा पत्नी श्री मेवालाल
राजीव नगर, कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 0.012 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– पंकज
3. उत्तर – सड़क
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक **30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस

JA: 0 FB: 0 MR: 0 AP:
JU: 0 AG: 217 SP: 0 OC: 0 NV: 0 DC: 0

उपभोग की तिथि | से | तक | माह | देय तिथि | विच्छेदन तिथि

[redacted]

071 DD(R) DEHRADUN 1 1.000 0.0180

[illegible] 476 001684 NR 01.00 292 292 PROV/A

बिल का विवरण

1. मूल्य (दर 1.80/2.25 2.80) 507.00
2. विद्युत कर (दर)
3. मीटर किराया (दर)
4. अन्य देय
5. समायोजन (-)
6. ... (केवल देय तिथि तक) दर (-)
7. अग्रिम जमा समायोजन/माह (-)
8. ...

SRI/SMT
MEVALAL VERMA
S/O/D/W VERMA
RAJIV NAGAR KANDOLI
DEHRADUN

प्रतिभूति जमा 2268.00 कुल माह 08

विवरण	... ईंधन अधिभार	ईंधन अधिभार समायोजन	... अधिभार	फिक्सड चार्जेज	कैपेसिटर अधिभार
	I	II	III	IV	V
				25.0	
मूल्य (रुपये)				50.0	

9. (I से V) का योग 50.00

... देय (1 से 9) (देय तिथि तक)	(देय तिथि के बाद)	... अधिभार	बकाया	बकाया अधिभार 11	कुल देय (रुपये) (1 से 9) + 10 + 11 (देय तिथि तक)	(देय तिथि के बाद)
617.00	617.00	53	1636.00		2253.00	2253.[illegible]

चेतावनी : ... बिल की भुगतान देय तिथि तक ... अधिनियम ... धारा २४(१) के अन्तर्गत ... अतिरिक्त सूचना के विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।

DISC. ... AMT. DUE : 120
DISC. PENDING SINCE --> 010797

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण/वाणिज्य खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

एड्स एक ... बीमारी है। इसका कोई ... इलाज नहीं है। कण्डोम के प्रयोग ... एवं ... जीवाणुरहित सुइयों के प्रयोग ... बीमारी से बचा जा सकता है

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 723 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25 दिनांकः- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री मनोज
राजीव नगर, कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा **0.010 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

3238

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि.

भुगतान Requisition for Opening of Ta

कार्यालय

दिनांक: [redacted]

सर्विस कनेक्शन संख्या :

एकाउन्ट संख्या IT PARK

उपभोक्ता का नाम : [redacted] 14-Oct-2010 16:49

कुल राशि : Load : 1.0 KW

Mrs.LEELA DEVI, TARLI KANDOLI, RAJIV NAGAR

प्राप्त राशि ₹ - Mode : Cash

चैक/ड्राफ्ट विवरण	SECURITY DEPOSIT	₹	1200.00
	SERVICE LINE CHARGES	₹	600.00
संख्या	Payment Towards NEW CONNECTION		

DUPLICATE

कार्यालय संख्या ₹ 1800.00 हस्ताक्षर

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

राष्ट्र एवं राज्य के हित

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-0405

19 / mcpathak3

1081

1095

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 724 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री राजा राम
राजीव नगर, कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 **1** श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा **0.010 वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– गली
3. उत्तर – गली
4. दक्षिण– ––

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

3240 सुनीता (2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND K 895018

मय मलवा कब्जा अनुबन्ध पत्र

श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व० वेद प्रकाश निवासी 950, राजीव नगर कण्डोली, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।

......प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

सुनीता पुत्री स्व० राजाराम निवासी 15/5, राजीव नगर, तरली कण्डोली, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।

......द्वितीय पक्ष / क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि स्थित राजीव नगर कण्डोली, देहरादून, को द्वितीय पक्ष जो कि कुल लगभग 218.62 वर्गफीट अर्थात 20.32 वर्गमीटर, जिसमें एक टीनपोश निर्मित है, बिना किसी दबाव के पूरे होशोहवास में द्वितीय पक्ष को मु0 3,30,000/– (तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र में मय मलवा सहित विक्रय कर दिया है। उक्त धनराशि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को नकद रुप से अदा कर दी है, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष को स्वीकार है। आज

Smita सरोज देवी

रामबाबू – 9634084439

दिनांक 12–06–2014 के पश्चात उक्त वर्णित भूमि पर द्वितीय पक्ष का मय मलवा सहित कब्जा हो गया है। द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, जिस पर प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एव ना ही भविष्य में होगी।

अतः यह मय मलवा कब्जा अनुबन्ध आज दिनांक 12–06–2014 को स्थान देहरादून में अंकित कर दी गयी है, ताकि सदन रहे और समय पर काम आवे।

प्रथम पक्ष सरोज देवी .... द्वतीय पक्ष Sunita ....

गवाह:– गीता ....

2..................... रामदुलार

ATTESTED
RAJENDER SINGH (NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. ... 1st Floor
Opposite Bar Association Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

3242

Consumer Personal Details

Consumer No :	[redacted]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :		Account No / CIN :	[redacted] /
Father Name :		Billing Status :	Live
Address :	W/O VED PRAKASH ,RAJIV NAGAR KANDOLI ,RURAL_DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[redacted]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	IT PARK	Supply Release Date :	14-Dec-1997
E-mail :		Total Security Deposit :	807.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	GENUS
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	2920888
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	

Network Asset Details

Substation :		Feeder :	
DTR Code/Name:		Pole :	

Back Close

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जलमूल्य/ जलकर (संयोजन रहित सम्पत्ति) / सीवरसीट बिल
एवं विच्छेदन नोटिस

चेतावनी : प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें [illegible] उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा - 7 [illegible] (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदन किया जा सकता है।

Rajpur (2009-2010)
(Period - 1.4.09 to 31.7.09)

[redacted]
श्रीमती सरोज भट्ट
वेद प्रकाश
950
राजीव नगर कण्डोली
1A / 01A / 03B-09

0950

DOMESTIC
1/2
4.2.02
0.00

2,025 / 18

बिल की अवधि			देय तिथि	~~विच्छेदन तिथि~~ भुगतान तिथि
से	तक	माह		
4/2009	7/2009	4	31/8/09	5/9/09

वार्षिक मूल्यांकन	औसत उपभोग/ वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त मात्रा	जलमूल्य	नि:शुल्क वृत्ति (-)	अग्रिम जमा समायोजन (-)	शुद्ध देय
0.00	0			445.00			445.00

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	अन्य मांग/ अन्य देय	अवशेष	विलम्ब शुल्क अधिभार	पूर्ण योग	छूट (-) (देय तिथि तक)	शुद्ध मांग
जल मूल्य	445.00				0.00	445.00	44.00	401.00
जल कर (संयोजन रहित सम्पत्ति)								
सीवर सीट शुल्क					0.00			
सीवर कर								
कुल योग	445.00				0.00	445.00	44.00	401.00

(भूल-चूक लेनी-देनी)
(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिये)

(बिल लिपिक)

सहायक अभियन्ता / जलकल अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 785 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 27/05/24

सेवा में,

श्रीकृष्ण कुमार धीमान पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
राजीव नगर, कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 0.010 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– गली
3. उत्तर – सड़क
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

3245

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

25 किलोवाट एवं उससे कम लोड के उपभोक्ताओं के लिए

विद्युत बिल

COUNTERFOIL

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No.here.

1088

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०

भुगतान पावती मूल प्रति [redacted]

दिनांकः–

कार्यालय	IT PARK		
राविरा कनेक्शन संख्या	[redacted]	17-Aug-2015 00:00	
एकाउन्ट संख्या			
उपभोक्ता का नाम	Mr.KRISHAN KR DHIMAAN		
कुल देय राशि	₹ 1979.00	Mode :	Cash
Energy Charge		₹ 1669.80	
Electricity Duty		₹ 93.15	
Surcharge		₹ 31.20	
Others		₹ 184.85	

DUPLICATE

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या : दिनांक : धनराशि : 1979.00 क :

(Rupees One Nine Seven Nine Only)

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें

06 / skothari यू.पी.सी.एल. कस्टमर केयर टोल फ्री नं० 1800–419–0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 726 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25 दिनांकः-22/05/24

सेवा में, अरविन्द राय पुत्र श्री भागीरथी राय

~~श्री अल्लाउद्दीन मलिक पुत्र श्री साद अली मलिक~~

राजीव नगर, कंडोली

देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 0.004 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
O/C

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
O/C

...tails

...umer Personal Details

...nsumer No :	[redacted]	Category	STN-25 / SMALL NON-DOMESTIC UPTO 4KW
...ame :	ARABINDA ROY	Account No / CIN :	[redacted]
Father Name :		Billing Status :	Dismantled
Address :	KANDOLI RAJEEV NAGAR , ,RURAL_DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[redacted]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	IT PARK	Supply Release Date :	19-Nov-2005
E-mail :		Total Security Deposit :	0.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[redacted]	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	1490082
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1490081

Network Asset Details

Substation :		Feeder :	
DTR Code/Name:		Pole :	

Back Close

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड
आई.टी. पार्क, देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 727 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गापाल सिंह थापा
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 88 **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– मकान
3. उत्तर – नदी
4. दक्षिण– रोड

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

महोदय,

नोटिस संख्या 727/ एम०डी०डी०ए०/ एन.जी.टी-417-2022/2024-25 दिनांक 22/5/24 को श्रीमति रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा कंडोली देहरादून।

विषय:- इनका खसरा न० 8ज मौके में काबिज है अत: इनका नोटिस निरस्त करने की कृपा करें। आंख्या सेवा में प्रेषित करें

[signature] .05.2024

जगदीश कुमार
प्रभारी उप निरीक्षक
क्षेत्र कण्डोली

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023045130737

DISTRICT NAME :देहरादून SRO :

[redacted] From 16 Feb 2023

Appointment Date: Appointment Time: 27-Jul-2023 12:44:26PM

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील देहरादून

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index :कंडोली (केंद्रीयदून) -D

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :कंडोली (केंद्रीयदून) -D

Khewat :0

Khatoni :221

Khasra :8 (ज) मिन

House/Flat No:

Area :88.0200 वर्ग मीटर

Latitude [redacted]

Longitude [redacted]

Land Value :1,410,000.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :1,410,000.00

Market Value :1,410,000.00

Advance :0.00

Lease Period :0.00

Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :52,900.00

Regn Fees :25,000.00

Pasting Fees :100

Page :28

Female Buyer Rebate is Taken in Stamp Duty.

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	दर

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	25,000.00	0

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता कोड
1	e-Stamp	52,900.00	0	27-Jul-2023	0

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील देहरादून

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री /श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारेआम श्री धनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी विरोवाली, पो.ऑ. कण्डोली,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।		House wife	[redacted]	0000000000	[redacted]
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा निवासी 144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून।		Self employed	[redacted]	0000000000	[redacted]
गवाह	श्री गोपाल थापा पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून।		Self employed		0000000000	[redacted]
गवाह	श्री कमल किशोर पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी गढ़पुर रोड, शिव मन्दिर के पास, राजीव नगर, तरली कण्डोली, जिला देहरादून।		Self employed		0000000000	[redacted]

Seller Body Type : NA

Purchaser Body Type: NA

Permission Type: NA

Do not have Property above 250 sqr mt in any other location in Uttarkhand : NA

Land or Property holding in UK before 12-09-2003 : NA

Cersai Nill Report : View Cersai Report

Uploaded NEC / 12 years Khatoni Details : View NEC Report

NA Report : View Permission Report

Uploaded Khatoni for Seller : View Seller Khatoni

Uploaded Khatoni for Purchaser : View Purchaser Khatoni

Transaction Details : NA

Deed Writer /Advocate Name :U.S. Pundir

विक्रय–पत्र

किस्म दस्तावेज – विक्रयपत्र

मालियत विक्रयपत्र – 14,10,000 / – रूपये

मूल्यांकन सर्कल रेट अनुसार – 14,10,000 / – रूपये

स्टाम्प शुल्क आवास–विकास सहित – 52,900 / – रूपये

सम्पत्ति / भूमि का प्रकार – आवासीय भूमि

e-Stamp Certifica[illegible]D 27.07.2023

सर्कल रेट – विक्रीत भूमि का सर्किल रेट की दर निबन्धन उप–जिला देहरादून नगरीय क्षेत्र प्रथम की पृष्ठ सं. 15 की क्रम सं0 4(डी/4) मौजा कण्डोली, जिला देहरादून पर रूपये 16,000 / – प्रति वर्गमीटर है जोकि 15 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण सर्कल रेट की दर रूपये 16,000 / –प्रति वर्गमीटर है।

विक्रीत खसरा नं0 एवं क्षेत्रफल – भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता – श्रीमती दीपा शाही (PAN. AVLPS5443B) पत्नी श्री खड़क कुमार गुरूंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय निवासी–54 गुरूंग निवास, एम. डी.डी.ए. ऑफिस के पीछे, सेवला खुर्द, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारेआम श्री धनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी–चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली,सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

Aadhar.

क्रेता – श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी 144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून।

[redacted]

Rekha Thapa

Rawat

3254

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹52,900

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK65735501299362V
Certificate Issued Date	:	27-Jul-2023 12:40 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1324604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK132460437827084263603V
Purchased by	:	SMT REKHA THAPA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUZA KANDOLI DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	:	14,10,000 (Fourteen Lakh Ten Thousand only)
First Party	:	DEEPA SHAHI THROUGH POA DHANEESH RAWAT
Second Party	:	SMT REKHA THAPA
Stamp Duty Paid By	:	SMT REKHA THAPA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	52,900 (Fifty Two Thousand Nine Hundred only)

सत्यमेव जयते

LAXMI
E-STAMP ACC
COURT COMPOUND.
DEHRADUN.
LIC. No.-278

₹52,900

Please write or type below this line

IN-UK65735501299362V

Rekha Thapa

0002175152

प्लॉट छायाचित्र

विवरण विक्रीत भूमि – भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता – श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारेआग श्री धनीष रावत।

क्रेता – श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा

[illegible] [illegible]

विक्रय विलेख

यह विक्रयपत्र– श्रीमती दीपा शाही पत्नी श्री खड़क कुमार गुरूंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय निवासी–54 गुरूंग निवास, एम.डी.डी.ए. ऑफिस के पीछे, सेवला खुर्द, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारेआम श्री धनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी–चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून। जिनको इस विक्रय पत्र में "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया जा रहा है।

.................विक्रेता

एवं

श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी–144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून। जिनको इस विक्रय पत्र में "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया जा रहा है।

.....................क्रेता

के मध्य निष्पादित किया गया है।

इस विक्रयपत्र में विक्रेता व क्रेता में उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं हित प्रतिनिधि आदि भी शामिल है और सदैव शामिल समझे जायेंगे।

विदित हो कि श्रीमती अमिता शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा ने भूमि खाता खतौनी सं. 141 खसरा नं. 8(ज) रकबा 0.0209 है0, स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को (1) श्री जे0एल0 कोहली पुत्र स्व. श्री कान्ति प्रसाद कोहली (2) श्रीमती चॉंद रानी पत्नी श्री जे0एल0 कोहली, निवासीगण– 197/13/4, फैन्डस लेन, राजपुर रोड, जिला देहरादून से विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2007 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप–निबन्धक कार्यालय प्रथम देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 2215 पृष्ठ 221 से 238 में नं0 10979 पर दिनांक 18.12.2007 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार श्री सुरेश पुत्र श्री राजकुमार, निवासी–ग्राम सिरसाल, जिला कैथल, हरियाणा ने (1) श्री जे0एल0 कोहली पुत्र स्व. श्री कान्ति प्रसाद कोहली (2) श्रीमती चॉंद रानी पत्नी श्री जे0एल0 कोहली, निवासीगण– 197/13/4, फैन्डस लेन, राजपुर रोड, जिला देहरादून से विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2007 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप–निबन्धक कार्यालय प्रथम देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 2215 पृष्ठ 239 से 256 में नं0 10980 पर दिनांक 18.12.2007 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि श्रीमती प्रोमिला थापा पत्नी श्री आशीष थापा ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को श्री सुरेश पुत्र श्री राजकुमार द्वारा मुख्तारेआम श्री कृति शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा व श्रीमती अमिता शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा मुख्तारेआम श्री आशीष थापा पुत्र श्री प्रेम बहादुर थापा से विक्रय विलेख दिनांक 18.02.2015 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय चतुर्थ देहरादून में बही नं.1 जिल्द 1638 पृष्ठ 165 से 188 में नं0 1536 पर दिनांक 20.02.2015 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि विक्रेता ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को श्रीमती प्रोमिला थापा पत्नी श्री आशीष थापा से विक्रय विलेख दिनांक 30.06.2015 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय चतुर्थ देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 1962 पृष्ठ 263 से 288 में नं0 6190 पर दिनांक 30.06.2015 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है। क्रय की तिथि से विक्रेता उक्त भूमि की एकमात्र स्वामी, काबिज व अध्यासी हुयी, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि श्रीमती दीपा शाही पत्नी श्री खड़क कुमार गुरूंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून ने सूची में वर्णित भूमि को विक्रय आदि की बावत अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र एवं हितैशी श्री धनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी-चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को दिनांक विलेख दिनांक 29.12.2022 को नियुक्त किया है। उक्त मुख्तारनामा आम उप-निबन्धक कार्यालय तृतीय, देहरादून में बही नं. 4 जिल्द 449 पृष्ठ 347 से 362 में नं0 1578 पर दिनांक 29.12.2022 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है। उक्त मुख्तारनामा आज भी लागू एवं प्रभावी है तथा उसके निष्पादक आज भी जीवित है, जिसके अनुसार सूची में वर्णित भूमि विक्रय की जा रही है।

Deepa Shahi

विदित हो कि विक्रेता ने उपरोक्त ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून, जिसका पूर्ण विवरण विक्रय पत्र के अंत में दिया गया है, आज इस विक्रयपत्र द्वारा उपरोक्त क्रेता को विक्रय किया जा रहा है। जिसको क्रय करने पर क्रेता पूर्ण रूप से सहमत है।

विदित हो कि विक्रीत भूमि आज तक हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, दान, वसीयत, ऋण सरकारी व गैर सरकारी तथा हर प्रकार के वाद–विवादों से सर्वथा मुक्त है और आज तक कहीं रहन, व्यय आदि नहीं की हुई है ना ही विक्रीत भूमि की बावत किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही, वाद–विवाद, अर्जन, कुर्की आदि लंबित है।

विदित हो कि विक्रेता ने अपने पूर्ण होश–हवास में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क व इन्द्रियों की दशा में विक्रीत भूमि, जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रयपत्र के अंत में दिया गया है, उपरोक्त क्रेता श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी–144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून को मय अधिकार मालिकाना, रास्ता आवागमन व उन समस्त अधिकारों व सुखाधिकारों सहित कि जो–जो भी अधिकार व सुखाधिकार आज तक विक्रेता को विक्रीत भूमि में प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव है, उन सबको कुल मुबलिग रूपये 14,10,000/–(चौदह लाख दस हजार रूपये मात्र) में पूर्ण रूप तथा हर प्रकार से विक्रय कर दी है यानी बेच दी है और क्रेता ने भी उक्त भूमि/संपत्ति स्वामित्व मौके पर भूमि/संपत्ति की पैमायश आदि कर अपनी पूर्ण सन्तुष्टि कर भूमि क्रय कर ली है।

विदित हो कि विक्रेता को क्रेता से कुल विक्रय मूल्य मुबलिग रूपये 14,10,000/–(चौदह लाख दस हजार रूपये मात्र) निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये हैं:–

(क) रूपये 1,99,000/–रुपये पूर्व में नगद

(ख) रूपये 10,00,000/–द्वारा चैक सं. 010503 दिनांक 27.07.2023 फेडरल बैंक शाखा राजपुर रोड, जिला देहरादून से प्राप्त,

(ग) रूपये 2,11,000/–द्वारा चैक सं. 053838 दिनांक 27.07.2023 फेडरल बैंक शाखा राजपुर रोड, जिला देहरादून से प्राप्त कर लिये हैं, जिसकी प्राप्ति विक्रेता समक्ष सब–रजिस्ट्रार स्वीकार करता है। शेष कुछ लेना नहीं रहा है। विक्रेता ने आज अपना कब्जा हटाकर अपने समतुल्य विक्रीत भूमि का खाली, मालकाना व वास्तविक अध्यासन मौके पर अपने समान एवं अपने सामने क्रेता को सौंप दिया है तथा आज से क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि में बतौर स्वामी काबिज रहकर प्रयोग करे, जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, हर प्रकार से अपने उपभोग व उपभोग आदि में लावे, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, निर्माण करें, राजस्व अभिलेखों आदि में अपना नाम

अंकित करावे, आज के बाद विक्रेता को क्रेता के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विदित हो कि विक्रीत भूमि पर आज तक के जो भी कर व लगान आदि देय है, उन सब के अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की है, आज के बाद से क्रेता अदा करेगा। यदि क्रेता को भविश्य में विक्रेता से विक्रीत भूमि/संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार व कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख आदि लिखाने की आवश्यकता हुई तो विक्रेता ऐसा लेख क्रेता के व्यय व उसकी पूर्व लिखित सूचना पर लिखने के लिए सदैव तैयार रहेंगे।

विदित हो कि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में कमी पाई जाने के कारण अथवा भार बन्धन आदि भविष्य में प्रकट होने के कारण कुल विक्रीत भूमि/संपत्ति अथवा उसका कोई भाग क्रेता के अधिकार, स्वामित्व अथवा कब्जे आदि से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकल गई भूमि/संपत्ति के अनुपात का यथार्थ मूल्य अपने हर्जे व खर्चे आदि सहित विक्रेता से तथा उसकी अन्य चल एवं अचल भूमि/संपत्ति से जिस प्रकार चाहे, वसूल कर लें। इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदित हो कि विक्रीत भूखण्ड/सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रकार की दावेदारी प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार की दावेदारी इस विक्रय विलेख के समक्ष पूर्णतया निंमूल, निष्प्रभावी एवं शून्य मानी जायेगी व इस विलेख के वैधानिक रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव सदैव समान रूप से लागू व प्रभावी रहेगा।

विदित हो कि विक्रीत भूखण्ड/सम्पत्ति के सम्बन्ध में विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विधिक अनुबन्ध विलेख इससे पूर्व निश्पादित नहीं किया गया हैं और इसी प्रकार विक्रेता पक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के साथ किसी प्रकार का लेख व विलेख का निष्पादन नहीं किया गया है।

<u>वांछित विवरण</u>

1. यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं है तथा भारतीय नागरिक हैं।

2. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है।

3. यह कि पक्षों के मध्य कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नहीं है।

4. यह कि विक्रीत भूमि में कोई बाग, पेड़ या निर्माण, समर सीवर आदि नहीं है।

5. यह कि विक्रीत भूमि सीलिंग अधिनियम की धारा 20 व 10(3) से तथा गोल्डन फोरेस्ट, पर्ल कम्पनी, चाय बागान, राजा कुंवर चन्द्र बहादुर, टिहरी बांध परियोजना आदि-आदि से सम्बन्धित नहीं है।

6. यह कि विक्रीत भूमि मुख्य सहस्त्रधारा मार्ग तथा कैनाल रोड से 350 मीटर से अधिक दूर तथा समस्त प्रमुख मार्गो से 350 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

7. यह कि विक्रीत भूमि का सर्किल रेट की दर निबन्धन उप-जिला देहरादून नगरीय क्षेत्र प्रथम की पृष्ठ सं. 15 की क्रम सं0 4(डी/4) मौजा कण्डोली, जिला देहरादून पर रूपये 16,000/- प्रति वर्गमीटर है जोकि 15 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण सर्कल रेट की दर रूपये 16,000/-प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि का मूल्य रूपये 14,10,000/-है। क्रेता महिला है तथा स्टाम्प शुल्क में प्रथम बार छूट ले रही है। जिस कारण स्टाम्प शुल्क विक्रय प्रतिफल रूपये 3.75 प्रतिशत की दर से रूपये 52,900/-का अदा किया है। जिसका ई-स्टाम्प सीट नं. e-Stamp Certificate No. IN-UK65735501299362V DATED 27.07.2023 है।

8. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण उत्तरांचल सरकार द्वारा पारित अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू एवं प्रभावी नहीं होते हैं।

9. यह कि प्रश्नगत भूमि/सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

10. यह कि विक्रीत भूमि का Latitude Number 30.3468980 & Longitude Number 78.0656450 है।

4. यह कि विक्रीत भूमि में कोई बाग, पेड़ या निर्माण, समर सीवर आदि नहीं है।

5. यह कि विक्रीत भूमि सीलिंग अधिनियम की धारा 20 व 10(3) से तथा गोल्डन फोरेस्ट, पर्ल कम्पनी, चाय बागान, राजा कुंवर चन्द्र बहादुर, टिहरी बांध परियोजना आदि–आदि से सम्बन्धित नहीं है।

6. यह कि विक्रीत भूमि मुख्य सहस्त्रधारा मार्ग तथा कैनाल रोड से 350 मीटर से अधिक दूर तथा समस्त प्रमुख मार्गों से 350 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

7. यह कि विक्रीत भूमि का सर्किल रेट की दर निबन्धन उप–जिला देहरादून नगरीय क्षेत्र प्रथम की पृष्ठ सं. 15 की क्रम सं0 4(डी/4) मौजा कण्डोली, जिला देहरादून पर रूपये 16,000/– प्रति वर्गमीटर है जोकि 15 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण सर्कल रेट की दर रूपये 16,000/–प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि का मूल्य रूपये 14,10,000/–है। क्रेता महिला है तथा स्टाम्प शुल्क में प्रथम बार छूट ले रही है। जिस कारण स्टाम्प शुल्क विक्रय प्रतिफल रूपये 3.75 प्रतिशत की दर से रूपये 52,900/–का अदा किया है। जिसका ई–स्टाम्प सीट नं. e-Stamp Certificate No. IN-UK65735501299362V DATED 27.07.2023 है।

8. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण उत्तरांचल सरकार द्वारा पारित अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू एवं प्रभावी नहीं होते हैं।

9. यह कि प्रश्नगत भूमि/सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

10. यह कि विक्रीत भूमि का Latitude Number 30.3468980 & Longitude Number 78.0656450 है।

क्रेता का नाम : श्रीमती रेखा थापा

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

कनिष्ठिका | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगुष्ठ

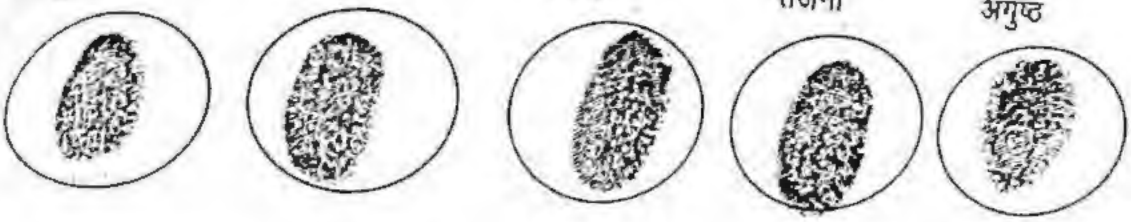

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुश्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका

क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी सं० 1 –
श्री गोपाल थापा
पुत्र श्री मोहन लाल
निवासी– 144, राजीव नगर,
तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड,
जिला देहरादून।
आधार सं. 8608 5693 0225

साक्षी सं० 2 –
श्री कमल किशोर
पुत्र श्री तेजपाल सिंह
निवासी– राजपुर रोड, शिव मन्दिर के पास
राजीव नगर, तरली कण्डोली, जिला देहरादून।
आधार सं. 2570 9090 1856

यह विक्रय पत्र क्रेता एवं विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा रचित कर मेरे कार्यालय में टंकित किया गया है।

रनीत बंसल एडवोकेट, जिला देहरादून।

नक्शा नज़री

विवरण विक्रीत भूमि – भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकवा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता – श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारेआम श्री धनीष रावत।

क्रेता – श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा

NOT TO SCALE

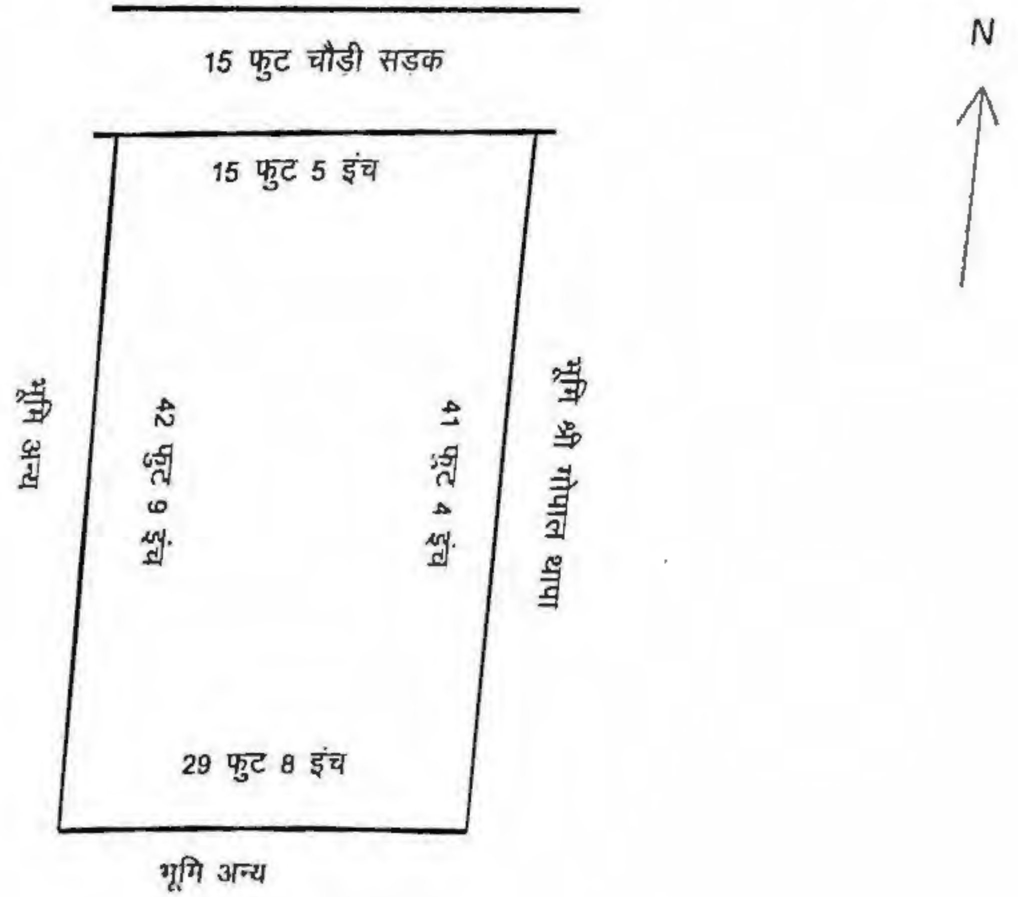

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

वही संख्या 1 जिल्द 6,425 के पृष्ठ 77 से 104 पर क्रमांक 8594 पर आज दिनांक 27 Jul 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
27 Jul 2023

नक्शा नज़री

विवरण विक्रीत भूमि – भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं0 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता – श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारेआग श्री धनीष रावत।

क्रेता – श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा

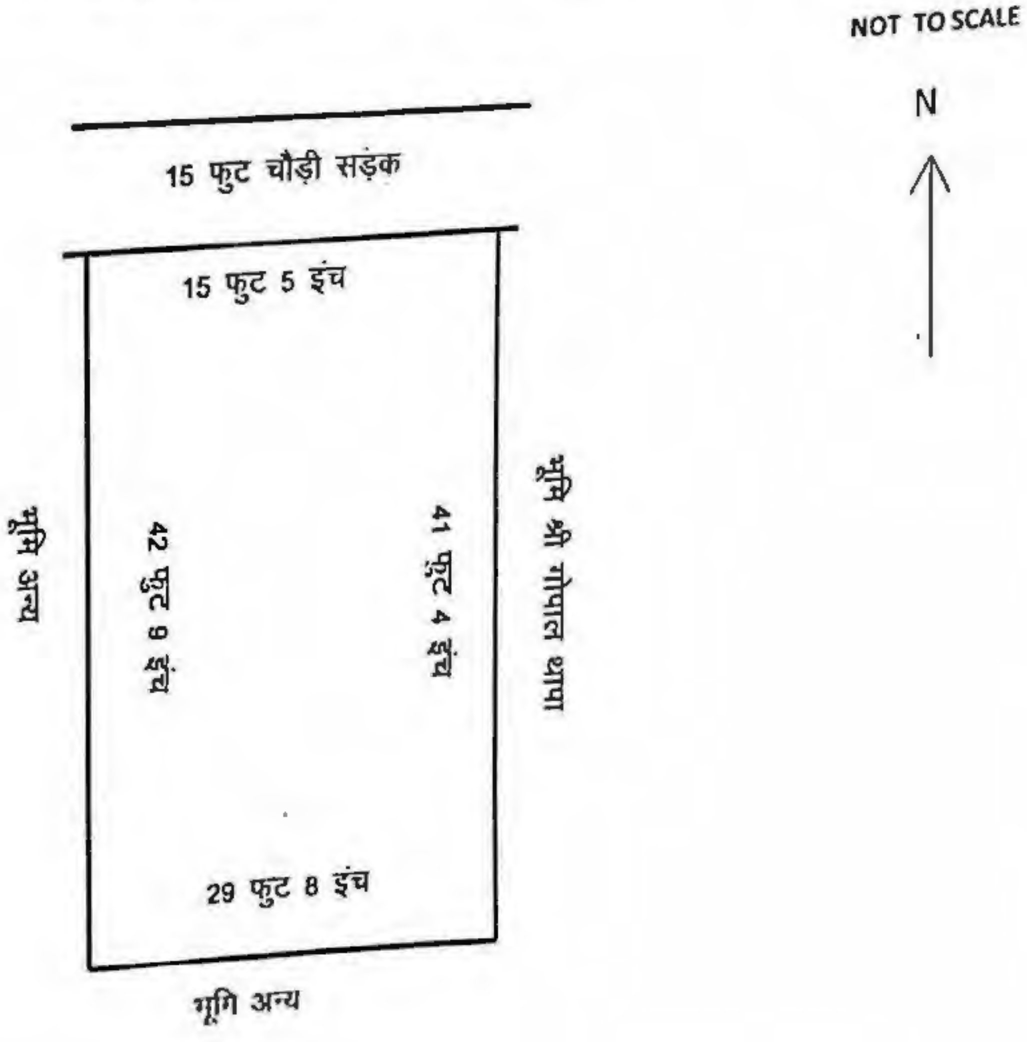

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 729 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती उदली दवी पत्नी श्री प्रताप सिंह
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा – वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– सड़क
2. पश्चिम– नदी
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11 / 03 / 2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05 / 2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

16,388 28-04-2011

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Adhoiwala

प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क)(ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री न0 1800 180 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाईट
http//ujs.uk.gov.in

त संख्या [redacted]

उपभोक्ता स [redacted]

मांग संख्या [redacted]

नाम 1,122 /

पता राजीव नगर कण्डोली

योजना का नाम

संयोजन की श्रेणी Low Head/DOM/15

वितरण तिथि	बिल की अवधि से	तक	माह	बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
17-08-2020	04 / 2020	07 / 2020	4	31-08-2020	07-09-2020

बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/प्रतिमाह	अग्रिम
Avg.						25000	33.00

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	1,319.00		3,705.00	5,024.00			
सीवर सीट							
डिस्आनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,319.00		3,705.00	5,024.00	68.00 / 33.00	54.00	4,977.00

दिनांक 7/9/20 को पानी के बिल जमा किये जायेंगे। कैम्प शिव मन्दिर राजीव नगर

1124

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नही होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान नही करने [illegible] अवधि के लिए 1.5 % मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 सी0 आई0 सी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। [illegible] विलम्ब

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधिशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

3268

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 710/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक– 22/05/24

सेवा में,

श्री रवि राय पुत्र श्री ओम पाल राय
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा न0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा – **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– सडक
2. पश्चिम– नदी
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
बिल रिवीजन CC-BR

खंड संकेत	बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	बिल संख्या
[redacted]			
		EP0157	

निर्धारण देय तिथि	निर्धारण यूनिट	माह	अन्य देय	कोड

	गत वर्षो	चालू वित्त वर्ष	कोड
यूनिट			
निर्धारण			
अधिभार			

कैश के अतिरिक्त लेखों के लिए A तथा ऋणों के लिए S करें

ख0लै0 (रा0) — सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
भुगतान रसीद पत्र

खण्ड संकेत	बुक संख्या		
[redacted]			
बिल तिथि	1 देय तिथि तक देय	2 देय तिथि के बाद देय*	
230309	*****335.0	*****335.0	

प्राप्त धन राशि	रसीद बुक संख्या	पृष्ठ संख्या	भुगतान तिथि

कैशियर — ख0लै0 (रा0) — सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस

बिल चैक/कैश द्वारा खण्डीय क्षेत्र की किसी भी PNB शाखा के काउंटर पर अथवा कलेक्शन बाक्स में डालकर जमा किया सकते है।

भुगतान स्वीकार्य बैंक	निकासकर्ता बैंक

बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	रीकवेरी नं0	बिल संख्या	माह	उपभोग की अवधि से	तक	बिल तिथि	देय तिथि	विच्छेदन तिथि
[redacted]									

खण्ड संकेत	खण्ड का नाम	सी0 आई0 नं0	परिसर स्वामित्व	विद्युत प्रकार	स्वीकृत भार कि.वा.	वोल्टेज	पी.एफ.	बिल प्रकार
971	EDD(R) DEHRADUN			10	1.000			MD

मीटर संख्या	मीटर प्रकार	सिक्योरिटी	वर्तमान रीडिंग	मीटर गुणांक	मीटर्ड यूनिट	निशा/प्रो.नि.यूनिट	समायोजित यूनिट	कुल देय यूनिट	निरस्त डिमांड
EP0157		3084	003222	1.0	138			138	

SRI / SMT

OM PAL SINGH
MUNNA LAL RAI
RAJEEV NAGAR KANDOLI
DEHRADUN

(DOMESTIC)

प्रति जमानत राशि (+/-)	जमानत पर ब्याज	अस्थाई कुल जमा	कुल माह	औसत यूनिट
100				61

जमा जमानत राशि	बिल समायोजन	अगली सम्भा रीडिंग तिथि	अधिभार की माफी
300		280309	

बिल का विवरण		मूल्य रु. में
1. विद्युत मूल्य	दर 2.00	276.00
2. एम0सी0जी0 का विद्युत मूल्य पर अधिक		30.00
3. फिक्सड/डिमान्ड चार्जेज	दर 15.00	
4. फिक्सड/डिमान्ड चार्जेज (स्वी. भार से अधिक भार पर)		
5. वोल्टेज सप्लाई पर छूट/अधिभार (-/+)		
6. M.डी0/एल0पी0एफ अधिभार (+)		
7. सोलर वाटर हीटर छूट ( )		
8. अस्थाई जमा समायोजन/माह (-)		
9. अन्य देय		
10. उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति (-)		
11. विद्युत कर	.15	20.70
12. वर्तमान देय (1 से 11 का योग)		326.70
13. वर्तमान विलम्ब भुगतान अधिभार		8.26
14. [illegible] बिल की देय धनराशि		650.00
15. कुल देय (12 से 14 का योग)		984.96
16. पिछले बिल भुगतान का विवरण	0862[illegible]10 240209	650.00
17. देय तिथि तक कुल देय (15 - 16)		335.00

अवशेष का विवरण

	गत वर्ष	अवधि	वर्तमान वर्ष	अवधि
यूनिट				
अधिभार				
निर्धारण				

01/07 02/07 03/08 04/08 05/08 06/08
138 147
07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
104 174 140

दिनांक	दिनांक तक	दिनांक के बाद
070509	070509	220509
339.00	339.00	343.00

चेतावनी : [illegible]

आपातकालीन स्थिति में — मेडिकल — पुलिस — आग — निरीक्षण सेवा — 108 — 1112

सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड

भारत सरकार

Government of India

आधार

Issue Date: 01/07/2012

रवि राय

Ravi Rai

जन्म तिथि/DOB: 08/05/1993

पुरुष/ MALE

[redacted]

VID : 9170 9390 2157 8986

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
S/O ओमपाल राय, राजीव नगर, तरली कंडोली, देहरादून,
देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

Address:
S/O Ompal Rai, Rajeev Nagar, Tarli Kandoli,
Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248001

[redacted]

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 731/..... /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती नीलम पत्नी श्री ओम वीर
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा – **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– सड़क
2. पश्चिम– नदी
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त** आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

वसीयतनामा

मैंकि श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी 356 राजीवनगर, तरली कण्डोली पो0ओ0 कण्डोली चिडोवाली जिला देहरादून का हूँ। ——वसीयतकर्ता

विदित हो कि मेरी उम्र लगभग 61 वर्ष है, मैं नेवी से सेवानिवृत हूँ इस समय मैं हार्ट का मरीज हूँ तथा मुझे अधरंग हो गया है। तथा गुर्दे भी खराब हो गये है। मैं इस समय श्री महन्त इन्द्रेश होस्पीटल पटेलनगर जिला देहरादून में भर्ती हूँ वहाँ पर ही मेरा इलाज चल रहा है। अक्सर देखा गया है कि मरने के बाद मरने वाले की सम्पति के स्वामित्व की बाबत झगडा फिसाद हो जाता है इससे मरने वाले की आत्मा को शान्ती नही मिलती हैं। इस कारण सब बातो को अच्छी प्रकार से जानते, सोचते, समझते हुए, बिना किसी जोर व दबाव के, स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में यह वसीयतनामा लिखा रहा हूँ।

विदित हो कि मैं वसीयतकर्ता इस वसीयतनामा के अन्त में वर्णित सम्पूर्ण सम्पति का स्वामी अधिकारी हूँ। यह सम्पति हर प्रकार के भार बन्धन, कुर्की, जमानत, व वाद विवाद आदि से मुक्त है इस सम्पति के वसीयतनामा करने के पुरे अधिकार मुझे प्राप्त है।

विदित हो कि मेरी पत्नी श्रीमती कस्तुरी का देहान्त करीब 4 साल पहले हो चुका है। मेरा एक लडका ओमवीर है तथा मेरी पुत्रवधु का नाम श्रीमती नीलम हे। मेरी एक पुत्री ओमवती है। मेरी पुत्री ओमवती की शादी हो चुकी है। वह अपने घर में सुखी है। लडकी को अब इस वसीयत द्वारा कुछ नही देना चाहता हूँ। मेरा पुत्र ओमवीर व उसकी पत्नी श्रीमती नीलम मेरी बहुत सेवा करते है। मैं इनकी सेवा से बहुत खुश हूँ। मेरा खाना, कपडा, दवाई आदि का भी यही प्रबन्ध करते है। तथा मै इस समय अस्पताल में भर्ती हूँ यहाँ भी यह दोनो ही मेरी देखभाल कर रहे है। मैं अपनी सम्पूर्ण सम्पति व अन्य चल व अचल सम्पूर्ण सम्पति जो जो मेरे नाम पर है व भविष्य में मुझे प्राप्त होने वाली है व विभाग से सेवा निवृत होने के बाद भी मुझे विभाग से रूप्या प्राप्त होना है वह सब को भी प्राप्त करने की अधिकारी मेरी पुत्रवधु श्रीमती नीलम ही होगी अर्थात मैं अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति की वसीयत अपनी पुत्रवधु श्रीमती नीलम के ही हक में करता हूँ। इसको ही मेरी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति के पूरे स्वामित्व हक व हकुक, उपयोग, उपभोग, विकय आदि के पूरे अधिकार मेरे ही समान मेरी मृत्यु के बाद प्राप्त होगे।

रघुवीर

यहकि यह स्पष्ट किया जाता है कि मैं अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण सम्पति का स्वामी, अधिकारी, काबिज पूर्वतः ही रहुंगा यह वसीयत मेरी मृत्यु के बाद ही प्रभावी व लागु होगी।

यहकि इस सम्पति की बाबत यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है इस वसीयतनामा के समक्ष यदि कोई अन्य वसीयत या स्वामित्व प्रदर्शित करने वाला लेख आदि रख कर अपना स्वामित्व प्रदर्शित करेगा, तो वह सब काबिले निरस्त होगा, मात्र यह वसीयतनामा ही मेरी मृत्यु के बाद प्रभावी व लागु होगा।

विवरण सम्पति जिसकी वसीयत की है।

सम्पूर्ण सम्पति जिसका सम्पति सं0 356 राजीव नगर कण्डोली, दून विहार, देहरादून जिला देहरादून जिसमें दो कमरे, एक कीचन, एक लेट्रीन/बाथरूम टीनशेड निर्मित है, सीमायें निम्न है--

पूरब--मकान बिट्टू
पश्चिम-- मकान प्रकाश
उत्तर--सडक
दक्षिण--मकान प्रकाश

एंव सम्पूर्ण बैंक बेलेन्स व अन्य चल व अचल सम्पूर्ण सम्पति जो जो मेरे नाम पर इस समय है व भविष्य में प्राप्त होने वाले है।

अतःयह वसीयतनामा आज दिनॉक 2-7-2016 को स्थान जिला देहरादून में बमध्य गवाहन लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवें।

इति ————————

1116

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन में फिंगर प्रिन्टस

बायें हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | छोटी

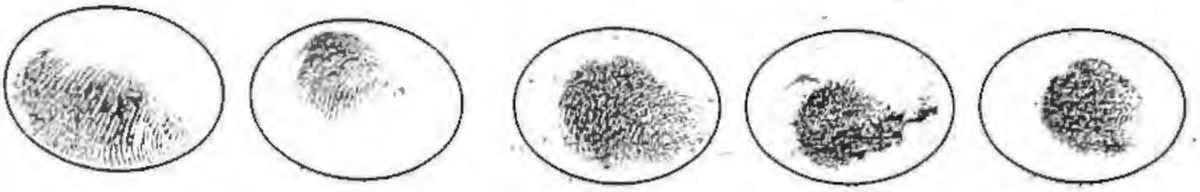

दाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुठा | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | छोटी

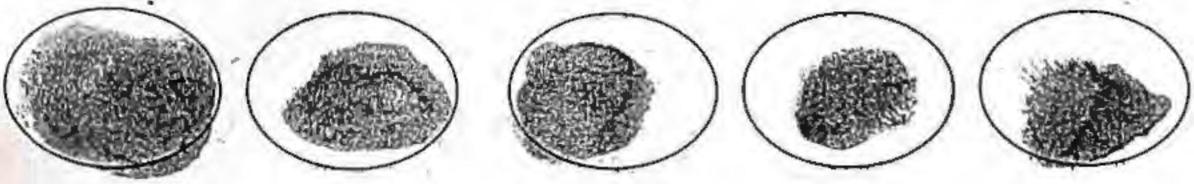

रघुवीर

वसीयतकर्ता———

वसीयतकर्ता ने गवाहन के समक्ष यह वसीयतनामा अच्छी प्रकार से पढ कर सोच समझ कर स्वस्थ मन व इन्द्रियो की दशा में अपने अंगुलियों के चिन्ह लगाये है व व गवाहन ने वसीयतकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है। अर्थात प्रत्येक ने एक दूसरे के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर व अंगुलियों के चिन्ह लगाये है।

गवाह जितेन्द्र सिंह

① जितेन्द्र सिंह S/O कृपा सिंह निवासी - राजीव नगर कण्डोली देहरादून

DL No: UK[redacted]

गवाह——— ओमवीर

② ओमवीर S/O रघुवीर निवासी - 356 राजीव नगर देहरादून

आधार न. - [redacted]

रचयिता– श्री सुशील कुमार राज एडवोकेट देहरादून

बही संख्या 3 रजिस्ट्रीकरण संख्या 368 वर्ष 2016

Will
Will

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 100.00	रु0 10.00	रु0 160.00	रु0 270.00	1,000

श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून ने आज दिनांक 31 Aug 2016 समय मध्य 4PM व 5PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया।

रघुवीर

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
31-Aug-2016

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून \ ने प्रलेखातुसार निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कृपा सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून तथा श्री ओमवीर पुत्र श्री रघुवीर निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
31-Aug-2016

बही संख्या 3 रजिस्ट्रीकरण संख्या 368 वर्ष 2016

रघुवीर | जितेन्द्र सिंह | ओमवीर

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून,तृतीय
31 Aug 2016

वही संख्या 3 जिल्द 91 के पृष्ठ 95 से 110 पर क्रमांक 368

पर आज दिनांक 31 Aug 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
31 Aug 2016

3278

35.20
1075

उत्तरांचल जल संस्थान

जलमूल्य बिल / जलकर / सीवर कर / सीवर सीट
एवं विच्छेदन नोटिस

Rajpur (2006-2007)

Water Tax / Sewer Tax / Sewer Seat Period (1.4.06 to 31.3.07)

चेतावनी : प्रस्तुत बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उ0प्र0 [illegible] एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–72(1)(ए) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदन किया जा सकता है।

UN PH 2721052

[redacted]

रघुवीर सिंह
ईश्वरी

राजीव नगर . कण्डोली
1A/ 01A /कण्डोली / 11B-6-

DOMESTIC
1/2
8/96

390 /18

बिल की अवधि			देय तिथि	विच्छेदन तिथि
से	तक	माह		
8/2006	3/2007	8	18/1/07	31/1/07

वार्षिक मूल्यांकन	औसत उपभोग/ वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त मात्रा	जलमूल्य	निःशुल्क वृत्ति (–)	अग्रिम जमा समायोजन (–)	शुद्ध देय
0	0			774.00			774.00

विवरण	वर्तमान मांग	अन्य मांग/ अन्य देय	मीटर किराया	अवशेष	पूर्ण योग	छूट (देय तिथि तक) (–)	शुद्ध मांग
जल मूल्य	774.00				774.00	77.00	697.00
जल कर							
सीवर कर							
सीवर सीट							
कुल योग	774.00				774.00	77.00	697.00

— बिल प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर भुगतान करने पर ही छूट देय होगी।
(बिल लिपिक)
सहायक अभियन्ता / जलकल अभि[illegible]
उत्तरांचल जल सं[illegible]
चूक लेनी देनी)
लिए कृपया पीछे देखिए)

1135

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 732 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बाल चन्द
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा न0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा – **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– सडक
2. पश्चिम– नदी
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन सख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम मे अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
c/c देहरादून।

3280

[redacted]

EP9171

0906 ******2063.00 ******2063.00

पूर्विट		
नियमित		
अधिकतम		

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत बिल एवं बिलिंग सूचना

JA:	0	FB:	118	MR:	0	AP:	70	MY:	0	JN:	126
JU:	0	AG:	112	SP:	0	OC:	140	NV:	0	DC:	112

[redacted]

971	EDD(R7 DEHRADUN	10	1.000	220

मीटर संख्या	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	मीटर गुणांक				कुल उपभोग	
EF9171	001366	001478	0001.	112			112	MU

BAL CHAND
MUNNA LAL
KANDOLI
RAJEEV NAGAR
DEHRADUN

1 विद्युत मूल्य	2.00	224.00
2 फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज		
3. विद्युत कर	.15	16.80
4. मीटर किराया		
5.		
6 विलम्ब भुगतान अधिभार		43.82

300.00

300

07	411.19	23.46		2063.00	2063.00

1341.00
1.95
EC-ED-ADJ .00 AFTER DATE 041106 2087.92
AFTER DATE 201106 2112.84

1137

उत्तरा[illegible] लि0

बिल सं0 [redacted]

[redacted] बिल तिथि [illegible]9-12-15

खाता सं0 [illegible]4

12-10-15 से 19-12-15 तक

ग्रुप 1 माह 02 बिल 12/2015

RURAL_DEHR | उपखण्ड IT PARK

देय तिथि 03-01-16 | विच्छेदन तिथि 02-02-16

नाम BAL CHAND

पता KANDOLI
RAJEEV NAGAR
RURAL_DEHRADUN

शहर		स्वीकृत भार	1.00KW
मीटर सं0	22947885	मीटर गुणांक	1
श्रेणी	DOMESTIC	सप्लाई प्रकार	10

रीडिंग

	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	बिल्ड यूनिट
Kwh	6118	6599	481
Kvah			
PF :	0.85	बिल आधार	MU

बिल विवरण		राशि ₹ में
विद्युत मूल्य	@2.40/2.90	1367.80
एम.सी.जी. (अतिरिक्त)	3.80/4.00	
फिक्स्ड चार्ज दर	70.00	140.0
विलम्ब चार्ज (अधिभार)		
वोल्टेज पर छूट/अधिभार (+/-)		
FuelChrg(0.05):		24.05
सोलर वाटर हीटर छूट		
अस्थाई जमा समायोजन/भार(-)		
अन्य देय		
उपभोक्ता का क्षतिपूर्ति		
विद्युत कर @	0.15	72.15
अतिरिक्त अधिभार		8.00
वर्तमान योग		1612.00
पिछले बिल की देय धनराशि		0.00
विलम्ब शुल्क अधिभार		0.00
कुल देय		1612.00
ISD:		0.00

पिछले बिल के 1592.00(20-10-2015)

बिल भुगतान राशि

18-01-2016	तक	₹ 1612.00
18-01-2016	बाद	₹ 1632.00
02-02-2016	1124	₹ 1652.00

COUNTERFOIL

Indane
IndianOil
SAFE RELIABLE CONVENIENT

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
(Marketing Division)

स्टेशनरि क्रमांक Stn. No.	Running Sl. No. 5521
प्रपत्र संख्या Form No.	
कागजात प्रकार Doc. Type	[redacted]
संख्या Number	
दिनांक Date	

स्टेट कार्यालय State Office	Uttar Pradesh SO - II BAREILLEY AO

वितरक Distributor

नाम Name	VALLEY GAS SERVICE
पता Address	52/4- DILA RAM BAZAR RAJPUR ROAD DEHRADUN Tel:0135-2741458,9411361155,
कोड Code	[redacted]

अन्तरण करनेवाला वितरक Transferee Distributor

नाम Name	
पता Address	
कोड Code	

ग्राहक Customer

नाम Name	BAL CHAND, SH
पता Address	S/O SH MUNNA LAL RAJEEV NAGAR TARLI KANDOLI KANDOLI
पिन कोड Pin Code	[redacted]
श्रेणी Category	DOMESTIC - DOUBLE
उपभोक्ता क्र. Consumer No.	[redacted]

उपस्कर प्रकार Eqpt. Type	श्रेणी Category	सं. No.	दर रु. Rate (Rs.)	धनराशि रु. Amount (Rs.)
सिलेंडर Cylinder	14.2 KG	1	900	900.00
	14.2 KG	1	1250	1250.00
रेगुलेटर Regulator	PR	1	100	100.00
			कुल Total	2250.00

धनराशि शब्दों में Amount in Words	Rupees Two thousand two hundred fifty only.

पिछला कागजात Previous Document

प्रकार Type	STV
संख्या Number	[redacted]
तारीख Date	05/10/2010
तेल कम्पनी Oil Company	IOC

रेगुलेटर Regulator

मेक Make	PRABHA
क्र. सं. Sr.No.	[redacted]
टिप्पणी Remarks	SV Against Self TV - Single to DBC

[redacted]

उपस्कर प्रकार Eqpt. Type	गायब Lost	खराब वापस किया Returned Defective
सिलेंडर Cylinder		
रेगुलेटर Regulator		

Bal Chand

ग्राहक के हस्ताक्षर
CUSTOMER'S SIGNATURE

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. वितरक के हस्ताक्षर और मुहर
ON BEHALF OF INDIAN OIL CORPORATION LTD.
DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP

DoB:1986-06-30, P/D:RATION CARD AVAILABLE, Tel:9808840700

1125

Terms and Conditions printed overleaf are applicable for SV and TSV only.

...ered Office & Marketing Division Head Office : Indian Oil Bhavan G-9 Ali Yavar Jung Marg Bandra (East)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 733 /एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 22/05/24

सेवा में,

श्री हरि ओम पुत्र श्री चन्द्रपाल
कंडोली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **कंडोली** के खसरा नं0 1 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा – **वर्गमीटर** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– सड़क
2. पश्चिम– नदी
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्ज़ा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

3284

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

[redacted]

नाम : हरि ओम

Name : HARI OM

पिता का नाम : चन्द्र पाल सिंह

Father's Name : CHANDRA PAL SINGH

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु : 10/01/1979 / 38

Date Of Birth/ Age

पता : म.नं.382, तरली कन्डोली राजीवनगर, पो.- कण्डोली, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.382, Tarli Kandoli Rajeevnagar, P.O- Kandoli, Teh - Dehradun, Dist.- Dehradun-248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

Electoral Registration Officer

Date : 20-12-201[illegible]

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 92 - [illegible]

Part No and Name : 92 - [illegible]

[illegible]

नोट / Note :

[illegible]

[illegible] of this card is no guarantee that you are [illegible] in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

[illegible]

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 734/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0–417–2022/2024–25 दिनांक:– 27/05/24

सेवा में,

श्रीमती कलावती पत्नी श्री दीवान सिंह
चिडोंवाली
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **चिड़ोंवाली** के खसरा नं0 **93** श्रेणी **6–1** नदी रिस्पना रकबा 130 **वर्गफीट** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– सड़क
3. उत्तर – मकान
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11/03/2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

3286 कलावती

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Adhoiwala

प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क)(ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री न0 1800 180 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाईट http//ujs.uk.gov.in

बिल सं[redacted]

उपभोक्त[redacted]

मांग सं[redacted]

नाम श्रीमती कलावती देवी / श्री दीवान सिंह खडवाल

पता 91 / चिड़ोवाली - D 049

योजना का नाम

संयोजन की श्रेणी Low Head/DOM/15

वितरण तिथि	बिल की अवधि से	तक	माह	बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
04-03-2024	12 / 2023	03 / 2024	4	18-03-2024	22-04-2024

बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर/प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/प्रतिमाह	अग्रिम
Avg.						20000	

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	1,295.00			1,295.00			
सीवर सीट							
डिस्आनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,295.00			1,295.00	55.00 /		1,240.00

दिनांक 6/3/24 को पानी के बिल जमा किये जायेंगे।
शिव मन्दिर–चिड़ोवाली ग्राउन्ड

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 1.5 % मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 डी0 बी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान

1143

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

[redacted]

निर्वाचक का नाम : कलावती देवी
Elector's Name : Kalavati Devi
पति का नाम : दिवान सिंह
Husband's Name : Diwan Singh
लिंग / Sex : महिला/ Female
1.1.2011 को आयु
Age as on 1.1.2011 : 41

[redacted]

पता म.सं. : 72
गली/मोहल्ला : चिडोवाली
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा. : कण्डोली
थाना : रायपुर
पोस्ट ऑफिस : कण्डोली पिन –248001
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 72
Street/Mohalla : Chidowali
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Kandauli
Police Station : Raipur
Post Office : Kandoli Pin - 248001
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 24 Dec 2010 15/699

22–मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency

[illegible]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या– 735 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0–417–2022 / 2024–25 दिनांकः– 22/05/24

सेवा में,

कुंवर सिंह लखन सिंह

श्री ~~हुसैन अहमद~~ पुत्र श्री ~~अलीहसन~~

चिडोंवाली

देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 / 05 / 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम **चिडोंवाली** के खसरा नं0 93 श्रेणी 6–1 नदी रिस्पना रकबा 260 **वर्गफीट** भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब– मकान
2. पश्चिम– सड़क
3. उत्तर – सड़क
4. दक्षिण– मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0–1789 दिनांक 08 / 05 / 2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या – 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02 / 06 / 2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर **दिनांक 11 / 03 / 2016** के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप **दिनांक 30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11 / 03 / 2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या–417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25 / 07 / 2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

3289

17,947 28-04-2011

बिल संख्या [redacted]
उपभोक्ता स
मांग संख्या
कुवर सिंह / लखन सिंह
नाम
93 /
पता
चिडोवाली - D 050
योजना का नाम
संयोजन की श्रेणी Low Head/DOM/15

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Adhoiwala

प्रत्येक [illegible] का भुगतान देय तिथि तक [illegible] उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क,(ग)) के अन्तर्गत बिल में दर्शाई गयी [illegible] [illegible] बिना किसी अतिरिक्त सूचना के [illegible] संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री न0 1800 180 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाईट http//ujs.uk.gov.in

वितरण तिथि	बिल की अवधि से	तक	माह	बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
04-03-2024	12 / 2023	03 / 2024	4	18-03-2024	22-04-2024

बिलिंग का प्रकार	वार्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपभुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अग्रिम
Avg.						20000	

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	विलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	1,295.00			1,295.00			
सीवर सीट							
डिस्ऑनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,295.00			1,295.00	55.00 /		1,240.00

दिनांक 6/3/24 को पानी के बिल जमा किये जायेंगे। कैम्प शिव मन्दिर-चिडोवाली [illegible]

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 1.5 % मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 डी0 बी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

1146

Annexure E

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून।

(नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट परियोजनों की भूमि पर 413 अवैध अतिक्रमणों में से ध्वस्त किये गये/हटाये गये 66 अवैध अतिक्रमण/निर्माणों का विवरण)

क्र0सं0	नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार क्र0सं0	अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं0	अतिक्रमण का प्रकार	विवरण/कृत कार्यवाही
1	3	श्रीमती राखी क्षेत्री पत्नी श्री अमर क्षेत्री	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
2	12	श्री जगजीवन पुत्र श्री शियाराम	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
3	15	श्री फूल चन्द्र पुत्र श्री रागायण मोर्य	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
4	35	श्री रामू कबाढ़ी	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
5	36	मौ0 नीजाम	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
6	37	श्री मनोज पुत्र श्री झंकरू चौधरी	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना प्रदर्शित हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

मुख्य अभियन्ता
म0 दे0 वि0 प्राधि0
देहरादून।

7	39	श्री राजकुमार	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
8	46	श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री जगप्रसाद	काठ बंगला, भाग–2	ढ़ाकपट्टी	672मि0	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
9	54	श्री रमेश पुत्र श्री ननवा हनुमान	काठ बंगला, भाग–6	ढ़ाकपट्टी	672मि6	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
10	81	श्रीमती शौभा देवी पत्नी श्री सुरेश चन्द	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
11	85	श्रीमती संगीता पत्नी श्री मुकेश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
12	98	श्री धर्म सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
13	99	श्रीमती कुसुम कला पत्नी श्री ब्रहमदेवा	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
14	100	श्रीमती दीप माला पत्नी श्री हर्षवाल सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
15	101	श्री दिनेश पुत्र श्री रमेश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
16	102	श्री सुमित पुत्र श्री जय सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

17	106	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री धर्मवीर सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
18	110	श्रीमती बबिता पत्नी श्री बिहारी	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
19	111	श्रीमती सुनैना पत्नी श्री विनोद	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
20	117	श्री राजकुमार पुत्र कामेश्वर	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
21	126	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
22	129	श्रीमती सीता पत्नी श्री तिलक राम	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
23	131	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री राकेश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
24	133	श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री यवल, तरला नागल	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
25	134	श्रीमती संजीता पत्नी श्री रामू	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
26	153	श्री राम गोपाल पुत्र श्री भीकारी	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

27	157	श्रीमती सालू मलिक पत्नी श्री एम0एस0 मलिक	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
28	158	श्रीमती गीता पत्नी श्री छोटेलाल	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
29	161	श्रीमती आशा पत्नी श्री राम प्रकाश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
30	162	श्री शत्रुघन महेता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
31	163	श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री पलटन महेता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
32	164	श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी श्री मुकेश गुप्ता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
33	168	श्री वसीम पुत्र श्री मौ0 गुलजार	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
34	169	श्री रमन पंडित पुत्र श्री सुमन	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
35	186	श्री शैलेश गोड पुत्र श्री पी0पी0 गोड	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड़	ढोकपट्टी पुल	672	पक्का लिंटर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
36	188	श्री सौरभ माकिन	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड़	ढोकपट्टी पुल	675	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तसदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

37	190	श्री मनोज सोनकर पुत्र श्री कुलदीप	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड़	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
38	192	श्री श्यामलाल मौर्य पुत्र श्री बाबूलाल	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
39	194	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
40	211	श्री बृज किशोर पुत्र श्री कपिल देव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
41	216	हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम)	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
42	220	श्रीमती फरजाना परवीन पत्नी श्री रहमदुल्ला	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
43	231	श्री राम तीरर्थ मौर्य पुत्र श्री बिच्चू लाल शर्मा	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
44	241	श्रीमती पिंकी पत्नी श्री ब्रजेश, वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल, देहरादून।	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड पक्का	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
45	244	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री सुरेश	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड पक्का	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
46	248	श्री रमेश पुत्र श्री अगिरे यादव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

47	252	श्री सदानन्द पुत्र श्री राम चन्द	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
48	255	श्री राम कुवर पुत्र श्री हरी सिंह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
49	268	श्रीमती सोनी मसीह पत्नी श्री जितेन्द्र मसीह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	लिन्टर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
50	270	श्रीमती सतेश्वरी पत्नी श्री मोहन सिंह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टिन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
51	279	श्री विमल भट्ट पुत्र श्री विष्णु	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	पक्का लिन्टर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
52	286	श्री नितिन पुत्र श्री नरेश	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
53	287	श्रीमती मंजू पत्नी श्री सुशील	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
54	290	श्री राजवीर पुत्र श्री राम गुलाम यादव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
55	301	श्रीमती सरोज पत्नी श्री रमेश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शैड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
56	321	श्री छोटे लाल पुत्र श्री तुला राम	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शैड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

57	322	श्री राहुल पुत्र श्री हरलाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शैड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
58	330	श्री संजीव पुत्र श्री कैलाश चन्द	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
59	339	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री प्रकाश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
60	340	श्रीमती ममता पत्नी श्री राकेश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
61	344	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राजुलाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन छप्पर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
62	350	श्रीमती गोवी देवी पत्नी श्री जितेन्द	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
63	354	श्री कपिल पुत्र श्री अमर सिंह	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	बाउंड्रीवाल	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
64	359	श्री जयप्रकाश बंगाल पुत्र श्री मोहन लाल बंगवाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	दुकान/टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
65	376	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रोट बहादुर	कैनाल रोड़ किशनपुर	किशनपुर	161	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनाक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
66	380	श्रीमती सरोज पत्नी श्री बसंत सिंह	कैनाल रोड़ किशनपुर	किशनपुर	161	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनाक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तस्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

मुख्य अभियन्ता
म0 दे0 वि0 प्राधि0
देहरादून।

Annexure F

...ष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागजी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपर ...र आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा ग्राम मकडेती के खसरा सं0 72 श्रेणी 6–1 रिस्पना पर कुल 12 चिन्हित अतिक्रमण की सूची के आधार पर नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा कुल 12 व्यक्तियों को नोटिस प्रेषित किए गए। प्रेषित नोटिसों के क्रम में संबंधित द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर दिनांक 28.06.2024 को स्थल पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं0	व्यक्ति का नाम	अतिक्रमित स्थल का क्षेत्र (वर्गमी0)	नोटिस दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	श्री आशीष गोदियाल	550 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
2	श्री मुकेश सिंह	65 वर्गमी0 (टीन पोश दुकान)	21.05.2024	उक्त अतिक्रमण ग्राम चालंग की सीमा में स्थित है जिस पर कार्यवाही नगर निगम देहरादून व पुलिस प्रशासन द्वारा की जानी है।
3	श्री सौरव मक्कर	144 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	श्री सौरभ मक्कर द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
4	श्री मोनू	138 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	श्री मोनू द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
5	श्री आशीष चन्द	225 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
6	श्री अतुल बनोदा	300 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
7	श्रीमती वैभवी	375 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	एक टीन शैड कमरा/अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
8	श्री पवन कुमार	450 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नगरपालिका मसूरी द्वारा वर्ष 2011 में फूड लाईसेन्स निर्गत किया गया है। फूड लाईसेन्स के आधार पर चाय स्नैक्स की दुकान के रुप में स्थित।
9	श्रीमती पुष्पा देवी	65 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	पुष्पा देवी द्वारा किए गए नवीन निर्माण टीन शैड कमरा व गौशाला के अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
10	श्री मनोज	330 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नवीन रुप से निर्मित आवास/अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
11	श्री अरिवन्द पंवार	78 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	पूर्व से एक कच्चे निवास में निवासरत हैं।
12	श्री अनिल कुमार	352 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से निर्मित गैराज को हटा दिया गया है।

3298

Annexure G

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून।

संख्या 1679 अतिक्रमण 2024 दिनांक 01 जून,2024

विषय– मा० राष्ट्रिय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरन्जन बागछी बनाम उत्तराखड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के समवन्ध में

सेवा में

नगर आयुक्त,
देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1838/भूमि/2024 दिनांक 21.05.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें आपके द्वारा मा0 मा0 राष्टिय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरन्जन बागछी बनाम उत्तराखड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के समवन्ध में मौजा– करनपुर खास में टास्क फोर्स द्वारा उक्त नॉन जे0ए0 की भूमि पर पाये गये 11 अवैध अतिक्रमणो के विरूद्व कार्यावाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है। उक्त कम में टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित भूमि के कम में आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित अवैध अतिक्मण के कम में उक्त 11 व्यक्तियो को इस कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किये गये जिसके कम में उनके द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

क्र0 सं0	विपक्षी का नाम	खसरा न0 /क्षेत्रफल	स्थलीय स्थिति	विपक्षी द्वारा प्रस्तु अभिलेख/अभियुक्ति
1–	अज्ञात/ नरेश	90मि0 रकबा 54वर्ग मी0	मौके पर भूमि रिक्त है विपक्षी द्वारा टीन पोश चार दिवारी की गयी है।	विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर विपक्षी नरेश के द्वारा स्वन् उक्त टीन पोश अवैध अतिकमण को हटा दिया गया है। स्थलीय फोटोग्राफ स्लग्न है, मौके पर वर्तमान मे कोई अतिकमण नही है।
2–	तमन्ना अली पुत्र नाजिर अली	खसरा न0 90 रकवा 110वर्ग मी0	मौके पर पक्का गोदाम है।	विपक्षी को नोटिस तामिल करवाया गया विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया जा चुका है।
3–	अज्ञात/मधू सूदन	खसरा न0 90 रकवा 120वर्ग मी0	मौके पर विपक्षी द्वारा चार दिवारीकी गयी है।	विपक्षी को नोटिस जारी किये गये जिस पर विपक्षी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया व मौके पर स्वम् अवैध चार दिवारी को ध्वस्त करते हुए अवैध अतिकगण को हटा दिया गया है।
4–	अज्ञात	खसरा न0 90 रकवा 78वर्ग मी0	मौके पर भूमि रिक्त है,तथा चार दिवारी से अतिकमण किया गया है।	विपक्षी का पता होने के कारण अतिकमण वाले स्थल पर नोटिस चस्पा किया किया। विपक्षी द्वारा अपना कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया, उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया जा चुका हैं।
5–	मिठुल कुमार पुत्र हरि सिंह	खसरा न0 90 रकवा 120वर्ग मी0	मौके पर पक्का आवासीय भवन निर्मित है।	विपक्षी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि कि वह सरकारी/राजकीय भूमि पर मकान निर्मित नही तथा उक्त

				मकान व्यक्तिगत भूमि पर निर्मित है, जिस पर राज्य सरकार का हित नही है। तथा उक्त मकान नदी से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। साक्ष्य में बैक पास बुक दिनांक अगस्त 2014 तथा गैस कनेक्शन की रशीद अक्टूबर 2015 तथा आधार कार्ड दिनांक 24.01.2016की प्रति प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट है विपक्षी वर्ष 2016 से पूर्व मौके पर निवासरत है। जिस कारण उक्त अवैध अतिक्रमण पर कार्यावाही किया जाना उचित नही है।
6—	प्रेम सिह पुत्र लाल सिह	खसरा न0 90मि0 रकवा 49वर्ग मी0	मौके पर विपक्षी का पक्का आवासीय भवन है।	विपक्षी के द्वारा जारी नोटिस के कम मे अपना जवाव प्रस्तुत किया गया व उक्त अवैध अतिकमण के समवन्ध में उल्लेख किया गया कि वह सरकारी/राजकीय भूमि पर मकान निर्मित नही तथा उक्त मकान व्यक्तिगत भूमि पर निर्मित है, जिस पर राज्य सरकार का हित नही है। तथा उक्त मकान नदी से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। साक्ष्य में मौके का वर्ष 2009 के बैक पास बुक की प्रति व आधार कार्ड वर्ष 2011 प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर वर्ष 2016 से निवासरत होने की पुष्टि के आधार पर प्रकरण मे कोई कायावाही किया जाना उचित नही है।
7—	कृण्णा देवी पत्नी गिरधारी लाल	खसरान0 90 रकवा 40वर्ग मी0	मौके पर कच्चा टीन शैड मकान है।	विपक्षी को जारी नोटिस के कम में उनके द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिकमण की गयी भूमि को हटा दिया गया है, साक्ष्य में मौके की फोटोग्राफ है, इसके अतिरिक्त आवासीय भवन के अतिकमण के सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्ष 1996 का पानी का बिल तथा 1998 का बिजली के बिल की प्रति प्रस्तुत की गयी। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त अवैध अतिकमण जो 40वर्ग मी0 भूमि पर है उक्त को हटा दिया गया है, तथा आवासीय भवन के सम्बन्ध में वर्ष 2016 से पूर्व के निवास के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जिस कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
8—	रामदीन पुत्र	खसरा नं0	कच्चा टीनपोश मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम

1/

	द्वारिका	90मि0 रकबा 80 वर्गमी0		में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, साक्ष्य में फोटोग्राफ संलग्नक है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
9–	सतीश पुत्र शकुन्तला	खसरा नं0 90मि0 रकबा 120 वर्गमी0	कच्चा मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में वर्ष 2008 का बिज्ली का बिल संलग्न किया गया है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
10–	शीला रानी पत्नी श्री चन्द किरण	खसरा नं0 90मि0 रकबा 70 वर्गमी0	पक्का मकान	विपक्षी के द्वारा जारी नोटिस के कम मे अपना जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वह नांन जे0ए0 की भूमि पर काबिज है। जो व्यक्तिगत भूमि है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हित/अधिकार निहित नही है, साथ ही उनके द्वारा मौके पर निवास के सम्बन्ध में माह अप्रैल 2011 का पानी का बिल व दिनांक अक्टूबर 2013 का गैस कनेक्शन का बिल प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी वर्ष 2016 से पूर्व निवासरत है। जिस कारण कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
11–	कन्हैया लाल पुत्र रामलखन	खसरा नं0 90मि0 रकबा 66 वर्गमी0	कच्चा मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम में विपक्षी के द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में वर्ष 2008 का बिजली का बिल संलग्न किया गया है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।

अतःप्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या सेवा में प्रेषित है।

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/ मई, 2024

अज्ञात/बल्द नामालूम
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 ं दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–202 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 ना मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0054है0 भूमि प अवैध अतिकमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरव – नदी
2–पश्चिम – सुरेश का मकान
3–उत्तर – होशियार का मकान
4–दक्षिण – रास्ता

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि अवैध रूप से अतिकमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अ अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिकमण/कब्जे को हटा दि जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेपित।

10/6/24

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

3302

2 3
9

सेवा

एक किता नोटिस नगर निगम
कार्यालय में देकर द०
करा लिये व दूसरी
प्रति खाली जमीन पर चस्पा
कर फोटो खिंचवाली
रिपोर्ट सेवा में सादर है

हस्ताक्षर,
तामील कुनिन्दा
तहसील

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

दिनांक 3/[illegible], 2024

नोटिस संख्या 532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024

तम्मना अली पुत्र नाजिर अली
निवासी करणपुर खारा, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0110है0 भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया हैं जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरव – नदी
2–पश्चिम – सडक
3–उत्तर – खाली भूमि
4–दक्षिण – अन्य का मकान

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिकमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिकमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिकमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेपित।

तमन्ना

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

10/6/24

कार्या...
नोटिस संख्या 534/ए...
श्री, मधु ...
निवासी ...

प्रमाण...

इस तामील नोटिस नजरखास
को देकर दस्तखत
लिये व इश्तहारात
नोट नगर निगम कार्यालय
में देकर दस्तखत लिये
रिपोर्ट सेवा में पेश

18/6/25

नायब नाज़िर ... [illegible]
[illegible] (जज)
[illegible]

r

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या 532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/ मई, 2024

श्री, मधू सूदन जोशी
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0120हे0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – नदी
2–पश्चिम – स्वग का मकान
3–उत्तर – रामकिशोर का मकान
4–दक्षिण – रास्ता

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भॉति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

10/6/24

महोदय

एक पीला नोटिस नगर निगम
कार्यालय से देकर हस्ताक्षर
लिया व दूसरी प्रति नाम खास
को देकर हस्ताक्षर लिये
रिपोर्ट सेवा में पेश है

(विनोद कुमार)
तामील कुनिन्दा
तहसील

कार्यालय नाजिर
तहसील (सदर)
[illegible]

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या/837/एस0 टी0/एन0जी0टी0-2024 दिनांक 31/5/मई, 2024

अज्ञात/बल्द नामालूम
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25-07-2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05-05-2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या-7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या-16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0054है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1-पूरब – नदी
2-पश्चिम – सुरेश का मकान
3-उत्तर – होशियार का मकान
4-दक्षिण – रास्ता

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15-06-2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भॉति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः- अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेपित।

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

पत्र संख्या537/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/24, 2024

श्री, नितुल कुमार पुत्र हरि सिह
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0120है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरव – ढीढाराम का मकान
2–पश्चिम – अन्य का मकान
3–उत्तर – प्रेम सिह का मकान
4–दक्षिण – रास्ता

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

16/6/24

3309

बयान

एक प्रति नो० गृहस्वामी की

माता को देकर ह० कराया

लिये व दूसरी प्रति नो० नगर

निगम कार्यालय में देकर ह०

कराये लिये

परिवार सीता में चस्पा है

विनोद कुमार
तामील कुनिन्दा
तहसील

3310

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

दिनांक 2/6/मई, 2024

नोटिस संख्या532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024

श्री. प्रेम सिह पुत्र लल्लू सिह
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रैणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0049है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – रास्ता
2–पश्चिम – निपुल का मकान
3–उत्तर – दिनेश का मकान
4–दक्षिण – मीरा का मकान

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिकमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

6/6/24

6/6/24

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

महोदय

एक प्रति नोटिस नगर निगम

कार्यालय में देकर द० कराया

लिये व इश्तहार नो० नाम

खास को देकर द० करा लिये

रिपोर्ट सेवा में पेश है

[signature]

तामील कुनिन्दा
तहसील

[signature]
नायब नाजिर
तहसील (जनता)
[illegible]

3312

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/मई, 2024

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी गिरधारी लाल
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकवा 0.0040है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – नंदी
2–पश्चिम – स्वम का मकान
3–उत्तर – रागेश का मकान
4–दक्षिण – होशियार का मकान

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

ह0 उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेपित।

ह0 उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

महोदया

इस शिकायतीय जागरवाल
के पुत्र को देखकर हल
करा दिया व इसकी प्रति
नगर निगम कार्यालय से
देकर हल करा दिया
रिपोर्ट सेवा में पेश है

[illegible]
10.8.24

[illegible]

3314

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या 532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/मई, 2024

श्री रामदीन पुत्र दारिका
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नान मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0080है0 भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – नदी
2–पश्चिम – कनैहया का मकान
3–उत्तर – स्वम का मकान
4–दक्षिण – सतीश का मकान

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिकमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भॉति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

गोविन्द S/o
रामदीन

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

6/6/24

महोदय

एक प्रति नोटिस नगर निगम कार्यालय में देकर ह0 कराये लिये व दूसरी प्रति नोटिस नाम स्थान के पुत्र को देकर ह0 करा लिये

रिपोर्ट सेवा में पेश है

[signature]

[illegible]

[signature] 1/6/24

विनोद कुमार
तामील कुलीन्दा
तहसील

3316

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या 532/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 7/6/ मई 2024

श्री. सतीश पुत्र शकुन्तला।
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0120है0 भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – नदी
2–पश्चिम – रीता का मकान
3–उत्तर – रामदीन का मकान
4–दक्षिण – रीता का मकान

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिकमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भॉति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

माला–नेगु नकल किया

शकुन्तला

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

10/6/24

प्रेषक

एक प्रति नोटिस अग्रवाल की
माता को देकर ह० कराया
लिये व दूसरी प्रति नोटिस
नगर निगम कार्यालय में
देकर ह० कराया लिये
रिपोर्ट सेवा में पेश है

विनोद कुमार
तामील कुनिन्दा

नायब नाजिर
[illegible] (सदर)
[illegible]

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

नोटिस संख्या1327/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024 दिनांक 3/6/ मई, 2024

श्रीमती शीला रानी पुत्र चन्द्र किरण
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नान मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रैणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकवा 0.0070है0 भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – राकेश सूद का मकान
2–पश्चिम – गुड्डू का मकान
3–उत्तर – सुशील का मकान
4–दक्षिण – रास्ता

जिसमे आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा /पक्का मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिकमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिकमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भॉति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

प्रति प्राप्त किया

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

10/6/24

श्रीमान् महोदय

एक किता नोटिस नाम खातून
के पति को देकर द०
करा लिये व दूसरी प्रति
नं० नगर निगम कार्यालय
में देकर द० करा लिये
रिपोर्ट सेवा में पेश है

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

विनोद कुमार
तामील कुनिन्दा

3320

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर देहरादून।

दिनांक 2/6/ मई, 2024

नोटिस संख्या 632/एस0 टी0/एन0जी0टी0–2024

श्री, कन्हैया लाल
निवासी करणपुर खास, देहरादून।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25–07–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05–05–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम करनपुरखास के नांन जेडए के खेवट संख्या–7 नाम मालकान सुशील कुमार आदि खाता संख्या–16 श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि नदी के नाम दर्ज है, आपके द्वारा उक्त जलमग्न भूमि के खसरा न0 90मि0 आपके द्वारा रकबा 0.0066है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसकी चौदही निम्न प्रकार से है।

1–पूरब – नदी
2–पश्चिम – रामदीन का मकान
3–उत्तर – रास्ता
4–दक्षिण – मकान

जिसमें आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर कच्चा मकान निर्माण कर भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 15–06–2024 से पूर्व अपना अवैध अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा लें अन्यथा उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटा लिया जायेगा। इसमें होने वाला व्यय को भू–राजस्व के बकाया की भाँति आपसे वसूला जायेगा।

उपजिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपि:– अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

रजवाल(ना) द्वारा कन्हैया लाल

10/6/24

महोदय

एक प्रति नोटिस नाम खवास की पत्नी को देकर ह० करा लिये व दूसरी प्रति नगर निगम कार्यालय में देकर ह० करा लिये

रिपोर्ट सेवा में पेश है

नायब नाजिर
कलेक्ट्रेट (सदर)
देहरादून

विनोद कुमार
तामील कुनिन्दा
तहसील

3322

Annexure H

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या: 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
देहरादून, दिनांक: 05 मई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक पूर्व में जारी अधिसूचना संख्याः 941/II(2)/2024–06(40)/2024, दिनांकः 07.10.2024 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉं और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा। इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

क्रमशः...2

संख्या: 327 /II(2)/2025-06(40)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वन/शहरी विकास/राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गॉर्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

3324 In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notifiction no. 327 dated 05 May, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Irrigation and Flood Control Section-02
File no-327 /II(2)/2025-06(40)/2024
Dehradun, Dated 05 May, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to allow to sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of Prohibited/ Restricted areas of the previous notification no- 941/II(2)/2025-06(40)/2024, Dated- 07 October, 2024 from Shikhar Fall to the Mothrowala Sangam, banks of Rispana river of district Dehradun, namely:-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/activities regarding embankment/ flood management, mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, water transportation, bridge, foundation and sub-structure for Elevated Road Corridor etc: "Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette, grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.
2.	Restricted Area	Construction/activities related to parks, playgrounds, fisheries, agriculture etc. and temprory/permanent constructions for religious fairs held from time to time shall be permitted with the restriction that proper management of sewerage and solid waste generated by the said activities shall be ensured and No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection shall be caused to done by the Uttarakhand Peyjal Nigam. Reconstruction of the existing constructions in this area which are in dilapidated condition, with existing land coverage of 35 percent, floor area ratio 1:5 and maximum height of the building is 7.50 meter or upto two floors. shall be permitted with the restriction that sewerage system is available in the area. In case the construction is permitted, the minimum plinth level of the building shall be 1.00 meter from the High Flood Level and the proper management of the sewerage system of the area shall be ensured along with the No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection from Uttarakhand Peyjal Nigam will be necessary/required: Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.

By Order,

(Dr. R. Rajesh Kumar)
Secretary

Cont....2

File no- 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
Copy to-

1. Principal Secretary/ Secretary, Forest/Urban development/ Revenue/ Housing Government of Uttarakhand.
2. Commissioner, Garhwal.
3. D.M. /Flood Plain Zoning Authority, Dehradun.
4. Engineer in Chief, Irrigation Department. Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Engineer/ S.E./Ex.Engineer, Irrigation Department, Dehradun.
6. Director, NIC, Uttarakhand Sectariate, Dehradun with the request that please upload soft copy of this notification on NIC Dehradun site.
7. Joint Director, Government printing Press Roorkee with the request that please publish 100 copies of this notification in Genreal gazette and send it to Government.
8. Guard File.

By Order,

(J.L.Sharma)
Joint Secretary.

राजीव कुमार मित्तल, भा.प्र.से.
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
Rajeev Kumar Mital, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

TE-16015/7/2023-O/o ED(TECH) NMCG **Dated: 7th August, 2025**

Subject: *Flood plain identification & demarcation as per the Technical Guidelines issued by CWC– reg.*

Kind reference is invited to The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, dated 07.10.2016, emphasizes the protection of flood plains in the Ganga Basin as an essential component for the rejuvenation and sustainable management of the river. Specific references to Flood plains are outlined under Sections 3(l), 4(ix) and 6(3) of the said Order which, inter-alia, mentions flood plain delineation at 100-yr return period flood, and prohibition of construction activity in the active flood plain, except under exceptional circumstances, as defined.

Attention is also invited to the *"Technical Guidelines on flood plain zoning"* issued by the Central Water Commission (CWC), under Ministry of Jal Shakti, Government of India on 31st July 2025. These guidelines provide structured guidance document for undertaking Flood plain demarcation in respective States. A copy of the said guidelines sent to State Governments by CWC vide their letter File No. T-101013/1/2022-RC DTE/52-81 dated 31-07-2025 is enclosed as ***Annexure-1*** for ready reference.

In light of these comprehensive guidelines, the National Mission for Clean Ganga (NMCG) will align relevant provisions of the 2016 Order, particularly with respect to the delineation/demarcation of flood plains for different flood return periods and the regulation of activities in protected/regulated zones.

It is now expected that the process of flood plain demarcation and its regulation in protected/regulated zones will be streamlined and effectively implemented. And, in view of these, it is requested that concerned officials in the State be directed- (i) to undertake the FPZ works in a timely and effective manner, in conformity with the aforementioned guidelines, & (ii) to submit updated status reports on the FPZ activities and their implementation to NMCG at the earliest.

Yours faithfully,

Encl.: As above

Sd/-

(Rajeev Kumar Mital)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, इन्डिया गेट, नई दिल्ली–110002
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA
1st Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi - 110002
Ph. : 011-23049528, Fax : 23049566, E-mail : dg@nmcg.nic.in

To,

1. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Uttarakhand Secretariat, 4 Subhash Road, Dehradun - 248 001, email: chiefsecyuk@gmail.com
2. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow - 226 001 email: csup@nic.in
3. The Chief Secretary, Government of Jharkhand, Secretariat, Ranchi - 834 004 email: cs-jharkhand@nic.in
4. The Chief Secretary, Government of West Bengal, Nabana (13th Floor), 325 Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah - 711102 email: cs-westbengal@nic.in
5. The Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh, Government Secretariat, Shimla-171 002 email: cs-hp@nic.in
6. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur - 302 005 email: csraj@rajasthan.gov.in
7. The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, MP Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal - 462 004 email: cs@mp.nic.in
8. The Chief Secretary, Government of Haryana, 4th Floor, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh – 160019, email: cs@haryana.nic.in
9. The Chief Secretary, Delhi, Government of National Capital Territory of Delhi, 3rd level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002, email: csdelhi@nic.in
10. The Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur - 492 002 email: csoffice.cg@gov.in
11. The Chief Secretary, Government of Bihar, Government of Bihar, Main Secretariat, Patna-800015 email: cs-bihar@nic.in

Copy (with request to co-ordinate in the matter) to:

1. Project Director, SPMG – Uttarakhand, 117 Indira Nagar, Dehradun – 248 001
2. Project Director, SMCG- UP, Plot No. 18, Sec – 7, Gomti Nagar Extn., Lucknow – 226 010
3. Project Director, SPMG – Jharkhand, Room No. 403, 4th Floor, Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi – 834 004
4. Project Director, SPMG – West Bengal, Unnayan Bhawan (3rd floor), DJ-11, Sector II, Block-A, KMDA, Kolkata – 700 091
5. Project Director, SPMG, Bihar, Patna

Copy to:

1. PPS to Secretary, DoWR, RD & GR
2. PPS to Chairman, CWC

(Rajeev Kumar Mittal)

Annexure J

भारत सरकार
Government of India
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
योजना एवं विकास संगठन
Planning and Development Organization

First Floor, West Block2
R.K. Puram, New Delhi
E-mail : cepd-cwc@nic.in
Ph: 011-29583836

File No. T-101013/1/2022-RC DTE/52-81 Dated : 31-07-2025

OFFICE MEMORANDUM

Floods remains one of India's most persistent and destructive natural disasters, routinely impacting lives, livelihoods, and critical infrastructure across the country. Despite frequent flood events, there has long been an absence of a structured national technical framework to guide floodplain zoning activities, an important non-structural measure to manage floods and its impacts. Recognizing the urgent need to regulate developmental activities within flood-prone areas and mitigate associated risks, the Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti has proactively developed the **Technical Guidelines on Flood Plain Zoning (FPZ)- July 2025.**

These Guidelines have emerged through extensive consultations with Central and State stakeholders, including deliberations at two National Workshops on Flood Plain Management. These are envisioned to serve as a comprehensive framework enabling States and Union Territories to undertake scientific demarcation of floodplain zones—particularly across priority river reaches—and regulate activities therein, anchored in principles of ecological sensitivity and flood vulnerability.

The Central Water Commission (CWC) stands committed to support State(s) towards effective implementation of FPZ across the country through technical assistance to empower stakeholders with the necessary tools and expertise.

The Guidelines are **annexed** herewith for further action. It is requested that States/ UTs undertake follow-up measures in alignment with the Guidelines and periodically apprise CWC of their progress, thereby fostering a coordinated and sustained effort between Central and State governments toward enhanced flood resilience and ecological conservation.

(D.P. Mathuria)
Chief Engineer

To

1. Principal Secretaries, WRD of the States/UTs (as per list attached).
2. Regional Offices of CWC (As per list attached)
3. Engineer-in Chiefs of States /UTs (As per list attached)

Copy for information to:

1. PS to Secretary, DoWR, RD & GR, New Delhi.
2. PS to Secretary, DDWS, CGO Complex, Pragati Vihar, New Delhi-03
3. PS to Chairman, CWC, New Delhi.
4. Chief Secretaries of States/UTs (as per list attached).
5. PS to Member (RM/D&R/WP&P), CWC, New Delhi.
6. Commissioner (FM), CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
7. Director General, National Mission for Clean Ganga, Major Dhyan Chand Stadium, New Delhi-02.
8. Project Director, National River Conservation Directorate, Jor Bagh, New Delhi.
9. Chairman, Brahmaputra Board, Guwahati, Asssam-29.
10. Chairman, GFCC, Sinchai Bhawan, Rajbansi Nagar, Patna-15.
11. Chairman, Upper Yamuna River Board, C Block, Phase 2, Industrial Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201309.
12. Chairman, KRMB, Errum Manzil, Irram Manzil Colony, Punjagutta, Hyderabad, Telangana 500082.
13. Chairman, GRMB, 5th Floor, Jalasoudha, Errum Manzil, Hyderabad-082
14. Project Administrator, Polavaram Irrigation Project, Rajamahendravaram, Andhra Pradesh-125.
15. Director General, National Water Development Agency, 18-20, Community Centre, Saket, New Delhi-17.
16. Chairman, BBMB, sector 19-B, Madhya Marg, Chandigarh-19
17. Chairman, Damodar Valley Corporation, DVC Towers, VIP Road Kolkata-700054.
18. Chairman, TB, Hosapete, Karnataka 583225.
19. Chairman, Narmada Control Authority, Sector B, Scheme No 74, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452010.
20. Chairman, Bansagar Control Board, Chirahula Colony, Madhya Pradesh 486001.
21. Secretary, Betwa River Board, Rajghat Colony, Jhansi, Uttar Pradesh 284003.
22. Director, CWPRS, Sinhagad Road, Khadakwasla, Pune-24
23. Director, CSMRS, Sector 3, Hauz Khas, New Delhi, Delhi 110016

3330

सत्यमेव जयते

TECHNICAL GUIDELINES ON FLOOD PLAIN ZONING

CENTRAL WATER COMMISSION

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

Ministry of Jal Shakti

1187

3332

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

जल शक्ति मंत्रालय

MINISTRY OF JAL SHAKTI

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण पर तकनीकी दिशानिर्देश

TECHNICAL GUIDELINES ON FLOOD PLAIN ZONING

केंद्रीय जल आयोग

CENTRAL WATER COMMISSION

नई दिल्ली

NEW DELHI

जुलाई 2025

JULY 2025

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

देवश्री मुखर्जी
Debashree Mukherjee
सचिव
SECRETARY

सत्यमेव जयते
आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

MESSAGE

Floods are among the most persistent and disruptive natural hazards confronting India, impacting millions and incurring immense socio-economic costs every year. As climate variability intensifies and urban expansion continues unbated, the limitations of purely structural flood mitigation are becoming increasingly evident. We must now embrace a paradigm that embodies ecological sensitivity with scientific precision.

This document, ***Technical Guidelines on Flood Plain Zoning***, is not merely a regulatory preposition-they represent a strategic reimagining of how we can coexist with our rivers. Prepared through robust consultations and grounded in national and international best practices, this document seeks to equip state governments, urban planners, and decision-makers with a standardized yet adaptable framework for delineating, regulating, and restoring the floodplain zones.

I extend my deepest appreciation to the central Ministries, national agencies and state governments whose invaluable technical insights and thoughtful contributions have been instrumental in shaping this foundational document.

I compliment the entire team of Central Water Commission for their tremendous efforts in bringing out this guideline document. Let these guidelines be the catalyst for a more integrated, inclusive, and resilient approach to water and land management across India's riverine landscapes.

(Debashree Mukherjee)

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 / Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23710305, 23715919, Fax : 011-23731553, E-mail : secy-mowr@nic.in, Website : http://www.mowr.gov.in

अध्यक्ष
केंद्रीय जल आयोग
एवं पदेन सचिव
भारत सरकार

Chairman
Central Water Commission
& Ex-officio Secretary to
Govt. of India

FOREWORD

Floods remain among the most devastating natural calamities facing India, recurrently disrupting lives, livelihoods and infrastructure across diverse geographies. While structural interventions have historically formed the backbone of flood management, it is now evident that sustainable flood resilience demands a more holistic, non-structural approach. Flood Plain Zoning (FPZ) has emerged globally as an effective tool-not only to mitigate flood damage, but to preserve ecological integrity and support climate adaptation.

This document, ***Technical Guidelines on Flood Plain Zoning***, represents a significant step forward in translating this policy aspirations into actionable frameworks. Developed under the aegis of the Ministry of Jal Shakti and the Central Water Commission, the guidelines present a comprehensive synthesis of the scientific principles, national experiences and international best practices. They aim to equip the State governments with a clear, implementable road map for floodplain delineation, regulation of activities and ecological restoration.

As India faces increasing urbanization, erratic rainfall patterns and intensifying climate events, the adoption of FPZ becomes not only desirable, but imperative as well. These guidelines invite all stakeholder, from planners and engineers to local communities and policy makers, to reimagine rivers as lifelines that must be protected, not constrained.

It is our hope that these guidelines will serve as a catalyst for informed decision-making, proactive planning, resilient development-paving the way for a safer, more sustainable future.

Atul Jain

सदस्य
(नदी प्रबंधन)
केंद्रीय जल आयोग
पदेन अतिरिक्त सचिव,
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

Member
(River Management)
Central Water Commission
& Ex-officio additional
Secretary to
Govt. of India

PREFACE

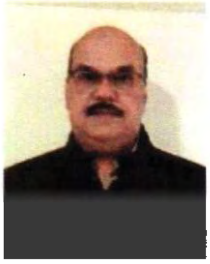

India's perennial vulnerability to floods presents a complex challenge- one that demands an integrated approach rooted in both scientific rigor and ecological sensitivity. Though traditional flood mitigation strategies have often emphasized structural interventions, global and national experiences reveal that long-term resilience lies equally in non-structural measures. Flood Plain Zoning (FPZ) stands out as a pivotal instrument in this regard.

This document has been meticulously designed by Central Water Commission to support State Governments and local authorities in scientifically delineating flood-prone areas and regulating the land use within them. It synthesizes insights from India's diverse river systems, international frameworks, and policy precedents to offer a detailed roadmap for FPZ implementation.

Structured across multiple chapters, these guidelines offer a comprehensive understanding of riverine dynamics, outline flood zone classifications based on recurrence intervals and delineate permissible land-use activities across rural and urban context. Crucially, the document underscores the ecological value of floodplains- an intrinsic system that facilitate aquifer recharge, sustain biodiversity, and regulate sediment transport- reaffirming their role as both natural safeguards and vital ecological corridors.

We anticipate that these guidelines will serve as a cornerstone for developing robust, climate-resilient frameworks across flood-prone regions of India, by empowering the States and National agencies to systematically mitigate flood risks while preserving the ecological integrity of our riverine systems, aligned with broader environmental restoration objectives and sustainable development goals.

Anupam Prasad

मुख्य अभियंता
आयोजना एवं विकास
केंद्रीय जल आयोग
सेवा भवन, नई दिल्ली-66

Chief Engineer
(Planning & Development)
Central Water Commission
Sewa Bhawan, New Delhi-66

ACKNOWLEDGEMENT

The preparation of Technical Guidelines on Flood Plain Zoning is the outcome of rigorous consultations, interdisciplinary insights, and the collective efforts of domain experts, institutions and government bodies committed to advancing sustainable flood management to the next level in India.

I gratefully acknowledge the technical contributions of the organizations such as National Mission for Clean Ganga (NMCG), Ganga Flood Control Commission (GFCC), National River Conservation Directorate (NRCD) and National Disaster Management Authority (NDMA) whose domain expertise, field insights and technical feedback as members of the committee for drafting these technical guidelines have played a crucial role in shaping the framework of this document.

I also acknowledge the contributions and guidance rendered by my seniors and colleagues in the Flood Management Wing, DoWR, RD& GR whose relentless efforts have paved the way for timely release of this document.

While the process was time -intensive, it proved resilient and inclusive, successfully accommodating the active participation of a broad spectrum of Central Agencies such as Department of Science and Technology (DST), India Meteorological Department (IMD), Ministry of Defense (MoD), Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Niti Ayog, Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS) and Ministry of Power (MoP).

I thank all the state governments and UTs whose valuable contributions have been vital in shaping this document. Importantly, Central Water Commission organized two workshops during November and December 2024, in which Central agencies and State Governments have participated. These workshops significantly contributed to the evolution of these guidelines.

The active participation and enthusiastic involvement of State governments, providing invaluable regional perspectives, strategic suggestions and execution perspectives have been instrumental in fine-tuning operational strategies and enriching this document's relevance with a pan-India outlook.

Special recognition is accorded to the officers of the River Conservation Directorate, CWC including **Sh. Deepak Kumar (Chief Engineer), Sh. Avanti Verma (Director), Sh. Piyush Kumar (Director), Sh. Ramavtar Verma (Director), Sh. Pranav Shukla (Deputy Director) and Smt. Greeshma Krishnan (Assistant Director)** whose persistent efforts in coordinating technical drafts, aligning policy precedents and integrating multi-agency feedback were vital to the formulation of this document.

I hope that this document serves as a meaningful step toward attaining the target of ecological integrity and structured river management.

D.P. Mathuria

ABBREVIATIONS

FPZ	Flood Plain Zoning
ULBs	Urban Local Bodies
ZP	Zilla Parishads
DEM	Digital Elevation Model
NRSC	National Remote Sensing Centre
DoWR, RD & GR	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
CWC	Central Water Commission
CGWB	Central Ground Water Board
NDMA	National Disaster Management Authority
HFL	Highest Flood level
EPA	Environment Protection Act, 1986
EIA	Environmental Impact Assessment
RBA	Rashtriya Barh Ayog
RCZ	River Conservation Zone
RRZ	River Regulation Zone
FEMA	Federal Emergency Management Agency
SFHA	Special Flood Hazard Area
AEP	Annual Exceedance Probability
NGT	National Green Tribunal
URDPFI	Urban Regional Development Plans Formulation & Implementation
MSW	Municipal Solid Waste
FIRM	Flood Insurance Rated Maps
MoHUA	Ministry of Housing & Urban Affairs
MoEF&CC	Ministry of Environment, Forest & Climate Change
MoJS	Ministry of Jal Shakti
STP/ETP	Sewage Treatment Plant/Effluent Treatment Plant
SDMA	State Disaster Management Authority

GLOSSARY

1.	Flood Plain	includes water channel, flood channel and that area of nearby low land susceptible to natural flood inundation during periods of maximum discharge
2.	Flood Plain Zoning	means regulating any human activity in the flood plains of a river where the plains are created by overflow of water from the channels of rivers and streams
3.	Alluvial plain	A plain formed by the deposition of sediment from the periodic flooding of a river
4.	Flood Insurance	Insurance covering loss or damage to property arising from a flood, flood tide etc.
5.	Bank Infiltration	Infiltration of surface water, mostly from a river system into a groundwater system induced by water abstraction close to the surface water
6.	Ecosystem	a geographic area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and landscape, work together for life sustenance
7.	Encroachment	any entry into an area not previously occupied
8.	Aquifer	a layer of rock or soil that can take in and hold water
9.	Run-off	the part of the water cycle that flows over land as surface water instead of being absorbed into groundwater
10.	Water table	the level below which the ground is saturated with water
11.	Storm water drainage	the system of publicly or privately operated rivers, creeks, ditches, drainage channels, pipes, basins, street gutters, and lakes within the city through which or into which storm water runoff, surface water or subsurface water is conveyed or deposited
12.	Water logging	saturate with water
13.	Spawning ground	a place where animals (such as fish or frogs) go to lay eggs
14.	Return period	an average time or an estimated average time between events
15.	Active Flood plain	an area on either side of a stream/river which is regularly flooded on a periodic basis
16.	Embankment	a raised structure (as of earth or gravel) used specially to hold back the water
17.	1% chance of flooding	for every year, there is a 1% chance (a 1 in 100 chance) that the event will be equaled or exceeded
18.	1 in 500-year flood	A '1-in-500-year flood' refers to a flood height that has a long-term likelihood of occurring once in every 500 years
19.	Rating Curve	graph of discharge versus stage for a given point on a stream, usually at gauging stations, where the stream discharge is measured across the stream channel
20.	Wetland	areas where water covers the soil or is present either at or near the surface of the soil all year or for varying periods of time during the year

21.	Erosion	the geological process in which earthen materials are worn away and transported by natural forces such as wind or water
22.	Desilting	Process of removal of silt from a body of water
23.	Landfills	an area of land where large amounts of waste material are buried
24.	Volatile material	Substances which have the capability to go into the vapour phase with or without heating
25.	Highest Flood Level	the maximum level to which a river or stream could rise due to rainwater and runoff during a flooding event
26.	Urban Local Bodies	small local bodies that administer or govern a city or a town of specified population
27.	Zilla Parishad	the top tier of the Panchayati Raj system in a district
28.	Watersheds	an area of land in which all the incoming precipitation drains to the same place – toward the same body of water or the same topographic low area
29.	Biosphere reserve	protected areas meant for the conservation of plants and animals
30.	Endangered species	a species of animal or plant that is seriously at risk of extinction
31.	Organic Farming	An agricultural process that uses biological fertilizers and pest control acquired from animal or plant waste
32.	Hazardous waste	a waste with properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect on human health
33.	Environmental Impact Assessment	assessment of the environmental consequences of a plan, policy, program, or actual projects prior to the decision to move forward with the proposed action

Contents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	Introduction	1
1.1	Indian River System	2
1.2	Types of Rivers	3
1.3	The River Course	3
1.3.1	The Upper reaches	3
1.3.2	The Middle reach	4
1.3.3	Estuarine/ Deltaic reach	4
1.4	Indian River Basin	4
2	Flood Pains	6
2.1	Importance of River Flood Plains	6
3	Need of Flood Plain Zoning	8
4	Early Efforts for Flood Plain Regulation in India	10
5	International Experiences in Flood Plain Management	12
5.1	Flood Plain Management in United States	12
5.2	Flood Plain Management in United Kingdom	12
5.3	Flood Plain Management in New Zealand	12
5.4	Flood Plain Management in Canada	13
5.5	Flood Plain Management in China	13
5.6	Flood Plain Management in Australia	13
5.7	Flood Plain Management in Bangladesh	14
6	Present Status of Flood Plain Zoning	15
7	Guidelines for Flood Plain Zoning	19
7.1	Broad Guidelines	19
7.1.1	Prioritization of Reaches	19
7.1.2	Declaration of Nodal Agency and its functions	19
7.1.3	Data Standards and Methodology	20
7.1.4	Data Dissemination and Monitoring	21
7.1.5	Environmental safeguards in the Flood Plain Zones	22
7.2	Implementation Guidelines	23
7.2.1	Rural Areas	23
7.2.2	Urban Ares	23
7.2.3	Other developmental regulations	25
8	Regulation of Activities	27
8.1	List of prohibited activities	27

	ANNEXURE	28
9	References	29
10	Bill on Flood Plain Zoning (Sample) - Uttarakhand FPZ Bill, 2012	30
	List of Figures	
Figure 1	Indian River System	2
Figure 2	Indian River Basins	5
Figure 3	Flood Inundation map of India	17
Figure 4	River plain with embankments	25
Figure 5	River plain without embankments	25
Figure 6	Flood Plain Zoning	28
	List of Tables	
Table 1	Alterations susceptible in the river flood plains and its possible impacts	9
Table 2	Flood Plain classification based on Average Period of Return	13
Table 3	Details of Area liable to floods as per CWC report on Assessment of Areas affected due to floods in India, 2024	16
Table 4	Demarcation Areas and associated Flood Frequency Intervals	24
Table 5	Extent of Protected Zone along the slope of hills	26
Table 5	List of Prohibited Activities	27
	List of Boxes	
Box 1	Flood Plain Zoning Bill 1975	2
Box 2	National Green Tribunal Order 2017	6
Box 3	Floods in the UT of Jammu & Kashmir (2014)	7
Box 4	FPZ in Uttar Pradesh	8
Box 5	Mumbai Floods (2005)	8
Box 6	Uttarakhand Journey to FPZ	15
Box 7	Floods in Kerala (2018)	16
Box 8	Godavari Flood Plain	18
Box 9	Uttarakhand Floods (2013)	20
Box 10	West Bengal Floods: 2013 & 2015	22
Box 11	Surat, Gujarat Floods: 2006	23
Box 12	Chennai Floods, 2015	24
Box 13	Joshi math Land Subsidence	25

Background

Floods constitute one of the major national calamities faced by India almost every year resulting in substantial loss of life, large scale damage to property, disruption of community lifelines besides entailing untold misery to the millions. Concerted efforts have been made over the years to reduce the damage due to floods and mitigate the sufferings of the people. Various structural flood control measures were taken up in the past including construction of reservoirs, embankments, drainage channels, etc. It is however, now realized that absolute and permanent protection to all flood prone areas and for all magnitudes of floods by structural measures alone may not be possible and nor economically viable.

The emphasis has therefore been rightly shifted to non-structural measures such as Flood Plain Zoning and regulation, flood forecasting etc. to effectively supplement the structural measures for providing sustainable protection to flood affected areas. Non-structural strategies are increasingly adopted by many countries including the United States of America, Canada, and the United Kingdom.

Natural floodplains provide flood risk reduction benefits by slowing runoff and storing flood water. They also provide other benefits of considerable economic, social, and environmental value that are often overlooked when local land-use decisions are made. Flood Plain Zoning has been recognized as an effective non-structural measure for flood management. Flood-plain zoning measures aim at demarcating zones or areas likely to be affected by floods of different magnitude or frequencies and probability levels and specify the types of permissible developments in these zones, so that whenever floods occur, the damage can be minimized. The action for demarcation of flood plain areas and regulating the activities therein, is to be undertaken by respective state governments/UTs.

Flood risk zoning regulates land-use or zoning policies which in turn regulates construction in high-risk areas. This reduces the economic exposure and its vulnerability to flood events.

Ministry of Jal Shakti has continuously impressed upon the States the need to adopt flood plain zoning approach. A model draft bill for flood plain zoning legislation was also circulated by Central Water Commission in 1975 to all the States. This bill envisages zoning of flood plain of a river according to flood frequencies and defines the type of use of flood plain. The States of Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, erstwhile State of Jammu & Kashmir and Arunachal Pradesh have enacted the legislation.

However, delineation and demarcation of flood plains is yet to be undertaken. National Mission for Clean Ganga (NMCG) has also, from time to time, advised all states in Ganga basin for demarcation, delineation and notification of river flood plains and removal of encroachment from riverbed/floodplain of the river Ganga and its tributaries in adherence to the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

A literature review regarding Report and Guidelines on Flood Plain Zoning has been carried out based on which this document has been prepared. Chapters 1-5 present a report on the study carried out and Chapters 6-8 contain a list of guidelines which have been developed based on this review. These sections also classify the nature of activities and development regulations that would be needed to protect sensitive regions.

The guidelines, based on implementation by State Governments, will offer learning to Central/State governments. Accordingly, these guidelines shall be reviewed to account for emerging scenarios.

1. Introduction

A river is defined as a natural stream of flowing water. Rivers are found on every continent on Earth and on nearly every kind of land. The Indian sub-continent is also blessed with several large and small rivers, which are all distinct in terms of their hydrology and sediment transport.

A river shifts in its shape, size, flow pattern of water, silt, nutrients, and biota, in fact all its variables seem to change with time and space. The perceptions differ as one move from mountains to plains and to the deltas. The same stream displays a wide variance of characteristics that depend upon the land it flows through and the microclimate along its banks. Rivers, many a times, seem to mirror the local flavor of the land they flow through.

Usually, a river system is composed of the following parts:

1. Source/Origin (Mouth)
2. Tributaries
3. Confluences
4. Channels
5. Riverbanks
6. River/Flood Plains
7. Mouth (Outfall)

Indian rivers are deeply embedded into the economic, social, political as well as cultural fabric of the country. Ever since ancient times, most of the civilizations have developed on the banks of rivers. Rivers form the backbone of any economic activity.

They serve as a vital component not only for agriculture, industry, and transportation but also for forestry, recreation, and environment. Rivers also 'contain' many other embedded ecosystems (both terrestrial and aquatic) and most of the times play hosts to rare flora and fauna.

The below Map of India substantiates the vast network of rivers and tributaries flowing through the Indian sub-continent, covering majority of the geographical area.

Figure 1: Indian River System (Source: India-WRIS)

However, due to rapid urbanization and development, the plains of rivers are being encroached upon in an unsustainable manner, negatively impacting the 'state' and 'health' of rivers, which are further aggravated by extreme climate change events. Despite its inevitable necessity for subsistence and varied uses, the water resources, particularly rivers are in woeful conditions.

1.1. Indian River System

The major river systems in the country can be broadly classified into two groups viz., Rivers of the Himalayan region and Rivers of Peninsular India. Himalayan rivers are fed by melting snows and glaciers of the great Himalayan range during spring and summer, and from rains during monsoon. They are often uncertain and capricious in their behavior. They carry significant flows during the dry weather due to snow melt and carry minimum flows, during winter. On the other hand, the peninsular rivers originate at much lower altitudes, flow through more stable areas and are more predictable in their behavior. Their flow is characterized by heavy discharges during monsoons followed by very low discharges during the rain-free months.

Box 1: Flood Plain Zoning Bill 1975

- ✓ A Model Flood Plain Zoning Bill, prepared by CWC in 1975, was circulated to States/UTs for enactment of legislation. So far, Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, erstwhile State of Jammu & Kashmir and Arunachal Pradesh have enacted the bill. However, no efforts have been made by any of the states/UTs except Uttarakhand for demarcation of flood plain till date.
- ✓ Limited efforts made by any major flood prone state of the country.
- ✓ Thick population density, Lack of alternative settlement, Implementation difficulty etc. have been cited as major impediments in implementation of flood plain zone.

From the point of view of flood problem, rivers can also be grouped under the four regions as below:

- ✓ Central India & Deccan region
- ✓ Brahmaputra region
- ✓ Ganga region
- ✓ Northwest region

1.2. Types of River

A river is termed 'flashy' if floods in the river rise and fall in a very short period of time. Apart from North Eastern States & Hilly States, some rivers of Rajasthan, Gujarat etc. are flashy in nature.

A 'virgin' river is one which completely dries up before its outfall into the sea or another river. These are common in desert areas like the Kutch and Rajasthan where due to percolation and evaporation losses, the river disappears after flowing some distance from the source. Further, a river whose water resources potential has not been exploited at all is also termed as a virgin river.

A river is said to meander when it adopts a tortuous course, swinging from one side to another in alternating bends.

It is said to be braided when the bed becomes wide and shallow, with the flow composed of many interlaced channels, causing numerous islands and bars of silt deposits in the bed of the river. Generally, a river forms delta of various patterns, when it approaches the sea.

1.3. The River Course

A river typically flows through three distinct topographical zones: the upper reach in hilly terrain, the middle reach in the alluvial plains, and the deltaic or estuarine reach near its outflow into the sea.

1.3.1. The Upper Reaches

In the upper reaches, rivers can be broadly classified into two types: **incised rivers** and **boulder rivers**. The incised rivers have well-defined banks which are resistant to erosion. The bed of the river is also resistant to erosion despite the steepness of the slope and the swiftness of the current. The boulder rivers are also characterized by steep slopes, but the beds consist of a mixture of boulders, gravel, shingle, and sands.

The bouldery rivers tend to have straight courses with wide shallow beds. At the time of floods, the high velocity flow moves both boulders and gravels downstream. But when the floods subside and the flow slackens, bed materials pile up in heaps. The flow channels with reduced velocity are unable to move these heaps and so while trying to go around them, tend to wander in a new direction, attacking the banks and widening the bed thereby.

1.3.2. The Middle Reaches

Rivers in the middle reaches are usually in the alluvial plains. These have the characteristic of meandering freely from one bank to the other on account of the erodible nature of the beds and banks. These rivers are classified as aggrading, degrading or stable rivers. If it is building up its bed, it is called an aggrading river. If its bed is getting scoured, it is called a degrading river. If river carries down sediments which it receives without either depositing the silt or scouring the bed, it is called a stable river. It is pertinent to point out here that, depending on the silt load and the discharge, the same river may exhibit characteristics of an aggrading, degrading or stable river in different reaches.

1.3.3. Estuarine/Deltaic Reach

In its last reach, before its outfall into another river or sea, the river may be called estuarine. In the latter case, periodic changes in water levels occur due to tides and, therefore, in this reach, it is called a Tidal River. Here, sea water enters the river with the high tide and empties out along with the ebb tide. The distance up to which the tidal effect is felt depends upon the slope of the river, the tidal range, the flood discharge, configuration of the river, etc. Near its outfall to the sea, such a river is called a deltaic/ estuarine river. In this reach, it is distinguished by the many branches the parent river has thrown as it approaches the sea.

(Source: Rashtriya Barh Ayog, Volume-I, 1980)

1.4. Indian River Basin

India has been broadly divided into 20 hydrological basins by Central Water Commission (CWC) for the purpose of river management:

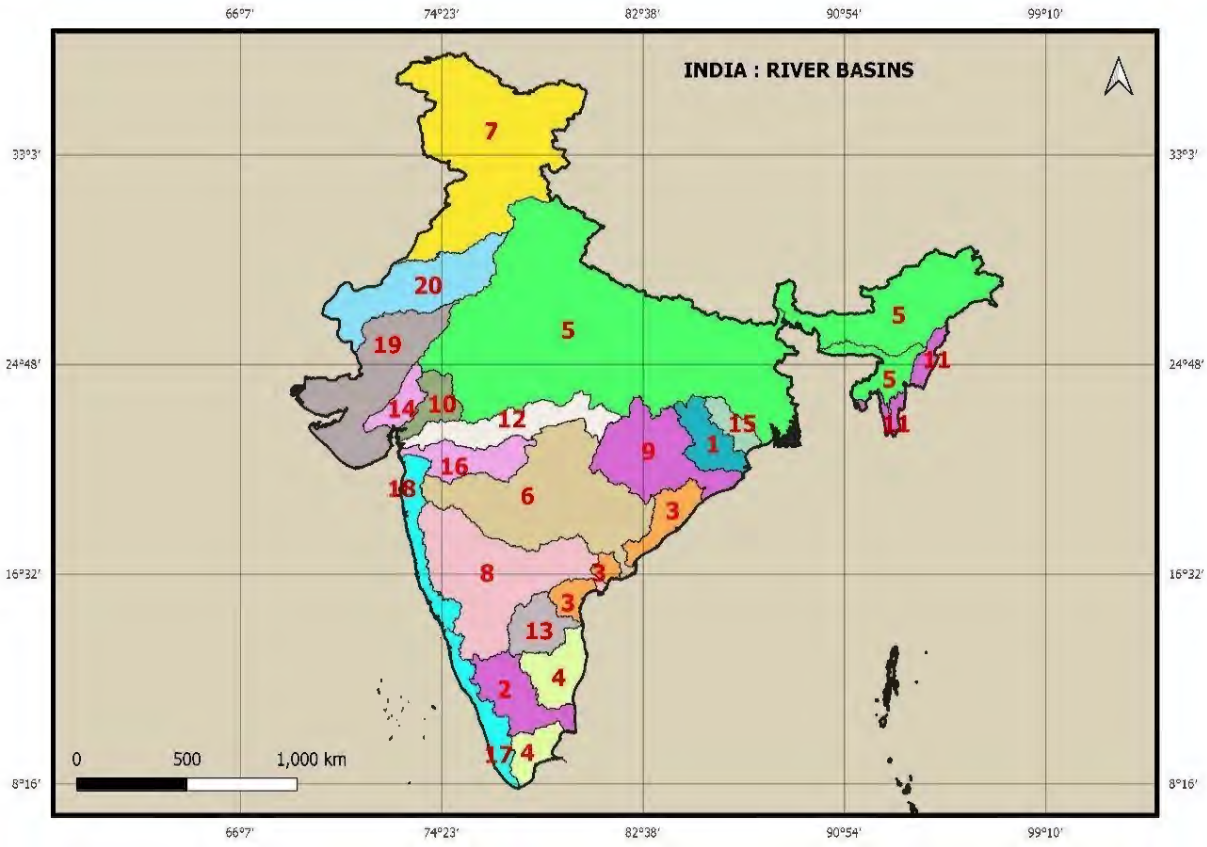

Figure 2: Indian River Basins (Source: River Basin Atlas of India, CWC (2012)

These basins are as below:

1. Brahmani-Baitarani
2. Cauvery
3. East Flowing rivers between Mahanadi and Pennar
4. East Flowing rivers between Pennar and Kanyakumari
5. Ganga/Brahmaputra/Meghna-Barak
6. Godavari
7. Indus
8. Krishna
9. Mahanadi
10. Mahi
11. Minor rivers draining into Myanmar and Bangladesh
12. Narmada
13. Pennar
14. Sabarmati
15. Subarnarekha
16. Tapi
17. West Flowing rivers from Tadri to Kanyakumari
18. West Flowing rivers from Tapi to Tadri
19. West Flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni
20. Areas of Inland drainage in Rajasthan

2. Flood Plains

A river's floodplain is the low-lying land adjacent to a river and is usually prone to flooding when higher than normal discharges occur. These areas are typically flat stretches of land stretch all the way to the edge of the valley that contains the waterway. Hydrologically, a river's flood plain is defined as the landform subject to periodic flooding (based on return period). Though there are other definitions based on topography, geo-morphology and modelling purposes, the hydrological definition is used throughout this document for the purpose of flood plain zoning.

As per the Notifications of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, Para 3 (l), a Flood plain means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.

2.1. Importance of River Flood Plains

Flood plains are necessary for a healthy riverine system. It provides the opportunity for water to spread out and slow down, reducing erosion and flooding of other areas. Flood plains support biological diversity, and recharge ground water.

Flood plains provide a buffer space between a river and inhabited areas at risk of flood ie, when water rises above the banks, the speed of flow reduces as it spread out across the flood plain, and overall peak of the water is slower. This can limit the destructive impact of floods. The following are some of the other benefits of flood plains:

a) **Improving water quality**
Floodplains act as natural filters, absorbing harmful chemicals and other pollution, making rivers healthier for drinking and swimming, and for plants and animals.

b) **Creating fertile soil for crops**
Rivers deposit sediment and nutrients in floodplains, making them very productive areas for growing crops.

Box 2: National Green Tribunal Order 2017

- ✓ Identification and demarcation of floodplains of river Ganga in Segment B of Phase-I for one in twenty-five years' cycle.
- ✓ Till the said identification & demarcation of floodplain, 100 meters from the edge of the river to be designated as no development/ construction zone in Segment B of Phase-I i.e., Haridwar to Unnao, Kanpur.
- ✓ Identification of no development/ construction zone, regulatory zone and the activities that can be/ cannot be carried on in the regulatory zone of the floodplain.
- ✓ Complete prohibition on disposing of Municipal Solid Waste (MSW), E- waste or Bio-medical waste on the floodplain or in river Ganga or its tributaries.
- ✓ No dumping or landfill sites for any kind of waste irrespective of any technology for waste processing, within 500 meters from the edge of the river Ganga and/or its tributaries.

c) **Nurturing biotic ecosystem**
Floodplains are a productive environment for plants and wildlife and serve as nurseries for many species of fish. They provide vital habitat and are important for maintaining the web of life.

d) **Providing recreation**
Flood plains also provide ideal places for hiking, paddling, fishing, exercising, and connecting with the beauty of nature.

e) **Recharging Ground water**
The layered sediments of many floodplains can create important aquifers. Clay, sand, and gravel filter the water as it seeps downward. Water purification systems often take advantage of this natural phenomenon in a process called bank filtration. In bank filtration, water is deliberately filtered through the banks or floodplain of a river or lake. Nearby wells then collect the filtered water, which is then ready for more intense purification processes.

Box 3: Floods in the UT of Jammu & Kashmir (2014)

- ✓ During the initial week of September 2014, Jammu & Kashmir encountered one of its worst hit flood events in its north western part. Unprecedented rains that lasted for 5 days led to an increased runoff from the tributaries of river Jhelum. The flood affected nearly 2million people and caused huge damage to property and lives as well as economy of the state.
- ✓ Although heavy rainfall was the triggering factor for floods in the Kashmir valley, the impact of the disastrous event was aggravated by other factors, including the rapid urbanization in the valley, encroachment of waterbodies and land adjoining river banks, the disappearance of wetlands, etc. which has blocked the natural drainage patterns making the situation worse. Extremely urbanized and mismanaged flood plains gave an impetus to the situation which attained disastrous dimensions due to prolonged and extremely heavy rainfall.

3. Need of Flood Plain Zoning

In order to have a reasonable degree of protection, floods need to be managed through both structural & non-structural measures so as to reduce the losses. Non-structural measures are planned activities to modify susceptibility due to flood related damages. These are meant to keep people away from floods. Flood Plain Zoning is one of the main non-structural measures for management of floods worldwide. However, this is yet to be taken up in India as an effective measure to manage floods, though flood is one of the major natural calamities in India and almost every year, there is substantial loss of life, large scale damage to property apart from suffering of millions of people due to recurrence of flood in India.

Box 4: <u>FPZ in Uttar Pradesh</u>

- ✓ Notification issued by State of UP dated 4th September 2020 for identification & demarcation of flood plain on River Ganga from Haridwar to Unnao by way of Executive order.
- ✓ Demarcation completed on field.
- ✓ Demarcation pillar being installed all along the riverbank.
- ✓ Activities being regulated accordingly.
- ✓ Steps underway to identify FPZ beyond Unnao up to Ghazipur.
- ✓ Study completed for FPZ of river Yamuna from Asgarpur to Prayagraj. Demarcation under progress.

The concept of Flood Plain Zoning recognizes the basic fact that the flood plain of a river is essentially its domain and any intrusion into or developmental activity therein must recognize the river's 'right of way'. Flood plain zoning involves regulation of land use in flood plains of a river. It is considered as an effective non-structural means for flood management. It aims at demarcating zones or areas likely to be affected by floods of different magnitudes or frequencies and specify the types of permissible developments based on probabilistic analysis in these zones, so that whenever floods occur, the damage can be minimized, if not avoided.

Increased level of urbanization in the country is putting pressure on urban flood plains. Encroachment or unplanned development of such area may prove disastrous for people affected as well as for river in the long run. Flood Plain Zoning, therefore, envisages limitations on indiscriminate development and encroachment of flood plains of a river.

Flood plain zoning is not only necessary in the case of management of floods, but also useful in reducing the damage caused by drainage congestion, particularly in urban areas. It has acquired urgency in the context of increasing variability in rainfall as a result of climate change.

Over the years, the cascading rate of increasing population and the increasing urbanization and industrialization has put a toll upon the health of river systems in India as these anthropogenic pressures brings about changes in the river system

Box 5: <u>Mumbai Floods (2005)</u>

- ✓ On 26th July 2005, the Mumbai Suburban Area was stuck with a heavy storm. Indian Meteorological Department (IMD) reported a 944 mm of rain for the 24 hours. The incident caused extreme water logging in the city area. About 200 km of road length was submerged in flood waters and the traffic was standstill on all internal roads, major roads and corridors of traffic. The incident also caused widespread damage to property and life.
- ✓ The impacts of human activities and the developmental works involving physical, topographic changes etc. affecting the natural hydrological process was felt during the event. This led to a thinking that Infrastructure planning in urban areas should require careful attention to urban hydrological characteristics and how the urban conditions affect the rainfall-runoff relationships in this area.

and causes alterations in river morphology by changing flow patterns, sedimentation, and siltation properties of rivers. Floodplain development also impacts the riparian ecosystem.

This has further increased the probability of urban floods, showing an increasing trend as a phenomenon, and posing huge challenge to city administration and town planners. The lack of protection of river floodplains from damaging impacts like encroachment and diversion for 'developmental projects' is a tragedy that affects both the river as well as those who encroach it adversely. The river suffers as it is unable to occupy and transport flood waters downstream during high rainfall events (monsoon in particular).

The river is also to recharge aquifers, wet the lands along its banks or provide life-sustaining conditions to plant and animal habitats along the river margins and banks. Based upon flood plain zoning demarcation, Flood Insurance and other non-structural measures could also be promoted & initiated in India.

The various alterations susceptible in the river flood plains and its possible impacts are summarized in the table below:

<u>Table 1: Alterations susceptible in the river flood plains and its possible impacts</u>

Alterations	Impact
Increase in impervious surfaces	Decreases infiltration and increases run-off which leads to: • Decrease in lag time • Increase in peak discharge • Production of run-off from small storms • Reduction in flood plain recharge and decreased water table
Development on and near flood plains	• Disrupts migration and spawning cues for fish and marine biodiversity • Unplanned development leads to prolonged water logging • Constricts channel flow and capacity
Construction of storm water drainage systems	• Decreased lag time and increase in peak discharge owing to increased run-off entering the river
Filling up of water bodies	• Disrupts spawning grounds for fishes • Reduced space for flood waters
Construction of embankments and expansion of agriculture	• Change in soil moisture regime of flood plains • Water logging in flood plains due to reduced capacity of water to naturally flush outwards • Reduction in lateral movement of river channel

4. Early Efforts for Flood Plain Regulation in India

Efforts for regulating the development on floodplains can be traced to the Madras River Conservancy Act of 1884 that provided for appointment of 'River Conservators', directed for conducting surveys and defined limits for the river which was termed "river-bed." Any construction or plantation within the riverbed for the area covering the present States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh was to be permitted by the Conservator of Rivers.

In 1989, Tamil Nadu Pollution Control Board passed an Order stating that no industry causing serious water pollution will be permitted within 1 km of reservoirs, rivers, and public drinking water sources. Maharashtra Pollution Control Board also framed a River Regulation Zone Policy for the State in the year 2000 (revised in 2009) based on the designated best use as per water quality for rivers, high flood line and categorizing industry based on their pollution levels.

However, this was later withdrawn based on a resolution passed by the Maharashtra Government dated 3rd February 2015.

With floodplains, it is also important to look at relevant land use legislations which come under the ambit of States. State Town and Country Planning Acts were enacted by the States based on Model Town and Country Planning Laws in 1962 (later revised in 1985).

The National Water Policy, 2012 includes a section on conservation of rivers and river corridors. It also prohibits encroachments and diversion of water bodies and advocates that restoration must be promoted to the extent feasible.

Central Water Commission (CWC) has continuously impressed upon the States the need to take action to implement the flood plain zoning approach in development. A model draft bill for Flood plain zoning legislation was circulated by the Union Government in 1975 to all the States. The States of Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, erstwhile State of Jammu & Kashmir and Arunachal Pradesh have enacted the legislation.

However, delineation and demarcation of flood plains are yet to be undertaken. So far, limited action has been taken by any of the major flood prone States & others including Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam etc. for enactment of legislation. Many States have expressed their reservations on implementing floodplain zoning due to reasons such as high population density, non-availability of sufficient land for relocating the people occupying flood plains, etc. Government of India has repeatedly advised State/ Union Territory Governments on the need for enactment of an appropriate legislation for delineation & demarcation of flood plain zones on the notified stretches of rivers of the State/UT and regulating the activities therein.

In February 2016, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MOEF & CC) had come out with a draft Notification for River Regulation Zones wherein it proposed to prohibit or regulate the developmental activities on riverfronts and floodplains. The draft Notification has been circulated to all the States and UTs. The draft Notification, under the Environment Protection Act (EPA), 1986, intended to regulate developmental and industrial activities upto 5 km from the banks of the river stretches having floodplains and an equivalent area for mountain/ hill stretches under River Conservation Zones (RCZ) demarcated with reference to the Highest Flood Level (HFL) with a 100-year return period.

The Prohibited Activity Zone (RCZ-PA) in the immediate vicinity of the river will be offered the highest protection since existing activities and constructions within the zone should adhere to the notification. Attention has been paid to regulate new developments within regulated zones. The RRZ draft policy also defined the area for protection from further encroachments as the

3362 "active flood plain", which will be marked by the high flood line. This, in entrenched stretches will be the available space in the valley. In embanked stretches, this would be the area between two embankments or roads along a river acting as an embankment. In other stretches of the river, the active flood plain will be the 100-year flood line, the land which gets flooded during a 100- year storm. The idea was to establish a No-Development Zone not less (in area) than the active floodplain.

5. International Experiences in Flood Plain Management

5.1. Flood Plain Management in United States of America

Floodplain zones are geographic areas that the Federal Emergency Management Administration (FEMA) has determined to be at flood risk to nearby communities and property. FEMA rates these zones for their severity of risk and identifies them as low-to-moderate risks, high risks, coastal areas, and undetermined risks. Each zone designation reflects the seriousness of flooding most likely in the specified area.

On the Flood Insurance Rate Maps, the FEMA defines flood zones as geographic areas that have different levels of flooding. They are as under:

- ✓ **High-risk:** "Special Flood Hazard Area (SFHA)", - an area with a 1% or 1 in 100 chance of experiencing a flood during any given year.
- ✓ **Moderate risk:** 1 in 500 chances of flooding occurring each year
- ✓ **Least risk:** have less than a 1 in 500 chance of occurring in any given year

5.2. Flood Plain Management in United Kingdom

Flood zones have been created by the Environment Agency to be used within the planning process as a starting point in determining how likely somewhere is to flood. However, they only refer to flood risk from rivers or the sea, and not all rivers are included.

The following classification of flood zones are divided: -

- ✓ **Flood Zone 1- Low Probability:** Areas having less than 0.1% chance of flooding in any year
- ✓ **Flood Zone 2- Medium Probability:** Areas to have flooding risk between 0.1% – 1% chance from rivers in any year or between 0.1% – 0.5% chance of flooding from the sea in any year
- ✓ **Flood Zone 3a- High Probability:** Areas at 1% or greater probability of flooding from rivers or 0.5% or greater probability of flooding from the sea
- ✓ **Flood Zone 3b- The Functional Floodplain:** Flood zone 3b is classified as functional floodplain and is deemed to be the most at-risk land of flooding from rivers or the sea. Areas at significant risk of flooding are classified to be within flood zone 3b

5.3. Flood Plain Management in New Zealand

Flood Protection Engineers and Hydrologists in New Zealand describe floods using Annual Exceedance Probabilities (AEP) or Return Periods. For example, a 1% AEP or 1 in 100-year return period flood means that there is a 1% or 1 in 100 chance in any given year that a flood of this size or greater will occur. Accordingly, flood plain areas have been defined:

Table 2: Flood Plain classification based on Average Period of Return

Flood Awareness Likelihood Area	Average period between occurrences of a given flood event
High Likelihood Area	1 in 50 years
Medium Likelihood Area	1 in 100 years
Flood Sensitive Area	1 in 200 years
Low Likelihood Area	1 in 440 years

5.4. Flood Plain Management in Canada

The Department of Environment and Climate Change of the province of Newfoundland Labrador in Canada envisages the following classifications for their flood plains as mentioned in their provincial website as listed below:

i. **Floodway:** The portion of a flood plain where the most frequent flooding occurs. This area is determined based on the 1 in 20 years (1:20) return period flood.
ii. **Floodway Fringe:** The portion of a flood plain where less frequent flooding occurs. This area is where flooding occurs up to 1 in 100 years (1:100) on average.
iii. **Climate Change Flood Zone:** Based on extension of the floodway fringe, this is the area which is likely to be impacted due to the latest forecasted effects of climate change.
iv. **Other Flood Risk Area:** An area where flooding is known or has some probability to occur due to unique or unusual circumstances such as areas subject to shoreline recession, areas downstream of dams or areas adjacent to watercourses potentially prone to ice jams.

It has given the list of permitted and non-permitted activities in each of these flood plains.

5.5. Flood Plain Management in China

i. Construction of any building, infrastructure etc or any activity within the river channel management areas affecting flood discharge capacity in flood passage is prohibited.
ii. Relocation of people of these reclaimed areas and economic compensation and tax exemption for the settlers.

5.6. Flood plain management in Australia

The Flood plain management practices in Australia involves steps that support understanding and management of flood risks for a specific geographical area. This is generally part of all the floodplain of a single waterway or a combination of the floodplains of several waterways, where flood behavior may interact. This understanding begins with knowledge of the local flood history; evidence of the types and scales of storms that have previously caused problems and indications of what landforms or human-made structures may influence flooding.

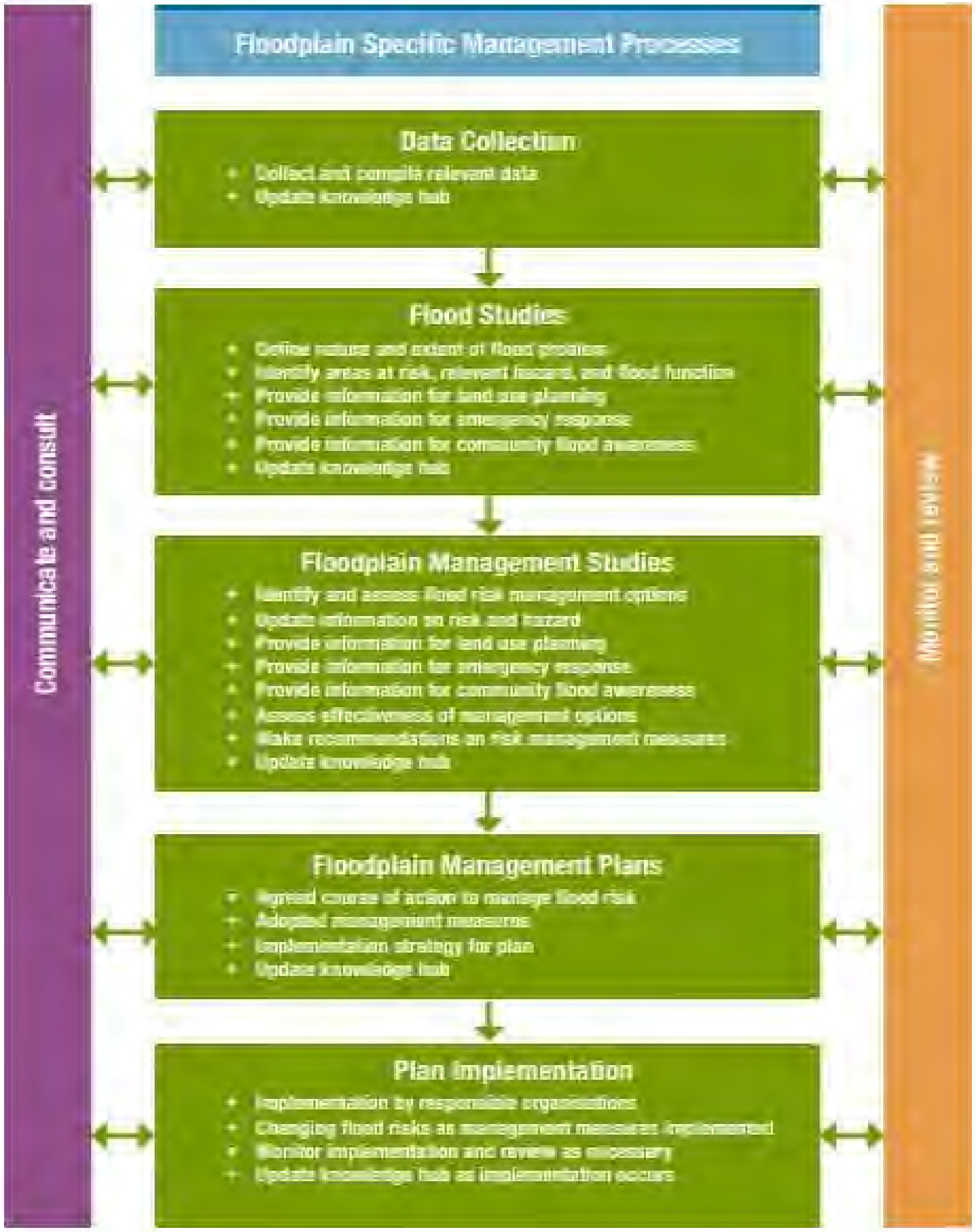

5.7. Floodplain Management in Bangladesh

Owing to the fact that a majority of the country's landmass is covered by floodplains, Bangladesh have recently shifted its focus on framing government policies that have adopted using tactics such as discouraging settlements in the high-risk areas and promoting the type of housing and agriculture that can withstand floods.

6. Present Status of Flood Plain Zoning

India stands as the second most flood-impacted nation globally, after Bangladesh and accounts for one-fifth of the global death count due to floods. India's high risk and vulnerability for floods is highlighted by the fact that over 40 million hectares out of total geographical area of 329 million hectares is prone to floods. On an average every year, 75 lakh hectares of land gets affected. According to the Rashtriya Barh Ayog (RBA) an average of 18.6 million hectares of land gets affected annually.

Rastriya Barh Ayog (RBA) was set up by the then Ministry of Agriculture and Irrigation in 1976, to study India's flood-control measures after the projects launched under the National Flood Control Program of 1954 failed to achieve much success.

In 1980, the RBA made 207 recommendations and 4 broad observations.

Firstly, it said there was no increase in rainfall in India and, thus, the increase in floods was due to anthropogenic factors such as deforestation, drainage congestion and badly planned development works.

Secondly, it questioned the effectiveness of the methods adopted to control floods, such as embankments and reservoirs, and suggested that the construction of these structures be halted till their efficacy was assessed. However, it did say that embankments could be constructed in areas where they were effective.

Thirdly, it said there must be consolidated efforts among the states and UTs and the Centre to take up research and policy initiatives to control floods.

Fourthly, it recommended a dynamic strategy to cope with the changing nature of floods. An analysis of the report suggested that the problem began with the methods of estimating flood-prone areas of the country.

Box 6: Uttarakhand Journey to FPZ

- ✓ Enacted the bill in 2012
- ✓ Notification of limit of Flood Plain Area being done in phases:

I. Initial and Final notification done

1. **Bhagirathi** - Gangotri to Devprayag.
2. **Ganga** - Devprayag to Rishikesh.
3. **Ganga** - Rishikesh to Chandi Bridge.
4. **Ganga** - Chandi Bridge, Haridwar to Kalsia village in Laksar, Haridwar district
5. **Bhilaganga** river.
6. **Alaknanda** - Badrinath to Devprayag.
7. **Mandakini** - Kedarnath to Rudraprayag.

II. Study Completed

1. **Gola**-Near Ganrar to State border of
2. **Rispana**-Rajpur (source) upto confluence with Song
3. **Bindal**- Rajpur (source) upto Rispana (confluence)
4. **Song**- Pasani village up to confluence with Ganga.

III. Study in Progress

1. Kosi - Near Kantali to State border of UK
2. Asan and tributaries (Nimi, Nun, Swarna rivers and Sitla Rao)
3. Jhakhan up to Ranipokhri
4. Chandrabhaga
5. Yamuna
6. Pindar river
7. Dhauliganga
8. Nandakini
9. Solani
10. Malini
11. Ratmau
12. Nandhaur
13. Ladhiya
14. Ramganga W River.

In a 2011 meeting of the working group on flood management for the 12th Five-Year Plan, of Flood Management Program, Central Water Commission (CWC), acknowledged that scientific criteria needed to be adopted to assess flood-prone areas. It was recommended that there should be effective monitoring based on frequency of flooding and period of inundation as gauged by contour maps and satellite imagery.

As per NITI Ayog's Report of the Committee constituted for formulation of Strategy of Flood Management Works in Entire Country and River Management Activities and works related to Border Areas (2021-26), annually 7.17 Mha. of area is affected with floods in India, of which 3.94 Mha. is cropped area. On an average, floods claim 1,654 human and 6,18,248 cattle life annually. Reports further reiterate Flood Plain Zoning as an integral non-structural flood management measure. Under section 4 Major Flood Events: Case Studies and Lessons Learnt, it was mentioned that the severity of the floods in India, in most of the cases are enhanced manifold by anthropogenic activities. The major take- away in such cases is the strict implementation of Flood Plain Zoning Act and regulating construction within the flood plain of a river.

The RBA report also recognized the need for timely evaluation of flood management projects. It entrusted State Irrigation and Flood Control Departments, CWC, Ganga Flood Control Commission & Brahmaputra Board with the task of adopting or discarding them based on their performance.

Box 7: Floods in Kerala (2018)

- ✓ Unprecedented rains lashed parts of Kerala from 8th to 18th August, 2018 causing widespread damages to all major sectors of the state. Many human lives were lost, thousands of houses damaged, over a million and half people were moved to relief camps, large stretches of major roads got washed away and many bridges got damaged.
- ✓ Other than unprecedented rainfall in an ecologically sensitive zone such as Kerala, it was not just urbanization; it was the unscientific use of its land and water resources that added to the severity of damage. The other issue was management of river and its flood plain. The numerous dams across these rivers have reduced the flow into the rivers during most of the time. With passage of time, their floodplains have shrunk, and people have occupied these floodplains for cultivation and construction. Unchecked tourism and illegal constructions, mostly related to tourism was another triggering factor that was accentuated by incessant rains.

The 'Assessment of Areas affected due to Floods in India' published by Central Water Commission in June 2024 concludes that the total flood affected areas in India delineated from analyzing LandSAT and Sentinel -1&2 data on GEE and GIS during the period from 1986-2022 is 21.213 Mha. A map showing the pan -India aggregated extent of Flood Affected Areas in India (1986-2022) is given in Fig. 3.

Sl. No	Description	Fig (in Mha)
(i)	Total Area Affected	21.213
(ii)	Area Protected	20.538
(iii)	**Area liable to Floods =(i)+(ii)**	**41.751**

Table 3 : Details of Area liable to Floods as per CWC report on Assessment of Areas affected due to Floods in India', 2024.

Despite a series of disastrous floods in recent times such as in Kedarnath (2013), Srinagar (2014) and Kerala (2018) apart from regular flooding in Assam, Bihar, Uttar Pradesh & West Bengal resulting from constraints in river floodplains, the nation is still without a legally mandated prohibition on such ingress into and violation of the river's integrity.

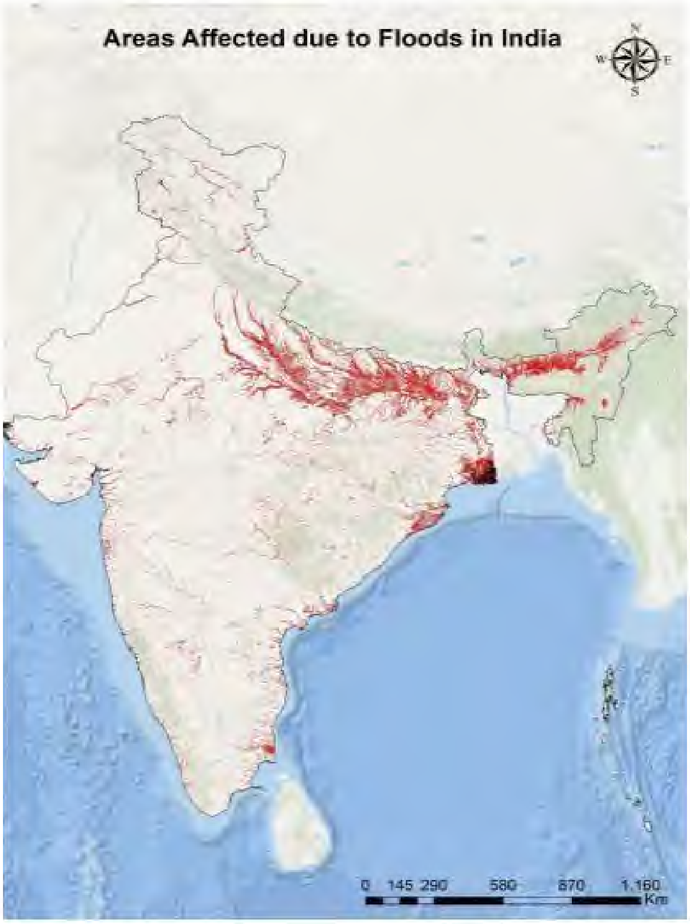

Figure 3 - Aggregated Extent of Flood Affected Areas in India (1986-2022)

Keeping in view the fact that the problem is becoming more and more severe, and with losses mounting every year, the subject of flooding has been recognized at the national level. Thereafter, action for demarcation of flood plain areas and regulating the activities therein, is to be undertaken by respective State Governments/UTs.

Box 8: Godavari Flood Plain

- ✓ Classification of flood plain of River Godavari into different zones by Nashik Mahanagar Palika. List of permissible and prohibited activities have been envisaged under Floodplain Planning & Development Guidelines for River Godavari, Nashik Region. A list of planning guidelines & developmental controls including permissible restorative activities and recommended approach is also given.

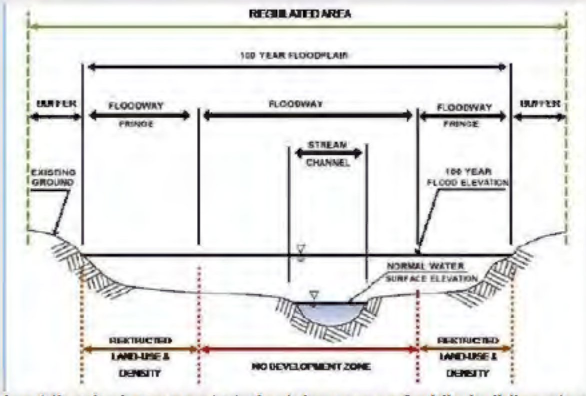

- ✓ The document also says about the design aspects to be taken care of while building structures such that they are built on stilts allowing free flow of water below around the structures, as per the flood protection guidelines.

National Green Tribunal (NGT) has also advised the State Governments/UTs to take necessary steps in this direction from time to time. NGT in its order dated 13.07.2017 in the matter of O.A. No. 200 of 2014 – M C Mehta Vs Union of India & Others had directed demarcation of flood plain for river Ganga from Haridwar in Uttarakhand up to Unnao in Uttar Pradesh. In the matter of restoration of river Yamuna in the matter of O.A No. 6/2012 Manoj Mishra Vs Union of India, Hon'ble NGT, vide its Order/Judgment dated 13.01.2015, had directed the State to adopt a precautionary principle by directing various steps which are required to be taken by the authorities, including prohibitory orders in relation to dumping and throwing of waste of any kind in the drains in the river Yamuna, which is lethal for the environment.

In this regard, there is a need for drafting a set of guidelines, to be followed by State Governments/UTs while taking up any developmental activities in the flood plain of any river.

7. Guidelines for Flood Plain Zoning

Based upon the draft Flood Plain Zoning Bill of DoWR, RD & GR, direction of Hon'ble NGT through its Order, draft RRZ by MoEF&CC, broad Guidelines for identifying the Flood Plain Zone in different types of rivers of India and activities to be considered in various zones of such flood plains are given below as a guiding principle to preserve and improve river health.

7.1. Broad Guidelines

7.1.1 Prioritization of Reaches

1. Considering implementation of Guidelines rests with respective State Governments/UTs , the States/UTs should first prioritize the rivers on which flood plain zoning is required. The States/UTs may further decide to implement these guidelines on tributaries & sub-tributaries of such rivers.

2. As a general principle, flood plain zoning may be first taken up for the main river and then its major tributaries. However, the States/UTs may take up the zoning activity on the main river as well as tributaries concomitantly as per their convenience, computing capacity and volume of data to be processed.

3. Zoning exercise may be taken up as a whole or reach-wise in rivers depending upon location and prioritization by respective State/UTs governments.

4. The draft Guidelines may also consider change in river depth due to siltation in the river while demarcating the flood plains. Accordingly, these guidelines shall be reviewed to account for emerging scenarios.

7.1.2 Declaration of Nodal Agency and its functions

1. State Governments/UTs may declare the Nodal Agency for implementation of FPZ Guidelines.

2. The land use in the floodplain should follow a collaborative approach involving urban/rural development authorities in consultation with the Nodal Agency.

3. The Nodal agency shall demarcate and mark the flood plain in the pristine location too.

4. Nodal agency in association with Municipal/ Panchayat bodies and SDMA shall frame guidelines for safety of existing structures and to increase the Flood Resilience within the identified flood plain and implement other existing guidelines such as National Framework for Sediment Management, 2022 of MoJS, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and 2020 of MoEF&CC.

5. A No-objection certificate from the Nodal agency of the respective State/UTs will be required for carrying out any activity in the Flood Plain.

- For all new construction (individual house or any infrastructure), permit system may be incorporated by the concerned Municipal/ Panchayat body in consultation with Flood Plain Zone Nodal Agency which will need to be enforced strictly.

- Further, in the case of Hydro-projects/Pumped Storage Projects, the agency shall also submit the NOC from the Flood Plain Zone Nodal Agency while seeking environmental clearance from MoEF&CC.

6. The Water Resources/Jal Shakti/Irrigation Department of the respective State Government/UTs shall work in close coordination with the Nodal Agency, if any other department/ organization is declared as Nodal agency, to ensure that the flood plains are managed as per the guidelines.

7. The flood plain areas which have already been urbanized/developed shall be identified and inventories of such areas would be maintained. This should be made a continuous activity, since some development in floodplain areas is inevitable even after implementation of floodplain zoning. The same may be carried out using satellite data. The nodal agency should ensure that future development takes place as per guidelines and proper convergence with the existing and proposed developmental plans should be done. Further, people settled in the river's active floodplain should be warned periodically to move to safer places in a phased manner. The concerned Government agency may initiate some schemes for relocation of such settlements.

Box 9 : <u>Uttarakhand Floods (2013)</u>

- ✓ In the month of June 2013, the region suffered its worst disaster with huge loss of lives and widespread destruction. The disaster coincided with the peak tourist and pilgrimage season, considerably enhancing the number of the casualties with adverse impact on the immediate rescue and relief operations.
- ✓ The nature's fury was most pronounced in the Mandakini valley of the Rudraprayag district. Torrential rains coupled with the collapse of the Chorabari Lake led to flooding at the Kedarnath Shrine and the adjacent areas of Rambara, Agastyamuni, Tilwara, and Guptakashi.
- ✓ There were extensive damages to the housing, both in urban and rural areas, as settlements were mostly concentrated along the rivers i.e. flood plain of the rivers.

7.1.3 Data Standards and Methodology

1. The basic requirements to be taken care of before implementing flood plain zoning are as follows:
    - ➢ Broad demarcation of areas vulnerable to floods.
    - ➢ Preparation of a large-scale map (1:10,000/1:15,000) of the area vulnerable to floods with contours at an interval of 0.3 m to 0.5 m.
    - ➢ Marking of reference river gauges with respect to which, the areas likely to be inundated for different magnitudes of floods will be determined.
    - ➢ Demarcation of areas liable to inundation by floods of different frequencies, e.g., 1 in 5-year, 1 in 25-year and 1 in 100-year appropriately involving mathematical modeling/ Artificial Intelligence and factoring in possible climate change scenarios (including changing rainfall pattern & intensity) in different region of country.

2. The following data are required to carry out Flood Plain Zoning:
   - Historical Discharge/ Rainfall data (as much as available). Minimum 30 years of historical data is recommended.
   - In case of lesser data availability, Peak-over-Threshold method may be used.
   - Digital Elevation Model (DEM) for the river stretches for which FPZ is intended. However, length of reach and capacity of computational power available are critical for DEM resolution suitability. Hence, a combination of freely available coarse DEM + LiDAR DEM is suggested. For reaches <50 km or city-specific study, high-resolution DEM is recommended. Base DEM should not be coarser than 30 m horizontal resolution. Existing embankment details be merged with topography details, if coarse DEM is being used.
   - Close-interval Cross section of the river deduced from DEM as well as collected from the survey conducted in the river reach for carrying out hydrodynamic study.
   - Water Level and River Flow Discharge Data/ Rating Curve at gauging sites to estimate water level corresponding to given flood magnitude.
   - Satellite image for superimposing layers for different flood plain zones.

3. The process of demarcation of flood plain zones is data intensive exercise requiring river flow, river morphology & cross-section, details of embankments, bridges & similar structures. The study primarily involves the determination of 5, 25 & 100-year return period floods at different discharge observation locations of the reach.
   - Annual maximum discharge for each location is utilized for estimation of quantiles of different return periods by fitting into suitable probability distribution viz., e.g. Gumbel, Log Normal, Log Pearson Type-II etc.
   - In case the river is ungauged, i.e. no discharge observation is available, then the rainfall may be used for estimation of discharges. This method involves formulation of Synthetic Unit Hydrograph of sub-catchments, estimation of design storm based on Probable Maximum Precipitation (PMP) atlas of the sub-region and estimation of quantiles of different return periods using calculation of requisite return period rainfall, which is further converted into runoff discharges. These calculated discharges are then utilized in 2D inundation models to calculate the spread of the water for each return period.
   - The output of the study, i.e. return period maps may be validated with the past water levels and past inundations from satellite images, wherever possible.

7.1.4 Data Dissemination and Monitoring

1. The maps prepared shall be placed on a centralized portal for information of public.

2. Joint Regular monitoring of demarcated flood plain zone shall be done by the Nodal agency in association with Municipal/ Panchayat bodies and State/UTs Disaster Management Authority (SDMA) to prevent any further encroachment in the flood plain.

3. Central Government, through an appropriate Agency/Organization, will monitor the implementation of flood plain zoning activities by the States/UTs using the advance and state of the art technologies.

4. Till the said identification and demarcation of floodplain is completed, no further activity is to be allowed within 100 meters from the edge of the river, designated as No

Development/Construction zone. However, if any State Government/UTs has already notified the No Development/Construction zone which may be contravening to this provision, the concerned State Government/UTs shall be encouraged to move towards this provision in a phased manner. However, State Government/UTs may amend or relax this clause for construction of Railway lines, Bridges and essential infrastructure construction or public service etc.

Note: For defining the river's edge, maximum of extent defined by dry seasons water line or flood line in the last five (5) years may be adopted.

7.1.5 Environmental Safeguards in the Floodplain Zones

1. There shall be prohibition on direct disposing of Municipal Solid Waste (MSW), E- waste or Bio-medical waste on the floodplain or in the river. In addition, the monitoring of the effluents emanating from treatment facilities, as envisaged in Section 21 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act of 1974 should be mandatory.

2. There shall be no dumping or landfill sites for any kind of waste irrespective of any technology for waste processing, within 500 meters from the edge of the river or as defined by the existing Municipal guidelines/State Bye-laws in urban area, whichever is more. The nodal agency in consultation with Municipal/ Panchayat body may seek removal of existing dump fills areas, if any, from the river's active floodplain.

3. Appropriate precautionary measures in respect of safety of nuclear plants, aerodrome etc., lying in the designated flood plain zones shall be taken by the respective department depending upon the zone where those are lying.

4. Demarcation of flood plain zones, downstream of dam/ barrages, shall be done as per Para 7.2.3 (III) of these Guidelines. Mapping of existing encroachment in the downstream area vis-à-vis demarcated flood zones shall be done by the Nodal agency. Action Plan shall be prepared for removal of such encroachment in a phased manner in consultation with District Administration/ SDMA. Regular interaction and awareness program among the residents of such areas shall be carried out by the Nodal agency. Government, if desirable, may declare itself free of any responsibility for any flooding and subsequent loss to life & property to encourage people to move towards safer places.

5. The revenue department of the state/UTs maintains its own record of river courses. Once Flood Plain zoning work is completed, the same may be updated in the revenue records for future reference.

Box 10: West Bengal Floods: 2013 & 2015

- ✓ In 2013, heavy rainfall in the catchment of Damodar Valley led to flooding in the floodplains of districts of Paschim & Purba Medinipur, Howrah, Hooghly, Bardhaman and Bankura causing widespread damage of life and properties.
- ✓ In 2015, the unprecedented rainfall due to the effect of cyclone 'Komen' caused flood in West Bengal. Suitable precautionary measures in the form of advance flood forecasting based reservoir operating system, along with Flood Plain Zoning is the need of the hour in such areas.

7.2. Implementation Guidelines

As per definition, a river's floodplain is the low-lying land adjacent to a river and is prone to flooding and generally conforms to a flood of frequency of one in a hundred years. To minimize the damages due to floods and to protect the pristine nature of the river, there is a need to regulate the activities in the flood plain of the river. However, the entire zone corresponding to flood of 1 in 100-year return period can't be declared as protected zone. Instead, the area needs to be divided in different zones depending upon the nature of settlement in the area i.e., rural, or urban. Based on the availability of satellite data, studies will be carried out by the States/UTs on such areas.

Irrespective of zoning, as prescribed below, the following are pre-requisite to be undertaken by the Nodal Agency for effective implementation of regulation of flood plain zoning:

a) Mapping of vulnerability risk of structures to keep flood hazards at minimal
b) Development of a robust warning system

7.2.1. Rural Areas

There will be three zones of the identified flood plains in the urban areas and two zones in the rural areas. The same is listed below for reference:

I. **Protected Zone:** It may also be called Active Flood Zone and will be vulnerable to most frequent flooding events. This area may correspond to floods of 1 in 5-year return period. No activities/ construction will be allowed in this zone except those specified under Section 8.1.

II. **Regulatory Zone:** The activities in this zone are regulated. This area termed as regulatory zone may correspond to the area covered by floods ranging from 1 in 5-year to 1 in 25-year return period.

> **Box 11: Surat, Gujarat Floods: 2006**
>
> In Aug 2006, heavy rainfall in the catchment was responsible for heavy inflow in the Ukai reservoir and 3 Lakh to 9 Lakh Cusecs were released from Ukai Dam. The flood situation in Surat city worsened due to such large spill over from Ukai dam. Almost the whole of Surat was submerged and almost all communication channels failed. The people of Surat were badly affected by this flood.

7.2.2 Urban Areas

In urban areas, flood plains may have specialized functions as public open spaces and entertainment areas. Sometimes these floodplains are encroached and slums develop on them, which is a major issue. The Nodal Agency needs to ensure that such areas are free from encroachment.

Box 12: Chennai Floods, 2015

The city of Chennai has seen a very rapid increase in urbanization and unplanned construction in the floodplains after the 1960s. Many marshlands and rivers have disappeared in the spite of the development of the IT corridor in the city.

Residential colonies in Velachery, Madipakkam, Perugundi, Perumbakkam etc. have all come up in the marshes or their vicinity. These rapid encroachments reduce the water retention capacity of the marshes ultimately leading to the scenario of floods. The CAG Report of 2017, following the floods of 2015 indicated that around 30 km length of river Adyar has been illegally encroached upon that had contributed majorly towards the havoc from the floods in Chennai.

The three zones of floodplains for urban areas are listed below:

I. **Protected Zone:** This is the active flood zone and subjected to most frequent flooding. This corresponds to the area covered by floods with 1 in 5-year return period. No activities/ construction will be allowed in this zone except those specified under Section 8.1.

II. **Regulatory Zone:** The area of flood plain covered by floods between 1 in 5-year return period and 1 in 25-year return period will be termed as Regulatory Zone. The activities in this zone will be regulated. The severity of flood in this area will be lesser than that of the Protected zone.

III. **Warning Zone:** It is the outermost zone in which most of the activities can be permitted by mapping their vulnerability so that that risk flooding hazards remain minimal. This part of flood plain corresponds to the area covered by floods between 1 in 25-year return period and 1 in 100-year return period.

Table 4: Demarcation Areas and associated Flood Frequency Intervals

S. No.	Demarcation of area	Flood Frequency Interval
1	Protected Zone (both rural and urban areas)	Up to 1 in 5-yr
2	Regulatory Zone (both rural and urban areas)	Between 1 in 5-yr and 1 in 25-yr
3	Warning Zone (only in urban areas)	Between 1 in 25-yr and 1 in 100-yr

Note: Demarcation of floodplain corresponding to 100-year return period flood shall necessarily be done for both urban and rural areas.

7.2.3 Other developmental regulations

I. For reaches where embankments exist within a protected or regulated zone, the outer boundary of the active flood plain will be up to the embankment, or the line corresponding to 1 in 5-year return period flood, whichever is more.

Figure 4- River plain with embankments

Box 13: Joshi math Land Subsidence

On account of the events that happened at Joshi math, Uttarakhand, due to land subsidence and sinking at various parts of the area, it is imperative that utmost priority be accorded to, on reducing infrastructure development in ecologically sensitive areas, and where necessary, then building sustainable, climate-change-adapted, disaster-resilient housing and infrastructure that specifically recognizes environmental concerns.

Figure 5 - River plain without embankments

II. In case the Flood Plain Zone of one river overlaps with that of another river within a region, the entire area between the two rivers should be considered for regulation of various activities.

III. In case of existing storage structures on the river such as dams and barrages, the demarcation of flood plains is to be done carefully, after taking into consideration factors such as maximum discharging capacity of the spillway, maximum release after construction that may be routed in the channel downstream of the reservoir etc. The maximum flood level at different locations downstream may also be considered and flood plains may be marked suitably.

Mountain Rivers and Hill Streams: For the Hilly and mountainous region, Flood Plain Zoning requires extra effort and attention. The Himalayan region is significant due to the region's susceptibility to both monsoonal and glacial lake outburst floods. Floodplain zoning in the Hilly region should be adaptive, flexible, and supported by scientific research and local knowledge. It is crucial to consider the unique challenges posed by the region's complex topography and climate, as well as the potential impact of cloudburst, glacial melt and climate change on flood patterns. Regular updates to regulations and collaborative efforts at the local, state, and national levels are key to effective floodplain management in the mountainous region.

Protected Zone

In case of hilly areas, the floodplains may be demarcated as per the slope characteristics of the hill/ mountain relative to the river as mentioned in Table 5. This approach ensures that natural topography/elevation features are also appropriately factored while identifying zones in such terrain as velocity of flows and consequential slope stability is an important consideration in hilly terrain as against terrain in plains. However, where difficulties may arise in determining/ identifying the Highest Flood Level (HFL) of a river along its course, Flood Plain Zoning shall be done as per the Flood Frequency Analysis methodology. Accordingly, either of above two approaches may be adopted for demarcation of flood plains in hilly areas.

Table 5: Extent of Protected Zone along the slope of hills

Sl. No	Slope of the hill towards the river	Extent of Protected Zone
1.	> 30 degrees	Shall be up to 5m from the highest recorded flood level in the valley along the slope
2.	> 10 degrees and < 30 degrees	Shall extend up to 15m from the HFL along the slope
3.	< 10 degrees*	Shall extend up to 50 m from the HFL along the slope

Regulatory Zone: This zone should extend up to 100 m along the slope or the crest of the hill, whichever is less, beyond the boundary of Protected Zone. There will be no warning zone.

8. Regulation of Activities

8.1. List of prohibited activities

The list of prohibited activities in the demarcated flood pains is tabulated below:

Table 6 : List of Prohibited Activities

Sl. No	Zone		Prohibited Activities
1	Protected Zone	(i)	All kinds of permanent construction including addition of floor area/elevation of any existing structure except Civil and Railways Infrastructures (Embankments/Bridges specifically for railway infrastructure with adequate safety measures, Flood/Bank protection works, but the construction of new embankments remain prohibited activity)
		(iii)	Any construction disturbing the natural course of the river channel except Essential Services and Infrastructure (gas/petroleum lines, power line transmission pylons, pipelines for water supply, bridges and barrages/construction of ghats, green-riverfronts, and jetties for navigation) and Temporary Structures (Defence establishments, disaster management activities due to natural calamities, religious and socio-cultural activities, recreational activities not requiring the erection of any permanent structures)
		(iv)	Dumping of solid waste/creation of landfills
		(v)	Storage of highly volatile, inflammable, explosive, toxic materials
		(vi)	Establishment of large-scale commercial or industrial facilities except Sustainable Activities such as groundwater withdrawal by handpumps for non-commercial uses, traditional organic farming, traditional fisheries, grazing by animals and eco-friendly tourism and Permanent Utilities such as Parks, Playgrounds, Gardens, discharge of domestic wastewater after treatment.
2.	Regulatory Zone	(i)	Residential settlement except Public Institutions, Government offices, Universities and Educational Institutions without residential facilities, public libraries, sewage treatment plants, community halls, subject to the condition that the Minimum plinth level of the building should be above the level corresponding to the 1 in 100 -year flood and subject to earthquake safety and the ground floors of such facilities can be utilized for non -residential purposes and controlled afforestation and conservation projects to enhance green cover without disrupting the natural flood flow of the river.
		(ii)	Critical Defence Installations
		(iii)	Construction of basements
3.	Warning Zone	(i)	Hazardous Waste producing chemical industries except other industries, public utilities like hospitals, power installations, water supply, telephone exchanges, railway stations, airports, commercial centers, etc. subject to the condition that the minimum plinth levels of structures should correspond to 1 in 100-year flood.
		(ii)	Nuclear Plants

Note: 1. The Prohibited Activities mentioned above are for illustration purpose from functional consideration of notification by the state governments/UTs, notwithstanding the terminology that has to been used here.

2. Activities that can be permitted under each zone has been identified for the state governments/UTs and the same has been described as an illustrative list along with the list of Prohibited Activities.

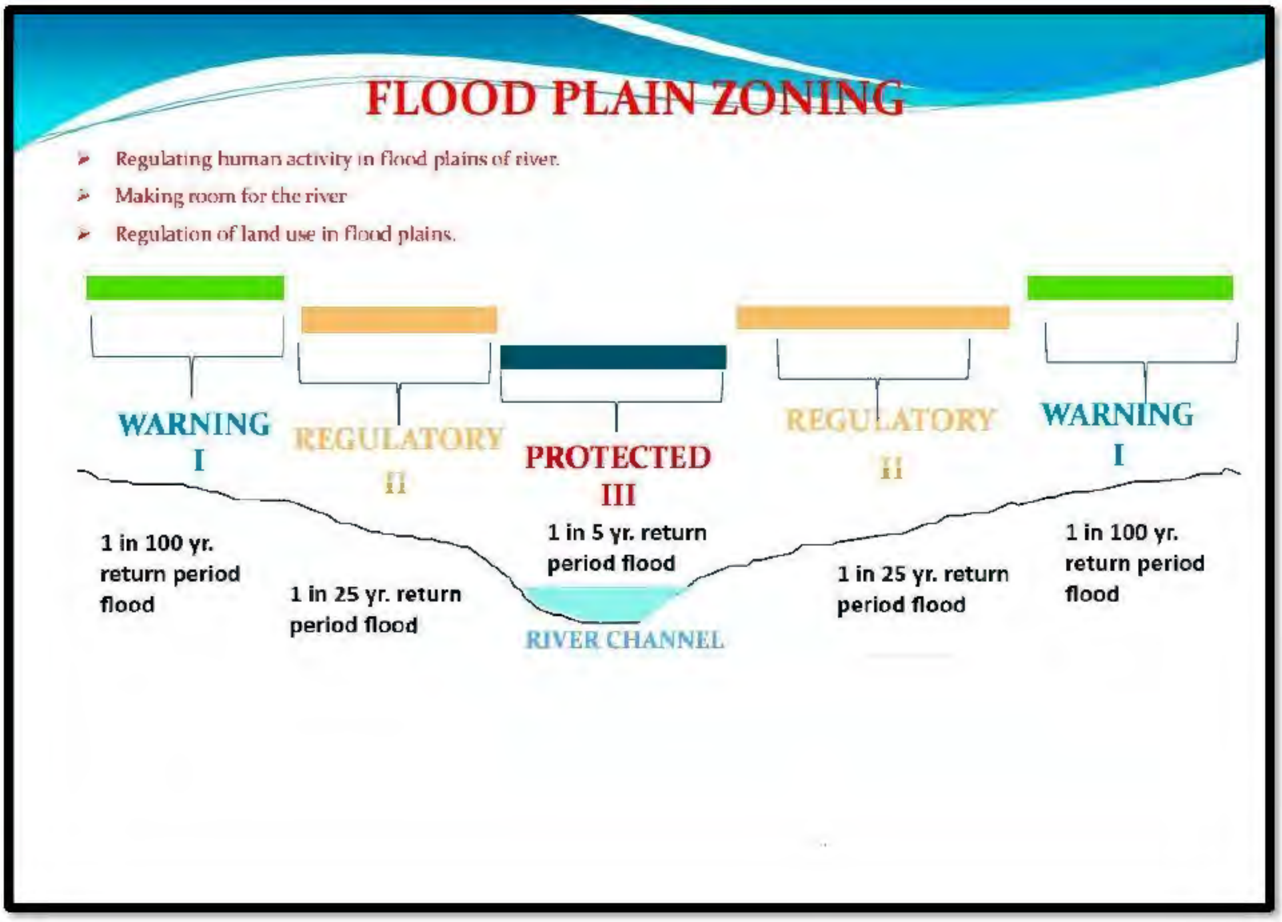

Figure 6- Flood Plain Zoning

9. References

1. Draft Flood Plain Zoning bill CWC, 1975
2. Rashtriya Barh Ayog, Volume-I, 1980 (https://indianculture.gov.in/reports-proceedings/rashtriya-barh-ayog-national-commission-floods-vol-i)
3. Environmental Protection Act, 1986 (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf)
4. NDMA Guidelines on "Management of Flood" 2008 (https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/3.pdf)
5. National Water Policy, 2012 of DoWR, RD & GR (https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/NWP2012Eng6495132651_1.pdf)
6. Urban Regional Development Plans Formulation and Implementation guidelines, 2015 of MoHUA(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)
7. River Conservation Zone draft notification, 2015 of MoEF&CC
8. NGT order dated 10th December2015 on River Ganga (https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/46_NGT%20Judgement%2010%20dec%202015.pdf)
9. NMCG Notification for River Ganga dated 2016 (https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/NMCGAuthorityNotification_0_0.pdf)
10. Sustainable sand mining guidelines, 2016 of MoEF& CC (https://dste.py.gov.in/SEIAA/pdf/RSM1.pdf)
11. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020of MoEF& CC (https://dste.py.gov.in/SEIAA/pdf/RSM2.pdf)
12. Flood Atlases prepared by NRSC, 2020(https://ndem.nrsc.gov.in/hydrological_fhz.php, https://bhuvan.nrsc.gov.in/pdf/Flood-Hazard-Atlas-Bihar.pdf)
13. River Centric Urban Planning guidelines,2021 of MoUD (https://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)
14. Report on Water Quality Hot-Spots in Rivers of India, 2021 (https://cwc.gov.in/sites/default/files/volume-2.pdf)
15. Niti Ayog's Report (2021) of the Committee constituted for formulation of Strategy for Flood Management Works in Entire Country and River Management Activities and works related to Border Areas (2021-26) (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-03/Flood-Report.pdf)
16. National Framework for Sediment Management 2022 (https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Draft_Policy_on_Sediment_Mgmt-June2017.pdf) 'Environmental Status of Godavari' by Nashik Mahanagar Palika (https://nmc.gov.in/assets/admin/upload/download/13_Ch10_Floodplain_Planning_Nov20.pdf)
17. FEMA guidelines for management of flood (https://www.fema.gov/pdf/floodplain/nfip_sg_unit_1.pdf)
18. Strategic guidelines for making River Sensitive Master Plan prepared by the Government of India in the year 2021 (https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/59_Mainstreaming%20Urban%20River%20report%20-%20compressed.pdf)
19. Handbook for Flood Protection, Anti Erosion & River Training Works published by CWC in 2012 (https://cwc.gov.in/sites/default/files/Handbook-05-Jun-12_0.pdf)
20. Assessment of Area Affected due to Floods in India (https://cwc.gov.in/sites/default/files/assessment-area-affected-due-floods-india.pdf)

10. Bill on Flood Plain Zoning (Sample)

Uttarakhand FPZ Bill, 2012

क्रम संख्या– 10

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ०–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 31 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन 2013 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012
[उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013]

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012
[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012
(उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2013)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–एक **प्रारम्भिक**	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	
2.	परिभाषाएं	
	अध्याय–दो **बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ**	
3.	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	
4.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य	
	अध्याय–तीन **बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण**	
5.	सर्वेक्षण	
6.	सर्वेक्षण की शक्ति	
7.	मुआवज़े का दावा	
	अध्याय–चार **बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना**	
8.	बाढ़ मैदान क्षेत्र को सीमित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	
9.	सार्वजनिक सुनवाई	
10.	[illegible]	
11.	राज्य सरकार का विनिश्चय	
	अध्याय– पाँच **बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन**	
12.	बाढ़ मैदानों में फसल आदि के प्रतिषेध की शक्ति	
13.	[illegible]	
14.	[illegible]	
15.	[illegible]	
16.	[illegible]	

अध्याय– छः
प्रतिकर

17. प्रतिकर का संदाय
18. सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण
19. प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना
20. अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन
21. धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ
22. विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना
23. अधिनिर्णय के अधीन संदाय

अध्याय– सात
प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

24. प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

अध्याय– आठ
विविध

25. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा
26. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना
27. सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण
28. जुर्माने की वसूली
29. न्यायालय की शक्ति
30. नियम बनाने की शक्ति
31. निरसन और अपवाद

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012
{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	**1.**	**(1)** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है। **(2)** इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। **(3)** यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे : परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों हेतु भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
परिभाषाएं	**2.**	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :– **(क)** **"बाढ़ मैदान"** में जल सरणी, बाढ़ सरणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हों; **(ख)** **'बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण'** से किस नदी के बाढ़ मैदानों में जहाँ नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते हैं, मानव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध अभिप्रेत है; **(ग)** **'बाढ़ क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है; **(घ)** **'बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी'** से नदी के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है; **(ङ)** **'भूमि'** में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है; **(च)** **'अधिभोगी'** किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाड़े के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है; **(छ)** **'स्वामी'** से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है; **(ज)** **'विहित'** से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; **(झ)** **'नदी'** में उसकी सहायक नदियों का समावेश है; **(ञ)** **'जल सरणी'** से ऐसी सरणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

		अध्याय–दो **बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ**
बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	**3.**	**(1)** जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो यह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा। **(2)** राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उनके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध चार्ट और पंजियां (रजिस्टर) तैयार किये जायं, जिनमें समस्त सीमाएं, भूमि–चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय। **(3)** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में जिलाधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी अधिसूचना में वह उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य	**4.**	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।
		अध्याय–तीन **बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण**
सर्वेक्षण	**5.**	**(1)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा। **(2)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा। **(3)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।
सर्वेक्षण की शक्ति	**6.**	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह– **(क)** अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण करे और उसका स्तर नापे; **(ख)** ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

{उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012}

		(ग) भूमि नापना; **(घ)** धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना; **(ङ)** जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ़ करना विधि सम्मत होगा : परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।
नुकसानी का संदाय	**7.**	**(1)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा 5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है, उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा। **(2)** उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।
		अध्याय–चार **<u>बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना</u>**
बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	**8.**	राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।
सार्वजनिक सूचनाएं	**9.**	**(1)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा। **(2)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा। **(3)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट, नक्शे, पंजिकायें और अन्य दस्तावेज, नदी सरणी/बाढ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

{उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012}

आक्षेप	**10.**	**(1)** कोई व्यक्ति, जो धारा 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपवर्णित करते हुए एक लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।
		(2) उपरोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा। **(3)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके और अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
राज्य सरकार का विनिश्चय	**11.**	**(1)** राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे। **(2)** राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा। **(3)** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे : परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। **(4)** राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेंगी। **(5)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेगी। **(6)** उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।
		अध्याय– पाँच **बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन**
बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति	**12.**	**(1)** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

		परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से '{अठारह मास}' की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी। **(2)** तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखत में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेद्ध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा। **(3)** कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा : परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।
शास्ति	**13.**	यदि कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल कोई गतिविधि प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है या करने का प्रयत्न करता है तो वह :— **(क)** जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर साधारण कारावास से, जो दो मास तक हो सकेगा; और **(ख)** खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्ध के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।
अपराध शमन करने की शक्ति	**14.**	**(1)** राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाये, अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति से, जिसने अपराध किया है या जिस पर कोई अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, एक हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगा। **(2)** ऐसी धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
अपील	**15.**	**(1)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे उक्त विनिश्चय की संसूचना दी गई थी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये : परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि अपीलार्थी ससमय किसी कारणवश नहीं कर पाया था, अपील दाखिल तो वह 90 दिन की कालावधि की समाप्ति पर भी अपील पर विचार कर सकेगा।

1-उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(2) विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
पुनरीक्षण	**16.**	**(1)** जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहां राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी आदेश, जाँच या कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या शुद्धता के परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की जाँच या कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगी और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे : परन्तु यह कि ऐसे आदेश की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई अभिलेख नहीं मंगाया जायेगा। **(2)** राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी भी आदेश में किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
		अध्याय– छः **<u>प्रतिकर</u>**
प्रतिकर का संदाय	**17.**	**(1)** जहाँ किसी भी व्यक्ति को बाढ़ मैदान में कोई कार्यकलाप हाथ में लेने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया हो या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित, प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता हो तो वहाँ वह ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01 वर्ष 1894) की धारा 23 एवं 24 के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य और उस मूल्य के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा, जो कि उसे उस तिथि में मिलता कि जब किसी कार्यकलाप के क्रियान्वयन की अनुज्ञा मिल गई होती या जब निर्बन्धन अथवा प्रतिषेद्ध अधिरोपित नहीं किया गया होता। **(2)** उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करने में ऐसे किसी भी निर्बन्धन पर विचार किया जायेगा, जिसके कि अध्यधीन वह भूमि, प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति के, उस भूमि पर कोई भी कार्य करने या उस भूमि के अन्यथा उपयोग के, अधिकार के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन है।
सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण	**18.**	**(1)** जिस व्यक्ति को धारा 17 के अधीन प्रतिकर संदत्त किया जाना है तथा ऐसी धनराशि का प्रभाजन, जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है, उसका निर्धारण प्रतिकर में हितबद्धता का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा, करार द्वारा अवधारित किया जायेगा। **(2)** ऐसे किसी करार के अभाव में, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, ऐसी जाँच जो वह आवश्यक समझे :— **(क)** धारा 17 के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि; **(ख)** प्रतिकर का ऐसे व्यक्तियों में, जिनका उसमें हितलाभ होने की जानकारी अथवा विश्वास किया जाता है, प्रभाजन अवधारण कर, अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा : परन्तु यह कि जहाँ प्रतिकर की राशि दस हजार रूपये से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवार्ड नहीं किया जायेगा।

{उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012}

प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना	**19.**	**(1)** कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, यदि :– **(क)** जहाँ तक भूमि उस तारीख को जिस दिन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त सारतः वैसे ही निर्बन्धनों के अध्यधीन है; या **(ख)** यदि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतः समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार या उसके पूर्वाधिकारी, जिसका दावे में हितबद्धता है, भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का पहले ही संदाय कर दिया गया है, **(ग)** किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए। **(2)** यदि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कोई गतिविधि आरम्भ की गयी है तो ऐसी गतिविधि से भूमि के मूल्य में वृद्धि पर भूमि के मूल्य का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा।
अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन	**20.**	**(1)** धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त प्राधिकृत करे, आवेदन कर सकेगा। **(2)** उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये और अवार्ड की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किया जायेगा। **(3)** इस धारा के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।
धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रकिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ	**21.**	**(1)** धारा 20 के अधीन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 05 वर्ष 1908) की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहियाँ समझा जायेगा और उसका विचारण करने में निर्देश विनिश्चय करने के लिये सशक्त प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। **(2)** जाँच का क्षेत्र राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।
विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना	**22.**	धारा 21 के अधीन निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा।
अधिनिर्णय के अधीन संदाय	**23.**	धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर अथवा धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अभिनिर्णय दे दिये जाने पर या ऐसे अभिनिर्णय के विरूद्ध धारा 20 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो प्राधिकारी के विनिश्चय के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जायेगा और ऐसे संदाय पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01, वर्ष 1894) की धारा 31 से 35 के उपबन्ध लागू होंगे।

{उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012}

		अध्याय– सात **प्रतिषेद्व के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति**
प्रतिषेद्व के पश्चाद् बाधाएं हटाने की शक्ति	**24.**	**(1)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि के किसी स्वामी अथवा अधिभोगी को कोई कार्य करने या अनधिकृत अवरोध हटाने का ऐसे समय के अन्दर जैसे विनिर्दिष्ट किया जाय, निदेश दे सकता है और भूमि का स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसा कार्य करेगा और अवरोध हटायेगा। **(2)** यदि स्वामी या अधिभोगी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी वह कार्य करवा सकेगा और अवरोध हटवा सकेगा। **(3)** बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया समस्त व्यय ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा जायेगा।
		अध्याय– आठ **विविध**
बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा	**25.**	कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी का इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कार्य का निर्वहन करने से रोकता है, उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 186 के अधीन अपराध किया है।
बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना	**26.**	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण	**27.**	**(1)** कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो ऐसे किसी भी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो, राज्य सरकार ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हो। **(2)** कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी वाद के लिए कारित या कारित होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो।
जुर्माने की वसूली	**28.**	इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) में उपबंधित रीति से वसूल किये जायेंगे।
न्यायालय की शक्ति	**29.**	सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निस्तारण, विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, निस्तारित, विनिश्चित किया जाना या

		जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

{उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012}

नियम बनाने की शक्ति	**30.**	**(1)** राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। **(2)** विशेष रूप से पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे :– **(क)** वह रीति, जिससे चार्ट और अभिलेख रखे जायेंगे; **(ख)** वह प्ररूप और रीति जिससे धारा 20 के अधीन आवेदन किया जायेगा और वह रीति, जिससे ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा; तथा **(ग)** कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाए।
		(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र 14 दिन की कुल अवधि के एक या दो या अनुवर्ती सत्रों में हों, प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपरोक्त सत्र या अनुवर्ती सत्र के तुरन्त कि नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावित हो जायेगा तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण का इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो। बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व यदि सदन उक्त नियम में कोई उपान्तरण के लिये सहमत हो जाता है तथा सदन सहमत हो जाता है।
निरसन और अपवाद	**31.**	**(1)** उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। **(2)** ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

****

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012
[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

INDEX

Section	Particular	Page No.
1	2	3
	CHAPTER-I	
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
	CHAPTER-II	
	FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS	
3.	Declaration of flood plain zoning	
4.	Powers and functions of the Flood Zoning Authority	
	CHAPTER - III	
	SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA	
5.	Survey	
6.	Power to take up survey	
7.	Payment of damages	
	CHAPTER-IV	
	NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS	
8.	Declaration of intention of State Government to demarcate flood plains areas	
9.	Public Notices	
10.	Objections	
11.	Decision of State Government	
	CHAPTER-V	
	PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS	
12.	Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	
13.	Penalty	
14.	Power to Compound	
15.	Appeal	
16.	Revision	

CHAPTER-VI

COMPENSATION

17. Payment of compensation

18. Determining the compensation and apportionment by consent

19. Compensation not admissible

20. Application against award

21. Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20

22. Decision enforceable as decree of civil court

23. Payment under award

CHAPTER-VII

POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION

24. Power to remove obstructions

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

25. Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence

26. Flood zoning Authority other officers to be public servants

27. Protection of action taken in good faith

28. Recovery of fine

29. Power of Court

30. Power to make rules

31. Repeal and Saving

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012
[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

An
Act

to provide for the zoning of flood plains of rivers in the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :–

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement	**1.**	**(1)** This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012. **(2)** It extends to the whole of the State of Uttarakhand. **(3)** This section shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint: Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act, and for different areas of different rivers.
Definitions	**2.**	In this Act, unless the context otherwise requires:- **(a) "Flood Plain"** includes water channel, flood channel and that area of nearly low and which is susceptible to flood by inundation; **(b) "Flood Plain Zoning"** means restricting any human activity in the flood plains of a river where the plains are created by overflow of water from the channels of rivers and streams; **(c) "Flood Zone"** means the area which is required to carry the flow of the maximum probable floods; **(d) "Flood Zoning Authority"** in relation to river, means the authority appointed by the State Government under section 3; **(e) "Land"** includes interest in lands, benefits arising out of lands and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth; **(f) "Occupier"** in respect of any land, means any person who has an interest in the land and cultivates the land himself or by his servants or by hired labour and includes a tenant; **(g) "Owner"** in relation to any land includes any person having interest in such land; **(h) "Prescribed"** means prescribed by rules made by the State Government under this Act;
		(i) "River" includes its tributaries; and **(j) "Water Channel"** means the channel in which the flows of a river are generally confined.

[*The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012*]

		CHAPTER-II **FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS**
Declaration of flood plain zoning	**3.**	**(1)** Where the State Government considers it necessary or expedient so to do, it may, by notification in the Official Gazette declare that flood plain zoning shall be made in the manner hereinafter specified. **(2)** The State Government may direct that a survey be made of a river for the purpose of determining the limits within which the provisions of this Act are to be applied and that proper charts and registers be prepared specifying all boundaries and landmarks and any other matter necessary for the purpose of ascertaining such limits. **(3)** The State Government may by notification in the Official Gazette appoint the Collector of the District or such other authority as the Government considers necessary, as the Flood Zoning Authority for the purposes of making a survey of the area as required under sub-section (2) and may specify in such notification, the duties to be discharged by such authority.
Powers and functions of the Flood Zoning Authority	**4.**	The Flood Zoning Authority shall exercise the powers and discharge the duties in accordance with the provisions of this Act and the terms and conditions specified in the notification under sub-section (3) of section 3.
		CHAPTER - III **SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA**
Survey	**5.**	**(1)** The Flood Zoning Authority shall carry out surveys of flood plains of the rivers and determine the nature and the extent of flood plains of the rivers. **(2)** The Flood Zoning Authority shall, on the basis of the survey carried out under sub-section (1) establish flood plain zones and delineate the areas which are subject to flooding including classification of land with reference to relative risk of flood plain use intended to safeguard the health, safety and property of the general public. **(3)** The Flood Zoning Authority shall prepare charts and registers indicating the areas delineated under sub-section (2).
Power to take up survey	**6.**	It shall be lawful for the Flood Zoning Authority or any of the officers generally or specially authorized by it in this behalf- **(a)** to enter upon and survey and take levels of any land within its or his jurisdiction; **(b)** to mark such levels, boundaries and lines by placing marks or boundary stones;

[*The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012*]

		(c) to measure the land; **(d)** to do all other acts necessary for the purposes of ascertaining the limits referred to in sub-section (2) of section 3; and **(e)** Where otherwise the survey cannot be completed and the levels taken, to cut down and clear away any part of standing crop, fence or jungle : Provided that no Flood Zoning Authority or any other officer shall enter into any building or open any enclosed court or garden attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least seven days notice in writing of its or his intention to do so.
Payment of damages	**7.**	**(1)** The Flood Zoning Authority or any other officer generally or specially authorized by it in this behalf, who has entered upon any land under section 5 shall, before leaving, tender compensation to the owner or occupier of such land for any damage which may have been caused and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, the Flood Zoning Authority or such officer shall refer the matter to the State Government for its decision. **(2)** The decision of the officer under sub-section (1) shall be final and no suit shall lie in a civil court to have it set aside or modified.
		CHAPTER-IV **NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS**
Declaration of intention of State Government to demarcate flood plains areas	**8.**	The State Government may on the basis of a report from the Flood Zoning Authority or otherwise, by notification in the Official Gazette, declare its intention to demarcate the flood plain areas and either prohibit or restrict the use of land therein.
Public Notices	**9.**	**(1)** The Flood Zoning Authority shall, on the issue of notification under section 8, cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the area. **(2)** The Flood Zoning Authority shall also give notices individually to the owners of the lands situated in the area. **(3)** The Flood Zoning Authority shall exhibit records, charts, maps, registers and such other document showing the river channel, flood channel and the flood plain area, specifying the nature and extent to which the use of limits of the area is either prohibited or restricted, in the office for inspection by the General public at the timing specified therein.

[*The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012*]

Objections	**10.**	**(1)** Any person, who desires to raise any objection to the limits and either the prohibitions or restrictions specified in the public notice referred to in section 9, may within a period of sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, forward to the Flood Zoning Authority a statement in the writing setting forth his objections.
		(2) After the expiry of the period aforesaid, the Flood Zoning Authority shall issue a notice in a manner prescribed and consider the objections after giving the party concerned a reasonable opportunity of being heard in the matter. **(3)** The Flood Zoning Authority shall forward to the State Government its or his proposals together with the records referred to in sub-section (3) of section 9.
Decision of State Government	**11.**	**(1)** The State Government shall after considering the report of the Flood Zoning Authority, order such alteration in the limits of the area as it considers necessary. **(2)** The decisions of the State Government shall be final. **(3)** The State Government shall by notification in the Official Gazette, declare that the provisions of this Act shall apply to the said river with boundaries and limits as specified : Provided that the State Government shall also make arrangement for rehabilitation of Colonies already existing in the flood plain. **(4)** The areas delineated and approved by the State Government shall be deemed to be the flood plain and the limits shall, where necessary be marked either by boundary stones or other suitable marks. **(5)** The Flood Zoning Authority shall maintain the charts and registers of such areas so delineated and such charts and registers shall form part of the permanent records of the office. **(6)** The charts and registers maintained under sub-section (5) shall be furnished to the Collector of the District in which any part of the river is situated and shall be opened for inspection by the general public at such times as may be prescribed.
		CHAPTER-V **PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS**
Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	**12.**	**(1)** Where the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public health, safety or property or reducing the inconvenience to the general public to prohibit or restrict the activities in the flood plain, the Government may, by notification in the Official Gazette, specify the area where such prohibition or restriction is to be enforced and the nature and extent of such prohibition or restriction :

[*The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012*]

		Provided that no notification under this sub-section shall be issued after the expiry of [1][eighteen months] from the date of publication of notification under section 8. **(2)** Upon the publication of a notification under sub-section (1), notwithstanding anything contained in any law, custom, agreement of instrument, for the time being in force, the prohibition or restriction specified in such notification shall prevail. **(3)** No person shall undertake any activity within the prohibited area or restricted area except with the previous permission of Flood Zoning Authority: Provided that where a person makes an application to the Flood Zoning Authority for permission under this sub-section to undertake any activity and the Flood Zoning Authority does not within a period of ninety days from the date of receipt of such application, communicate to the said person that permission applied for has been refused, it shall be presumed that he Flood Zoning Authority has granted such permission.
Penalty	**13.**	If any person commences or carries on or attempts to carry on any activity in the areas specified in the notification under sub-section (1) of section 12 contrary to the terms and conditions specified in such notifications, he shall be punishable- **(a)** with fine which may extend to five hundred rupees and in default of payment of fine, with simple imprisonment for the term which may extend to two months; and **(b)** with further fine which may extend to one hundred for each day during which the offence continues after the conviction under clause (a).
Power to Compound	**14.**	**(1)** Subject to such conditions as may be prescribed, any officer authorized by the State Government by a general or special order in this behalf may, either before or after the institution of proceedings under this Act, accept from the person who has committed or is reasonably suspected of having committed and offence, a sum of money not exceeding one thousand rupees. **(2)** On the payment of such sum of money, such person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.
Appeal	**15.**	**(1)** Any person aggrieved by any decision of the Flood Zoning Authority may prefer an appeal to an authority prescribed by the State Government in this behalf, within a period of ninety days from the date on which such decision was communicated to him: Provided that the prescribed authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

1-Subs. by section 2 of UK Act no 22 of 2018.

[*The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012*]

		(2) The prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such orders as it thinks fit and the decision thereof shall be final.
Revision	**16.**	**(1)** Where no appeal has been preferred under section 15, the State Government may, for the purpose of examining the legality propriety or correctness of any order, inquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority, call for the records of any enquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority and make such order in the case as it think fit : Provided that no such record shall be called after the expiry of six months form the date of such order. **(2)** No order of the Flood Zoning Authority shall be varied by the State Government so as to prejudicially effect any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard in the matter.
		CHAPTER-VI **COMPENSATION**
Payment of compensatio n	**17.**	**(1)** Where any permission to undertake any activity in the flood plain has been refused to any person or where as a result of prohibition or restriction imposed on any person under this Act, such person suffers any damage, he shall be entitled to the payment of compensation not exceeding the difference between the value of the land as determined under section 23 or section 24 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894) and the value which it would have, had the permission for carrying on any activity had been granted or the prohibition or restriction had not been imposed. **(2)** In determining the amount of compensation under sub-section (1) any restriction to which the land is subjected to under any other law for the time being in force in regard to the right of the person claiming compensation to carry on any activity on the land or otherwise to the use of the land shall be taken into consideration.
Determining the compensatio n and apportion-ment by consent	**18.**	**(1)** The person to whom the compensation under section 17 is to be paid and the apportionment of such amount among the persons interested therein shall be determined by agreement between the Flood Zoning Authority and the person or persons claiming interest therein. **(2)** In default of any such agreement, the Flood Zoning Authority shall, after holding such enquiry as it considers necessary, make an award determining :- **(a)** the amount of compensation to be paid under section 17; and **(b)** the apportionment, if any, of such compensation among persons known or believed to be interested therein; Provided that where the amount of compensation exceeds ten thousands rupees, no award shall be made without the previous approval of the State Government or such other officer as the State Government may authorized in this behalf.

Compensation not admissible	**19.**	**(1)** No compensation shall be awarded -- **(a)** if and in so far as the land is subject to substantially similar restriction in force under some other law in force on the date on which the restrictions were imposed by or under this Act; or **(b)** if compensation in respect of the same restrictions imposed by or under this Act or substantially similar restrictions in force under some other law has already been paid in respect of the land to the claimant or any predecessor in interest of the claim; or **(c)** for removal of any encroachment. **(2)** If any person has unauthorized undertaken any activity, then any increase in the land value from such activity shall not be taken into account in estimating the value of land.
Application against award	**20.**	**(1)** Any person aggrieved by the Award of the Flood Zoning Authority under sub-section (2) of section 18 may, by an application in writing, apply to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf. **(2)** Any application under sub-section(1) shall be made in such form and in such manner as may be prescribed and shall be made within forty five days from the date of communication of the award. **(3)** The application under this section shall be disposed of in such manner as may be prescribed.
Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20	**21.**	**(1)** An application under section 20 shall be deemed be proceedings within the meaning of section 141 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 05 of 1908) and in the trial thereof, the authorities empowered to decide a reference may exercise the powers of a civil court. **(2)** The scope of inquiry shall be restricted to the consideration of the matter referred to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf.
Decision enforceable as decree of civil court	**22.**	The decision under section 21 shall be enforceable as a decree of a civil court.
Payment under award	**23.**	On the determination of the compensation under sub-section (1) of section 18, or on the making of an award under sub-section (2) of Section 18 or, if an application is made under section 20 against such award, after decision of the authority, the compensation shall be paid by Flood Zoning Authority and the provisions of section 31 to 35 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894), shall apply to such payment.

		CHAPTER-VII **POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION**
Power to remove obstructions	**24.**	**(1)** The Flood zoning Authority may, in accordance with the provisions of this Act, direct any owner or occupier of land to do any act or to remove any un-authorized obstructions within such time as may be specified by it and such owner or occupier shall do such act or remove the obstructions. **(2)** If owner or occupier fails to comply with the order of the Flood Zoning Authority within the time specified under sub-section (1), the Flood Zoning Authority may cause the act to be performed or cause the obstructions to be removed. **(3)** All expenses incurred by the Flood Zoning Authority under this section shall be recovered from such owner or occupier as arrears of land revenue.
		CHAPTER-VIII **MISCELLANEOUS**
Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence	**25.**	Any person who prevents the Flood Zoning Authority in discharging any act imposed on such Authority by or under this Act, shall be deemed to have committed an offence under section 186 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
Flood zoning Authority other officers to be public servants	**26.**	The Flood zoning Authority and other officers and employees authorized under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
Protection of action taken in good faith	**27.**	**(1)** No suit, Prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or an order made thereunder. **(2)** No suit, or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.
Recovery of fine	**28.**	All fines imposed under this Act shall be recovered in the manner provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 02 of 1974).
Power of Court	**29.**	A Civil Court shall have jurisdiction to settle, decider or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or deal with by the Flood Zoning Authority or such other officer as is authorized by the State Government in this behalf.

Power to make rules	**30.**	**(1)** The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act. **(2)** In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for --- **(a)** the manner in which charts and records shall be maintained; **(b)** the form and manner in which application under section 20 shall be made and the manner in which such application shall be disposed of; and **(c)** any other matter which has to be, or may be, prescribed.
		(3) Every rule made under this Act shall by laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of 14 days which may be comprised in one session or two or successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
Repeal and Saving	**31.**	**(1)** The Uttarakhand Flood Plain Zoning Ordinance, 2012 is hereby repealed. **(2)** Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

****

क्रम संख्या–34

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0

फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 118/XXXVI(3)/2024/02(1)/2024

देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024' पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 08, वर्ष–2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–07, 2013 समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम 2024 है।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 12 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 12 की उपधारा (1) में–
   (i) परन्तुक में "अठारहः मास" शब्दों के स्थान पर "चौबीस मास" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे,
   (ii) परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

   परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू–सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में, धारा 8, 9, 10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,

प्रमुख सचिव।

No. 118/XXXVI(3)/2024/02(1)/2024
Dated Dehradun, March 16, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024' (Act No. 08 of 2024).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16th March, 2024.

The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024

(Uttarakhand Act No. 08 of 2024)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012(Uttarakhand Act. 07 of 2013) (as amended from time to time)

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the 75th Year of the Republic of the India as follows-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 12

2. In subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012-

(i) In proviso, for the words "eighteen months" the words "twenty four months" shall be substituted

(ii) After the proviso, the following proviso shall be inserted namely ;-

Provided further that, if State Government take decision in public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing river bank development, the final notification issued, may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under sections 8,9,10 and 11"

By Order

NITIN SHARMA,
Principal Secretary.

CWC.GOV.IN

CWCOfficial.GoI

CWCOfficial_GoI

CWCOfficial.GoI

c/CWCOfficialGoI

CENTRAL WATER COMMISSION

Department of Water Resources, River Development
& Ganga Rejuvenation

Ministry of Jal Shakti

Annexure K

उत्तराखण्ड विधान सभा

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 80 /वि0स0/03/संसदीय/ 2022

देहरादून, दिनांकः 21 जुलाई, 2025

प्रेस नोट

उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल ने, उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा को उसके वर्ष, 2025 के द्वितीय सत्र के लिए मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से विधान सभा भवन, भराड़ीसैंण, गैरसैंण, जनपद चमोली में आहूत किया है।

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

Press Note

Hon'ble Governor, Uttarakhand has summoned the Fifth Vidhan Sabha of Uttarakhand to meet at 11:00 A.M. on Tuesday, the 19th August, 2025 in Vidhan Sabha Bhavan, Bhararisain, Gairsain, District Chamoli for its Second Session of the year, 2025.

(Hem Chandra Pant)
Deputy Secretary (Accounts),
For Secretary,
Legislative Assembly,
Uttarakhand.

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

File No.: L-25012(11)/7/2025-O/o ED(TECH) NMCG Dated: 30th April, 2025

Subject: Subject: Submission of Status Report in O.A. No. 417/2022 before Hon'ble NGT –Regarding Illegal Encroachments on the Banks of Rispana River

Ref: Hon'ble NGT order dated 13th February, 2025 in the matter of Niranchan Bagchi vs. State of Uttarakhand & Ors. OA no. 417 of 2022

Kind attention is drawn towards above referred proceedings before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in Original Application No. 417/2022 titled Niranchan Bagchi vs. State of Uttarakhand & Ors. The matter was listed before the Hon'ble Tribunal on 13.02.2025.

a. The grievance in the present application is regarding unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun and discharge of untreated domestic sewage, dairy waste and industrial effluent in the rivers.

b. As per para 2 of the order dated 17.03.2025 of Hon'ble Tribunal:

"out of 89 illegal encroachments 20 illegal encroachments are supported by valid proof of construction/residency prior to the cut-off date of 11.03.2016 and remaining 69 encroachments were removed. In para no. 8 of the abovesaid application the applicant has mentioned that out of 413 encroachments in villages Kathbangla, Veer Gabbar Singh Basti, Tarla Nangal, Chidowali, Kandoli, Dhakpatti and Happy Enclave on the banks of the Rispana River, 350 were found to have existed/have been completed prior to 11.03.2016 and remaining 66 constructions have been removed. However, copies of reports regarding 89 illegal encroachments submitted to the Commissioner Municipal Corporation, Dehradun and 413 encroachments submitted to the Vice-Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority have not been enclosed with the application."

A copy of the Hon'ble Tribunal's order dated 13.02.2025 and 17.03.2025 is enclosed herewith for your ready reference.

2. Vide aforementioned order, the Hon'ble Tribunal has impleaded NMCG as respondent no. 9 in the present application.

3. As per River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, particularly Section 6(3), *inter alia*, states that:

"Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them."

एन.एम.सी.जी., (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत निबंधित सोसायटी)
प्रथम तल, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110002
NMCG, (A Registered Society under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph : 011-23072900, 23072901

4. In view of above, State Government is requested to:

   a. Submit a detailed report in the matter for examination by the NMCG;

   b. Flood Plain Zoning carried out in the stretch along the banks of river Rispana;

   c. State Government order / notification, if any defining the protected / regulated zone in the flood plain zoning and criteria adopted for the same; and

   d. Any other material state government assumes relevant for the present matter.

An early response, preferably by Friday next, i.e. 02.05.2025 is solicited.

Encl.: As above

(Anup Kumar Srivastava)
Executive Director - Technical

To,

1. The Secretary, Uttarakhand Government, Email: secretaryhealthuk@gmail.com
2. The District Magistrate, Chairperson, District Ganga Committee, Uttarakhand. Email: dm-deh-ua@nic.in

Copy for kind information to:
1. PS to DG, NMCG
2. PS to CS, Uttarakhand, Email: cs-uttaranchal@nic.in

Annexure M

From,

Engineer-in-Chief
Irrigation Department,
Uttarakhand, Dehradun.

To,

Executive Director-Technical
National Mission for Clean Ganga,
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium
India Gate, New Delhi.

Letter No.4538/E-in-c/Irrigation Dept./Planning section/NGT Dated 25-07-2025

Reference- 2592/E-in-c/ Irrigation Dept./Planning Section/NGT/ Dated 03-05-2025.

Subject - Submission of Status Report in O.A No. 417/2022 before Hon'ble NGT- regrading Legal Encroachment along both banks of Rispana River.

Sir,

Please refer to your letter bearing letter no.-L-25012(II)/7/2025-O/ED(TECH) NMCG dated 30-04-2025 which is addressed to Secretary. Govt of Uttarakhand and District Magistrate Dehradun. The issue related to Irrigation Department Uttarakhand has been previously replied vide letter no. -2592 dated 03-05-2025 and update status in this regard is followed herein as under.

1- Flood Plain Zoning carried out in the stretch along the banks of river Rispana.

Response- Final notification of Flood Plain Zoning pertaining to river Rispana in 27km. stretch of river had been approved by the Hon'ble State Cabinet and final notification has been issued vide Govt. Order no. 327/II(2)/2025-06(40)/2024 Dated 05-05-2025 demarcation of Restricted and Prohibited Zone is going on and it will be completed by 31-07-2025

Longitude and Latitude of Pillars, upto 10 km. KML file of the Rispana Flood Plain Zoning duly notified by the Govt. is here by enclosed.

2- State Government order/notification, if any defining the protected/ regulated zone in the flood Plain Zoning and criteria adopted for the same and

Response- Since, final notification of Flood Plain Zoning of river Rispana has been approved by the Hon'ble State Cabinet and final notification has been issued on dated 05-05-2025. Prohibited and Regulated zone demarcation by the Irrigation Department is going on and shall be completed by dated 31-07-2025. The criteria for the Flood Plain Zone have been adopted from the provisions contained in Paragraph 6.1.4 of the National Disaster Management Authority (NDMA) Guidelines, 2008.

(Subash Chandra)
Engineer-in-Chief

Letter No. 4538 /E-in-c-/Irrigation Dept/Planning Section/NGT

Copy to:-

1- Secretary, Urban Development, Department Dehradun.
2- Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand.
3- D.M. Dehradun.
4- Commissioner Municipal Corporation, Dehradun.
5- Project Director, SPMG Dehradun.

(Subash Chandra)
Engineer-in-Chief

Annexure N

राजीव कुमार मित्तल, भा.प्र.से.
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
Rajeev Kumar Mital, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

संख्या........./नि०स०-सं०/20
दिनांकः देहरादून............../20

DSCUD

D.O. No. L-25012(11)/7/2025-O/o ED(TECH) NMCG

Dated : 29th July 2025

(अतुल कुमार)
प्रमुख निजी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

Resp. Sir,

I would like to invite your kind attention towards ongoing proceedings before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in Original Application No. 417/2022 wherein a set of concerns have been raised regarding unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun.

As per the directions of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) dated 27.05.2025 ***(Annex-1)***, the National Mission for Clean Ganga (NMCG) is required to undertake a detailed review of all such structures.

In this context, reference is invited to NMCG letter No. L-25012(11)/7/2025-O/o ED(Tech) dated 30.04.2025 (***Annex-2***) vide which details of structures constructed or under construction on the riverbed and floodplain of River Rispana, etc. were requested from the State. However, the response received does not explicitly show/establish the expanse of flood plains on either side of the river at different return periods (5-yr, 25-yr, 100-yr) nor does it specify location of structures falling within these zones.

Now, a committee comprising officials from NMCG and concerned State Govt departments has been formed to conduct on-ground assessment and submit a report based on their findings. This committee has already held its first meeting and has asked concerned State Govt agencies to supply requisite information within a stipulated time. (Relevant copies are attached as ***Annex-3&4***).

Above in view, it is requested to kindly issue appropriate directions to concerned agencies for the expeditious compilation and submission of the required data to the Committee to finalize its report, which will help NMCG to act as per provisions of Section 6(3) and ensure timely compliance with the directions of the Hon'ble NGT.

Pr. Secy Forest
Secy. UD

457840/2025/o/cs
12/8/25

Yours sincerely,

(Rajeev Kumar Mital)

Shri Anand Bardhan, IAS
Chief Secretary,
Govt of Uttarakhand,
4 Subhash Road, Secretariat,
Dehradun 248001 Uttarakhand

(सचिवालय)
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट ...

320244

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
ई–पत्रावली संख्या– 83013/IV(2)श0वि0–2025, 12(रिट)/022,
देहरादूनः दिनांक 06, अगस्त, 2025

सचिव,
सिंचाई,
<u>उत्तराखण्ड शासन।</u>

कृपया महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्याः एल–25012, दिनांक 29.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27.05.2025 को पारित आदेशों के क्रम में रिस्पना नदी किनारे निर्मित प्रश्नगत् संरचनाओं की समीक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

2– उक्त सम्बन्ध में राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के पूर्व पत्र दिनांक 30.04.2025 का सन्दर्भ देते हुए निम्न बिन्दु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की हैः–

" However, the response received does not explicitly show/establish the expanse of flood plains on either side of the river at different return periods (5-yr, 25-yr, 100-yr) nor does it specify location of Structures falling within these zones. "

2– प्रकरण के स्थलीय मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो कि शीघ्र ही राज्य सरकार के साथ समन्वय करते हुए अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। चूंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रस्तर–2 में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही सिंचाई विभाग के स्तर से की जायेगी। अतः महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उक्त तिथित पत्र आपको इस आशय से सन्दर्भित किया जा रहा है कि तदनुसार वांछित सूचना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: [illegible]25
14:12:58
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

<u>संख्या– 320244, /IV(2)–श0वि0–2025, तद्दिनांकित।</u>
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - जिलाधिकारी, देहरादून।
2. - उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. - नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

4. - प्रमुख अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक, सिंचाई/जल संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. - सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

मु॰ सं॰ 177/IV(3)/2025

राजीव कुमार मित्तल, भा.प्र.से.
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
Rajeev Kumar Mital, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

DS-UD/2334/AS.UD

01/08/25
(कपिल कुमार चौहान)
निजी सचिव अपर सचिव
शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी
एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन

D.O. No. L-25012(11)/7/2025-O/o ED(TECH) NMCG **Dated : 29th July 2025**

Resp. Sir,

I would like to invite your kind attention towards ongoing proceedings before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in Original Application No. 417/2022 wherein a set of concerns have been raised regarding unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun.

As per the directions of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) dated 27.05.2025 ***(Annex-1)***, the National Mission for Clean Ganga (NMCG) is required to undertake a detailed review of all such structures.

In this context, reference is invited to NMCG letter No. L-25012(11)/7/2025-O/o ED(Tech) dated 30.04.2025 (***Annex-2***) vide which details of structures constructed or under construction on the riverbed and floodplain of River Rispana, etc. were requested from the State. However, the response received does not explicitly show/establish the expanse of flood plains on either side of the river at different return periods (5-yr, 25-yr, 100-yr) nor does it specify location of structures falling within these zones.

Now, a committee comprising officials from NMCG and concerned State Govt departments has been formed to conduct on-ground assessment and submit a report based on their findings. This committee has already held its first meeting and has asked concerned State Govt agencies to supply requisite information within a stipulated time. (Relevant copies are attached as ***Annex-3&4***).

Above in view, it is requested to kindly issue appropriate directions to concerned agencies for the expeditious compilation and submission of the required data to the Committee to finalize its report, which will help NMCG to act as per provisions of Section 6(3) and ensure timely compliance with the directions of the Hon'ble NGT.

Yours sincerely,

457849/2025
O.O.(C)
31/7/25

प्र॰ स॰, वन एवं पर्यावरण
सचिव, श॰वि॰/EMC

(Rajeev Kumar Mital)

Shri Anand Bardhan, IAS
Chief Secretary,
Govt of Uttarakhand,
4 Subhash Road, Secretariat,
Dehradun 248001 Uttarakhand

(Anand Bardhan)
Chief Secretary
Govt. of Uttarakhand
30/7/25

31/07/25

संख्या 1873 नि॰रा॰—सं॰ / 20
दिनांकः देहरादून 1/8/2025

(अर्जुन कुमार)
प्रमुख निजी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

[redacted]

Annexure P

E-mail

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62 राजपुर रोड, देहरादून–248001
Email –sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष एवं फैक्स- 0135–2742885

पत्रांक - 2038/885/SBM/NGT/2022 दिनांक - 29.07.2025

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक(तकनीकी)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
प्रथम तल, मेजर ध्यानचन्द राष्ट्रीय स्टेडियम,
इण्डिया गेट, नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17–07–2025 को आहूत बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आख्या निम्नवत् है:–

2– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के द्वारा पत्र संख्या– 795 दिनांक 25.04.2024 **(संलग्नक–1)** के माध्यम से टास्क फोर्स गठित की गयी। जिसके क्रम में टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित किये गये कुल 525 अतिक्रमण के सापेक्ष अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गयी। नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के पत्र संख्या– 2072 दिनांक 05–07–2024 **(संलग्नक–2)**, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादनू विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या– 158 दिनांक 24.04.2025 **(संलग्नक–3)**, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी के पत्र संख्या– 599 दिनांक 01.07.2024 **(संलग्नक–4)** व उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून के पत्र संख्या– 1079 दिनांक 02.07.2024 **(संलग्नक–5)** के अनुसार उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी आख्या निम्नवत है–

Jurisdiction	Total Identified	Removed	Exempted
Nagar Nigam Dehradun	89	69	20
Mussoorie Dehradun Development Authority	413	66	347
Nagar Palika Parishad Mussoorie	12	10	02
Non ZA Land	11	05	06
Total	**525**	**150**	**375**

3– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने दिनांक 30.04.2025 के अपने पत्र द्वारा उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के सचिव को संबोधित करते हुए River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, को उल्लिखित किया, विशेष रूप से धारा 6(3) का, जो अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंधित करता है–

"कि यदि इस आदेश के प्रवर्तन से पूर्व गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के नदी तट अथवा सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे निर्माणों की समीक्षा "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" द्वारा की जाएगी, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या उक्त निर्माण गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के जल के सतत प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे है या उनमें प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, और यदि ऐसा पाया जाता है, तो उक्त निर्माणों को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी।"

4– उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्ती के सुधार, विनियमितीकरण, पुर्नवासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियमए 2016 **(संलग्नक–6)**

की धारा 5 में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित मलिन बस्तियों को छोड़कर दिनांक 11-03-2016 के पश्चात् बसने वाली मलिन बस्तियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी।

5- शासन की अधिसूचना दिनांक 17-10-2018 **(संलग्नक-7)** के माध्यम से उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 प्रख्यापित है, जिसकी धारा-04 में निम्नवत् व्यवस्था है:-

(1) इस अधिनिमय के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधन हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सकें।

(2) उपधारा (1) में दियें गये प्रावधानों के तहत न्यायालयों के किसी भी निर्णय डिक्री और आदेशों से सम्बन्धित मामलों के अतिरिक्त, उपधारा (1) में वर्णित मामलों में दिनाकं 11-03-2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित मामलों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा जारी सभी नोटिसों के परिणामस्वरूप कोई भी दंडात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से अगले 03 वर्ष के लिए निलम्बित कर दी जायेगी और इस अवधि के दौरान कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नही की जायेगी। शासन की अधिसूचना दिनाकं 03-04-2024 **(संलग्नक-8)** द्वारा उपधारा(3) की समय सीमा को 09 वर्ष किया गया है। इस प्रकार उक्त अधिनियम का प्रभाव दिनांक 11-03-2027 तक रहेगा।

6- उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-821, दिनांक 18-07-2025 **(संलग्नक-9)** में संलग्न आख्या में प्रमाणित किया गया है कि रिस्पना नदी में छोडे जाने वाले चिन्हित 208 घरेलू नालों से रिस्पना नदी प्रदूषित नही हो रही है।

7- अतः उपरोक्तनुसार आख्या संलग्नको सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

29/07/2025

(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक।
कृते निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड शासन।
3. निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सदस्य सचिव, उतराखड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, देहरादून
5. स्टाफ ऑफिसर,मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई०एम०सी, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।
7. कार्यक्रम निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छता मिशन/नमामि गंगे, देहरादून।

(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक।
कृते निदेशक।

E-mail

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
31/62 राजपुर रोड, देहरादून–248001
Email –sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष एवं फैक्स– 0135–2742885

पत्रांक - 2038/885/SBM/NGT/2022 दिनांक - 29.07.2025

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक(तकनीकी)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
प्रथम तल, मेजर ध्यानचन्द राष्ट्रीय स्टेडियम,
इण्डिया गेट, नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17–07–2025 को आहूत बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आख्या निम्नवत् हैः–

2– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के द्वारा पत्र संख्या– 795 दिनांक 25.04.2024 **(संलग्नक–1)** के माध्यम से टास्क फोर्स गठित की गयी। जिसके क्रम में टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित किये गये कुल 525 अतिक्रमण के सापेक्ष अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गयी। नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के पत्र संख्या– 2072 दिनांक 05–07–2024 **(संलग्नक–2)**, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या– 158 दिनांक 24.04.2025 **(संलग्नक–3)**, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी के पत्र संख्या– 599 दिनांक 01.07.2024 **(संलग्नक–4)** व उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून के पत्र संख्या– 1079 दिनांक 02.07.2024 **(संलग्नक–5)** के अनुसार उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी आख्या निम्नवत है–

Jurisdiction	Total Identified	Removed	Exempted
Nagar Nigam Dehradun	89	69	20
Mussoorie Dehradun Development Authority	413	66	347
Nagar Palika Parishad Mussoorie	12	10	02
Non ZA Land	11	05	06
Total	**525**	**150**	**375**

3– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने दिनांक 30.04.2025 के अपने पत्र द्वारा उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के सचिव को संबोधित करते हुए River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, को उल्लिखित किया, विशेष रूप से धारा 6(3) का, जो अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंधित करता है–

"कि यदि इस आदेश के प्रवर्तन से पूर्व गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के नदी तट अथवा सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे निर्माणों की समीक्षा "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" द्वारा की जाएगी, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या उक्त निर्माण गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के जल के सतत प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या उनमें प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, और यदि ऐसा पाया जाता है, तो उक्त निर्माणों को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी।"

4– उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्ती के सुधार, विनियमितीकरण, पुर्नवासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियमए 2016 **(संलग्नक–6)**

की धारा 5 में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित मलिन बस्तियों को छोडकर दिनांक 11–03–2016 के पश्चात् बसने वाली मलिन बस्तियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी।

5– शासन की अधिसूचना दिनांक 17–10–2018 **(संलग्नक–7)** के माध्यम से उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 प्राख्यापित है, जिसकी धारा–04 में निम्नवत् व्यवस्था है:–

(1) इस अधिनिमय के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपडियों आदि के रूप में हुए अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधन हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सकें।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत न्यायालयों के किसी भी निर्णय डिक्री और आदेशों से सम्बन्धित मामलों के अतिरिक्त, उपधारा (1) में वर्णित मामलों में दिनाकं 11–03–2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित मामलों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा जारी सभी नोटिसों के परिणामस्वरूप कोई भी दंडात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से अगले 03 वर्ष के लिए निलम्बित कर दी जायेगी और इस अवधि के दौरान कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नही की जायेगी। शासन की अधिसूचना दिनाकं 03–04–2024 **(संलग्नक–8)** द्वारा उपधारा(3) की समय सीमा को 09 वर्ष किया गया है। इस प्रकार उक्त अधिनियम का प्रभाव दिनांक 11–03–2027 तक रहेगा।

6– उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–821, दिनांक 18–07–2025 **(संलग्नक–9)** में संलग्न आख्या में प्रमाणित किया गया है कि रिस्पना नदी में छोडे जाने वाले चिन्हित 208 घरेलू नालों से रिस्पना नदी प्रदूषित नही हो रही है।

7– अतः उपरोक्तनुसार आख्या संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक।
कृते निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड शासन।
3. निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सदस्य सचिव, उतराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
5. स्टाफ ऑफिसर.मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।
7. कार्यक्रम निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छता मिशन/नमामि गंगे, देहरादून।

27/07/2025

(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक।
कृते निदेशक।

(59)

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 3195/ST/2024

दिनांक 25/04/2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निर्जन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.07.2023 में निर्देशित किया गया है कि "We further direct the Secretary, Enviornment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the collector and Municipal commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment."

उत्तराखण्ड शासन विधायी एव ससदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018"उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018" तथा अधिसूचना संख्या-264/XXXVI/(3)/2021/55(1)/2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021"उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संसोधन) विधेयक, 2021" के अध्याय-2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निदेश देने की शक्ति की धारा-4 में प्रवर्तन को स्थगित किये जाने का उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। शासनादेश संख्या-श0वि0-2016-25(सा)/2014 देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर 2016, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 के बिन्दु सं0-14 निषेध तथा दण्डात्मक प्रक्रिया में "राज्य सरकार की भूमि पर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् किया जाने वाला कोई भी कब्जा दण्डनीय अपराध होगा"।

उपरोक्त के कम में नगर निगम सीमान्तर्गत नदियों के किनारे अतिकमण चिन्हित किये जाने हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स गठित की जाती हैः-

1.	अपर नगर आयुक्त	-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक (नगर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
3.	उप जिलाधिकारी (सदर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
4.	उप नगर आयुक्त (भूमि)/कर अधीक्षक	-	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियन्ता पेयजल विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
8.	अधीक्षण अभियन्ता जल संस्थान देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
9.	क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून	-	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के कम में अतिकमण चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगी, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का दिनॉक 25.07.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनॉक 13.05.2024 नियत है। इसमें किसी भी प्रकरण की लापरवाही/विलम्ब के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय, देहरादून को सादर अवलोनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपरोक्तानुसर समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0— 0135—2714074:फैक्स—0135—2651060)

पत्रांकः—2072/भूमि0/2024 दिनांकः—05/07/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त

नगर निगम देहरादून।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक—25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आदेश संख्या—795/एसटी/2024, दिनांक—25.04.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी थी। जिसमें मा0 अधिकरण के पारित आदेश के क्रम में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया था। टास्क फोर्स द्वारा नगर निगम की भूमि पर 89 अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.05.2024 को अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटालें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा तथा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्यो को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। नोटिस प्रेषित के क्रम में 47 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि उनके भवन दिनांक 11.03.2016 से पूर्व के बने हुए है। प्राप्त आवेदनों पर जांच की गयी तथा विद्युत विभाग एवं पेयजल विभाग से निर्गत बिलों से सत्यापन कराया गया। जिसके आधार पर 89 व्यक्तियों के सापेक्ष 20 व्यक्तियों के द्वारा दिनांक 11.03.2016 से पूर्व के निवास से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। जिनको अतिक्रमण की कार्यवाही से पृथक रखा गया। शेष 69 अवैध अतिक्रमण को गठित टास्क फोर्स के माध्यम से दिनांक 27.05.2024 से 28.05.2024 एवं दिनांक 07.06.2024 को कार्यवाही करते हुये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जिनका विवरण सूची एंव फोटोप्रति के अनुसार संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी/प्रशासक महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम देहरादून।

(62)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या–417/2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में चिह्नित अतिक्रमण जो 11.03.2016 से पहले के है।

क्र0 सं0	अतिक्रमण कर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं0	अतिक्रमण का प्रकार	क्षेत्रफल	प्राप्त अभिलेखें का विवरण
1	3	4	5	6	7	9	13
1	दीप्ती देवी पत्नी अजय कुमार राम	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 24.02.2016 का तथा गैस कनेक्शन 24.06.2015 का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.04.2013 का है। जांच की गयी।
2	सतीश पुत्र हरीश चन्द्र	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	52 वर्ग मी0	पानी का बिल 04.12.2012, 23.10. 2013 का नगर निगम हाउस टैक्स 20.06.2018, का है।
3	सुनीता मिश्रा पत्नी दिवाकर मिश्रा	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 11.09.2010 का है।
4	रामफल सहानी पुत्र बलदेव	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	39 वर्ग मी0	बिजली का बिल 11.09.2013–22.09.2014 वोटर कार्ड 26.01.2012 का है।
5	सरला देवी पत्नी स्व. र्मपाल	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	25 वर्ग मी0	बिजली का बिल 2018 का था, स्थलीय जांच में मौके पर राशन कार्ड 11.06.2014 है और वोटर कार्ड 12.09 2013 का है।
6	अजय सैनी पुत्र सुरेन्द्र सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर टीन पोश	40 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 19.04.2015, राशन कार्ड 23.01.2016 तथा बिजली बिल 14.03.2016 का है
7	आरिफ पुत्र अब्दुल गनी	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	35 वर्ग मी0	02.04. 2014 का वोटर कार्ड है।
8	नरेश पुत्र भरत राम	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर पोश	98 वर्ग मी0	रू0–100 के स्टाम्प पर दिनांक 22. 01.2009 को अवैध क्रय की गयी है । आंगन बाड़ी से टीकाकरण का 13.09.2012 प्रमाण दिया गया है।

प्रदीप कठैत
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

नेपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

(शम्भु प्रसाद ममगाईं)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(आलम प्रेम सैनी)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(राहुल कण्डवाल)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(भगवती प्रसाद जगूड़ी)
तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

9	राजेश पुत्र सुखलाल	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	80 वर्ग मी0	बिजली का बिल–2.12.2016 / पानी का बिल–27.02.2014 / हाउस टैक्स–8.06.2018
10	दिवान चन्द्र पुत्र मोहन लाल	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	30 वर्ग मी0	पानी का बिल 12.03.2015 नगर निगम टैक्स 2018 भवन निर्माण का मूल्यांकन 1.1.2014
11	सुभावती पत्नी हरि सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	260 वर्ग मी0	पानी का बिल 2.02.2010–20.07. 2014 / बिजली का बिल 16.06.2014 का है।
12	राम किशोर उर्फ हरि किशोर	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	48 वर्ग मी0	बिजली का बिल 5.07.2015 राम किशोर के नाम से लगाया गया है।,
13	बन्दी पुत्र भूरे	बाडीगार्ड	जाखन	1121	टीन पोश	21 वर्ग मी0	बिजली का बिल–7.7.2015 पानी का बिल–4.9.2023 आधार–1.1. 2013.
14	स्वाति भटट् पत्नी नारायण भटट्	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	72 वर्ग मी0	मेडिकल–23.7.2017 / पालिसी–15. 12.2012 नगर निगम भवन कर–2014 का तथा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
15	राम चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014 का व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
16	नितिन पुत्र सुरेश कुमार	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	36 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 03.03.2016 का है व गैस कनेक्शन 25.05.2013 का है।
17	प्रीति पत्नी शर्मा	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	60 वर्ग मी0	गैस कनेक्शन 20.07.2014, राशन कार्ड 2015, आधार कार्ड 27.11.2014 का है।
18	कृष्णावती पत्नी राज करन	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	48 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014, राशन कार्ड 16.06.2014 का है।
19	जवाहर राम पुत्र दीनदयाल राम	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	108 मी0	वोटर कार्ड 28.12.2015, राशन कार्ड 20.05.2015 का है।
20	मन्चुन पत्नी योगिन्दर	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	77वर्ग मी0	आधार कार्ड 05.01.2015 का है।

(ऋषिपाल सिंह)
ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

(शम्भू नाथ गांगूली)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(आत्मा राम सैनी)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(राहुल कैंथोला)
उप नगर आयुक्त (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(भगवती प्रसाद जगूड़ी)
तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

(66)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या 417/2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का विवरण

क्र0 सं0	अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	अतिक्रमण का प्रकार	अतिक्रमण का वर्ष	अतिक्रमण किस दिनांक को हटाया गया है।
1	3	4	7	8	10
1	रानी पत्नी विजय कुमार	कारी घाट नई बस्ती	टीन पोश	03.09.2010	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
2	नवाब पुत्र शकील	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर टीन पोश	01.10.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
3	राहुल पुत्र विरेन्द्र	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	13.11.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
4	मो0 अनीश/इरशाद पुत्र चमन	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	12.08.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
5	सावित्री पत्नी धिरेन्द रावत	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	2017 से	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
6	अजय कुमार पुत्र प्रवीन सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	11.01.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
7	नासिर पुत्र रमजानी	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	02.01.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
8	चन्द्रपाल पुत्र कचडू	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	20.09.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
9	दिनेश कुमार पुत्र राम सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	03.03.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
10	मोनु कुमार पुत्र नरेश कुमार	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	20.07.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
11	विपिन पुत्र शिवचरण	बाडी गार्ड जाखन	टिन शेड आवास	24.05.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
12	अज्ञात	चन्दर रोड	खाली		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
13	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड	टिन शेड फेमिली रेस्टोरेन्ट	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

प्रदीप फर्त्याल
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

नेपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम

अधिशासी
रविपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
निगम (देहरादून)

(शम्भू नाथ नौटियाल)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

विनोद कुमार नौटियाल
रा० निरीक्षक
भूमि अनुभाग

(स्वयंवर दत्त भट्ट)
स0न0नि0 (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(राहुल कैंथोला)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

14	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड़	खाली भूमि प्लाटिंग किया गया है।	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
15	विरेन्द सिंह पुत्र मुरली सिंह	संजय कालोनी नेमी रोड बस्ती	खाली प्लाट शौचालय बना है।		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
16	महेन्द्र सिंह पुत्र प्यारे लाल	भाग–2 पूरन बस्ती	गौसाला		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
17	खाली प्लाट निगम	भाग–2 पूरन बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
18	खाली प्लाट निगम	संजय कालोनी नेमी रोड बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
19	प्रेमा देवी पत्नी राजेश रावत श्री जगदीश प्रसाद	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
20	दीपक पुत्र ठाकुर सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
21	गुड़्डी देवी पत्नी बिरेन्द्र सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
22	राकेश कोहली पुत्र देवेन्द्र	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
23	उर्मिला कोठारी पुत्र स्व0 भगत राम कोठारी	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
24	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र खुशाल सिह बिष्ट	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
25	वेद भुषण डोन्डियाल पुत्र गोविन्द राम डोन्डियाल	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
26	सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र त्रिलोका सिंह रावत	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

(विनोद कुमार मेवानी)
का. निरीक्षक

(सर्वेक्षा दत्त भट्ट)
रा0उ0नि0 (भूमि)

(राहुल कंथोला)
कर अधिकारी (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

3428

(69)

27	ओम प्रकाश सुन्द्रियाल पुत्र परसादी लाल सुन्द्रियाल	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
28	अरविन्द सिंह रावत पुत्र भगवान सिंह रावत	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
29	अज्ञात	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
30	के०के० बहुखण्डी	चन्दर रोड	दुकान	दुकान	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
31	के०के० बहुखण्डी	चन्दर रोड	खाली प्लाट	खाली प्लाट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
32	माया मोहन पैन्युली पुत्र बृज मोहन पैन्युली	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
33	सुशील तीमान पुत्र मनमोहन लाल तीमान	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
34	राम अवध पुत्र राम नाथ	नई बस्ती बलबीर रोड	आवासीय टीन पोश		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
35	इमरान पुत्र फरजान अली	लोअर राजीव नगर बस्ती	टीन शेड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
36	बृजराज पुत्र बृजभान	लोअर राजीव नगर बस्ती	गौशाला		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
37	सोनू सुन्द्रियाल पुत्र अज्ञात	बलबीर रोड लास्ट	खोका (टीन का)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
38	बिट्टू पंवार पुत्र कुकन सिंह	बलबीर रोड लास्ट	खोका (टीन शेड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
39	असमा परवीन पत्नी मौ० खालिद	भगत सिंह कालोनी	खोका (टीन शेड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

(शम्भू नाथ ...) विनोद कुमार भवानी कर निरीक्षक

(सर्वेश्वर दत्त भट्ट) (राहुल कैंथोला)

नगर निगम, देहरादून

1272

40	राजीव पुत्र श्री धारी राम	नाला पार्क रोड	टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
41	सचिन सोनकर पुत्र अशोक सोनकर	खटिक मोहल्ला	पक्का टीन पोस्ट मकान		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
42	धीरज पुत्र श्री गुलशन कुमार	114 ओल्ड डालनवाला	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बाडा)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
43	कमला देवी	ओल्ड वाल्मिकी बस्ती डालनवाला	पक्का ईट की दीवार टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
44	जयपाल पुत्र फकीरा	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
45	पप्पू पुत्र विठल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
46	कमला पत्नी छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
47	अनिल कुमार पुत्र छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
48	वृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट, बाथरूम		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
49	वृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	नदी पर पक्का फर्श		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
50	रजत पुत्र वेद प्रकाश	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का सुअर बाडा		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
51	जयराम पुत्र बनवारी लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बाड़ा)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम देहरादून)

(...) कर निरीक्षक

(विरेन्द्र ...) ... (भूमि)

(62)

52	राहुल पुत्र लाल चन्द	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
53	नन्द किशोर पुत्र तुलसी महतो	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
54	पंकज पुत्र जिया लाल यादव	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
55	लैला पुत्र सोरा	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
56	सुन्दर राम पुत्र किशोरी राम	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
57	राजेन्द्र सरजू पुत्र बेगन	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी एवं लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
58	सचिन पुत्र श्री रामफल	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
59	रामकिशोर पुत्र राम चरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
60	महेन्द्र पाल पुत्र श्री इयतारी	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
61	मुकेश कुमार पुत्र श्री हरचरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	कच्चा		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
62	टीकमराम पुत्र रामचरण	दीपनगर	टीन शैड	2021	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।

सतिपाल सिंह
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम देहरादून

विनोद कुमार नवानी
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून

63	[illegible] सिंह [illegible]	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 20.06.2024 को हटा दिया गया है।
64	सुरेश कुमार पुत्र [illegible]	दीपनगर	लेण्टर पोश	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।
65	[illegible]	दीपनगर	लेण्टर पोश निर्माणाधीन	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।
66	[illegible] पुत्र [illegible] पाल सिंह	दीपनगर	पक्का लेण्टर	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।
67	[illegible] पुत्र [illegible]	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।
68	सोनू शर्मा पुत्र [illegible]	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।
69	रविकुमार पुत्र [illegible] सिंह	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.06.2024 को हटा दिया गया है।

(राहुल [illegible])
सहायक नगर आयुक्त (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

विनोद कुमार भवानी
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून

([illegible])
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम, देहरादून

([illegible])
[illegible] (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

रविपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक– 158 /एन0जी0टी0–417–2022/2025–26 दिनांक 25, अप्रैल, 2025

सेवा में,

स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक,
ई0एम0सी0,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक– 13/02/2025 एवं 17/03/2025 व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/02/2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हेतु आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या–344/स्टा0ऑफि–मु0स0/2025–ओ0ए0 417/2022 दिनांक 25/03/2025, जो परियोजना निदेशक, एस0पी0एम0जी0–नमामि गंगे, देहरादून को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13/02/2025 एवं 17/03/2025 व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/02/2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी संलग्न सूची के अनुसार रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु एम0डी0डी0ए0 के प्रबन्धन में रिस्पना नदी पर कांठ बंगला, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में शासनादेश संख्या–568/XVIII(II)2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के द्वारा सौंपी गयी सरकारी भूमि पर उल्लिखित कुल 413 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुये प्राधिकरण को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अतिक्रमणकारियों को उनका अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व होने के सम्बन्ध में वैद्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 22/05/2024 को नोटिस प्रेषित किये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नोटिस के प्रतिउत्तर के क्रम में चिन्हित अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसकी जाँचोंपरान्त कुल 413 में से 162 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/साक्ष्यों के आधार पर निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व के पाये गये। शेष 251 अवैध अतिक्रमणकारियों को पुनः दिनांक 19/06/2024 को 03 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने अथवा खाली करने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये, जिनमें से पुनः नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त 120 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व होने के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये तथा शेष 131 अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया गया निर्माण प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त होना पाया गया तथा नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार 25 अतिक्रमणकारी जिनका नाम व पता न पाये जाने के कारण नोटिसों की तामीली नहीं हो पायी और न ही मौके पर तस्दीक हुये। जिसके उपरान्त 106 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से आपसी समन्वय स्थापित करते हुये कांठ बंगला, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल, चिड़ोवाली, कण्डोली, ढाकपट्टी, हैप्पी एन्कलेव में दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त निर्मित 61 अवैध निर्माणों का दिनांक 24/06/2024 से दिनांक 28/06/2024 तक ध्वस्त किया गया तथा ध्वस्तीकरण के दौरान 06 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं से निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवशेष 45 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा मौके पर अभिलेखों के सत्यापन/परीक्षण कार्यवाही जारी है किन्तु निरन्तर वर्षा के कारण उक्त कार्यवाही वर्तमान समय तक पूर्ण नहीं की जा सकी। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त अवशेष 45 अवैध अतिक्रमण/निर्माण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा मौके पर जाँच की गयी, जाँच में उक्त अवशेष 45 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा मौके पर अपना निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होने के सम्बन्ध में बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराये गये,

(क्रमशः 03)

जिनके आधार पर उनका अवैध अतिक्रमण/निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होना पाया गया तथा अवशेष 25 अतिक्रमण जो कि नगर निगम द्वारा प्रेषित संयुक्त टीम की सर्वे में अज्ञात के रूप में उल्लेखित थे, उनकी मौके पर चिन्हिकरण एवं जानकारी नहीं हो सकी।

उक्तानुसार अवशेष 25 अवैध अतिक्रमण/निर्माण के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून द्वारा पूर्व में गठित संयुक्त कमेटी के साथ पुनः मौके पर संयुक्त रूप से प्राधिकरण के कार्मिकों को चिन्हिकरण कराने के सम्बन्ध में समिति को निर्देशित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्रांक–2214/भूमि0/2024 दिनांक 06/08/2024 के माध्यम से उक्त अवशेष 25 अवैध अतिक्रमण/निर्माणों का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु नगर निगम स्तर से पूर्व में गठित टास्क फोर्स को एम0डी0डी0ए0 के साथ मौके पर पता सत्यापन हेतु दिनांक 08/08/2024 को तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 08/08/2024 व दि0 09/08/2024 को काठबंगला, तरला नागल, चॉलग, वीर गब्बर सिंह बस्ती, चिडोवाली व कण्डोली में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम एवं पूर्व में नगर निगम द्वारा गठित टाक्स फोर्स टीम–1 व टीम–2 के साथ समन्वय स्थापित करते हुये पुनः अवशेष 25 प्रकरणों के चिन्हिकरण तथा एन0जी0टी0 के आदेश अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवशेष 25 अवैध अतिक्रमणकारियों में से 20 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होने के सम्बन्ध में बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिनके आधार पर उनका अवैध अतिक्रमण/निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का होना पाया गया है तथा शेष 05 अवैध अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण/निर्माण दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त का पाया गया, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। जिसकी सूचना एवं कृत कार्यवाही का ब्योरा तत्समय ही जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त प्रकरण में एम0डी0डी0ए0 द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील सं0–1440/2025 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10/02/2025 के क्रम में पुनः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 17/03/2025 को पारित आदेश में निर्देशित किया है कि रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरूद्ध संरचना/निर्माण किया गया है, को सम्बंधित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07/10/2016 की धारा–6 की उपधारा 3 के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी समस्त संरचनाओं/निर्माणों को चिन्हित करते हुये तत्काल सम्बन्धित विभाग द्वारा हटाये जाये।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम ढाकपट्टी में काठबंगला पुल के Upstream से लेकर [illegible] मंदिर तक रिस्पना नदी में नदी के दोनों ओर स्थित सरकारी भूमि जलमग्न श्रेणी की भूमि को वर्ष 2016 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु शासन द्वारा एम0डी0डी0ए0 के प्रबंधन में सौंपी गयी है। यहां यह भी उल्लेख करना है कि वर्ष 2016 से पूर्व उक्त रिस्पना नदी में संपूर्ण सरकारी भूमि नगर निगम के अधीन थी और रिस्पना नदी में अधिकांश निर्माण वर्ष 2016 से पूर्व के ही है जो कि वर्तमान समय में भी मौजूद है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 25/07/2023 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नगर निगम, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, पुलिस विभाग, जल संस्थान विभाग, उप जिलाधिकारी (सदर) विभाग द्वारा स्थल की गयी सर्वे के क्रम में सर्वे रिपोर्ट दिनांक 08/05/2024 में 413 अवैध अतिक्रमण एम0डी0डी0ए0 के प्रबंधन वाली भूमि पर पाया जाना उल्लेखित किया गया।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि संयुक्त सर्वे टीम में एम0डी0डी0ए0 की ओर से किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। अब मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर दिनांक 24/06/2024 से दिनांक 29/06/2024 तक 413 चिन्हित परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में

जॉच की गयी तो यह पाया गया कि अधिकांश अवैध निर्माण पूर्व से ही नगर निगम के अधीन रहते भूमि पर हुए है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमण हटाने में प्राधिकरण टीम को अत्यंत जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। चूँकि अतिक्रमण हटाओ अभियान में मोके पर नगर निगम की टीम प्राधिकरण के साथ उपस्थित नहीं रही फिर भी प्राधिकरण द्वारा स्वयं गठित विभागीय टीम द्वारा जॉचोंपरान्त अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर 66 अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त के पाये गये, जिन अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा तत्काल मोके पर ध्वस्त कर दिया गया है। अवशेष 347 अवैध निर्माणकर्ता/अतिक्रमणकार्यो द्वारा अपने निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व के होने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

अतः महोदय से निवेदन करना है कि दिनांक 17/03/2025 के मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु जनाक्रोश को देखते हुए यह उचित होगा कि रिस्पना नदी पर नदी के प्रवाह में वाधा उत्पन्न कर रहे निर्माण/अतिक्रमणों को चिन्हित करने तथा हटाये जाने हेतु नगर निगम, एम०डी०डी०ए० एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम का गठन करते हुए अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने की कार्यवाही की जानी उचित होगी।

अतः नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम देहरादून, को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा एम०डी०डी०ए०, सिंचाई विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन करते हुए मा० न्यायालय एन०जी०टी० के आदेश का अनुपालन पूर्ण किया जा सके।

अतः उक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

(वंशीधर तिवारी)
आई०ए०एस०
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, को इस अनुरोध के साथ की उक्तानुसार मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में रिस्पना नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को चिन्हित करने एवं हटाये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम, एम०डी०डी०ए० एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम का गठन करने का आदेश पारित करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्या[illegible]लिका परिषद, मसूरी।

पत्रांक ....599...... / क0अधी0 / अ0अ[illegible] दिनांक 01-07-24

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
देहरादून।

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 1790, दिनांक 08.05.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिए गए निर्देशों के कम में आपके द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा ग्राम मकडेती में 12 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जिसकी सूची संलग्न कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किय गया था। संलग्न सूची के अनुसार 12 व्यक्तियों को नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा दिनांक 21.05.2024 को नोटिस प्रेषित किए गए। प्रेषित नोटिसों के कम में संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत किए गए। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर स्थल पर सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कुल 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्ति नगरपालिका मसूरी की सीमा में तथा शेष 1 व्यक्ति श्री मुकेश सिंह ग्राम चालंग (नगर निगम देहरादून की सीमा में स्थित) में स्थित पाए गए।

स्थलीय सत्यापन के आधार पर नगरपालिका मसूरी द्वारा दिनांक 28.06.2024 को 11 व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण/अतिकमण में से 9 व्यक्तियों द्वारा किए गए नवीन निर्माण/अतिकमण को हटा दिया गया है, शेष 2 निर्माण मार्च 2016 से पूर्व से निर्मित हैं, जिनका विवरण सूची एवं फोटो प्रति के अनुसार संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :— यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मसूरी।

प्रतिलिपि :—

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रशासक/उप जिलाधिकारी, मसूरी को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मसूरी।

...ष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागजी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपर ...र आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा ग्राम मकडेती के खसरा सं0 72 श्रेणी 6–1 रिस्पना पर कुल 12 चिन्हित अतिक्रमण की सूची के आधार पर नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा कुल 12 व्यक्तियों को नोटिस प्रेषित किए गए। प्रेषित नोटिसों के क्रम में संबंधित द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर दिनांक 28.06.2024 को स्थल पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं0	व्यक्ति का नाम	अतिक्रमित स्थल का क्षेत्र (वर्गमी0)	नोटिस दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	श्री आशीष गोदियाल	550 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
2	श्री मुकेश सिंह	65 वर्गमी0 (टीन पोश दुकान)	21.05.2024	उक्त अतिक्रमण ग्राम चालंग की सीमा में स्थित है जिस पर कार्यवाही नगर निगम देहरादून व पुलिस प्रशासन द्वारा की जानी है।
3	श्री सौरव मक्कर	144 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	श्री सौरभ मक्कर द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
4	श्री मोनू	138 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	श्री मोनू द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
5	श्री आशीष चन्द	225 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
6	श्री अतुल बनोदा	300 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
7	श्रीमती वैभवी	375 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	एक टीन शैड कमरा/अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
8	श्री पवन कुमार	450 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नगरपालिका मसूरी द्वारा वर्ष 2011 में फूड लाईसेन्स निर्गत किया गया है। फूड लाईसेन्स के आधार पर चाय स्नैक्स की दुकान के रुप में स्थित।
9	श्रीमती पुष्पा देवी	65 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	पुष्पा देवी द्वारा किए गए नवीन निर्माण टीन शैड कमरा व गौशाला के अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
10	श्री मनोज	330 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	नवीन रुप से निर्मित आवास/अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
11	श्री अरिवन्द पंवार	78 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	पूर्व से एक कच्चे निवास में निवासरत हैं।
12	श्री अनिल कुमार	352 वर्गमी0 (टीन पोश)	21.05.2024	स्थल पर नवीन रुप से निर्मित गैराज को हटा दिया गया है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, देहरा[redacted]

संख्या– 1079 /अहलमद–2024 दिनांक 02 जून,2024 (जुलाई)

विषय– मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरन्जन बागछी बनाम उत्तराखड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के समबन्ध में

सेवा में,

नगर आयुक्त,
देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1838/भूमि/2024 दिनांक 21.05.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें आपके द्वारा मा0 मा0 राष्टिय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरन्जन बागछी बनाम उत्तराखड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के समबन्ध में मौजा– करनपुर खास में टास्क फोर्स द्वारा उक्त नान जे0ए0 की भूमि पर पाये गये 11 अवैध अतिकमणो के विरूद्व कार्यावाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है। उक्त कम में टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित भूमि के कम में आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित अवैध अतिकमण के कम में उक्त 11 व्यक्तियो को इस कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किये गये जिसके कम में उनके द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

क्र0 सं0	विपक्षी का नाम	खसरा न0 /क्षेत्रफल	स्थलीय स्थिति	विपक्षी द्वारा प्रस्तु अभिलेख/अभियुक्ति
1–	अज्ञात/ नरेश	90मि0 रकबा 54वर्ग मी0	मौके पर भूमि रिक्त है विपक्षी द्वारा टीन पोश चार दिवारी की गयी है।	विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर विपक्षी नरेश के द्वारा स्वम् उक्त टीन पोश अवैध अतिकमण को हटा दिया गया है। स्थलीय फोटोग्राफ स्लग्न है, मौके पर वर्तमान मे कोई अतिकमण नही है।
2–	तमन्ना अली पुत्र नाजिर अली	खसरा न0 90 रकबा 110वर्ग मी0	मौके पर पक्का गोदाम है।	विपक्षी को नोटिस तामिल करवाया गया विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया जा चुका है।
3–	अज्ञात/मधू सूदन	खसरा न0 90 रकबा 120वर्ग मी0	मौके पर विपक्षी द्वारा चार दिवारीकी गयी है।	विपक्षी को नोटिस जारी किये गये जिस पर विपक्षी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया व मौके पर स्वम् अवैध चार दिवारी को ध्वस्त करते हुए अवैध अतिकमण को हटा दिया गया है।
4–	अज्ञात	खसरा न0 90 रकवा 78वर्ग मी0	मौके पर भूमि रिक्त है,तथा चार दिवारी से अतिकमण किया गया है।	विपक्षी का पता होने के कारण अतिकमण वाले स्थल पर नोटिस चस्पा किया किया। विपक्षी द्वारा अपना कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया, उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया जा चुका है।
5–	नितुल कुमार पुत्र हरि सिंह	खसरा न0 90 रकबा 120वर्ग मी0	मौके पर पक्का आवासीय भवन निर्मित है।	विपक्षी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि कि वह सरकारी/राजकीय भूमि पर मकान निर्मित नही तथा उक्त

				मकान व्यक्तिगत भूमि पर निर्मित है, जिस पर राज्य सरकार का हित नही है। तथा उक्त मकान नदी से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। साक्ष्य में बैक पास बुक दिनांक अगस्त 2014 तथा गैस कनेक्शन की रशीद अक्टूबर 2015 तथा आधार कार्ड दिनांक 24.01.2016की प्रति प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट है विपक्षी वर्ष 2016 से पूर्व मौके पर निवासरत है। जिस कारण उक्त अवैध अतिक्रमण पर कार्यावाही किया जाना उचित नही है।
6—	प्रेम सिह पुत्र लाल सिह	खसरा न0 90मि0 रकबा 49वर्ग मी0	मौके पर विपक्षी का पक्का आवासीय भवन है।	विपक्षी के द्वारा जारी नोटिस के कम मे अपना जबाब प्रस्तुत किया गया व उक्त अवैध अतिकमण के समबन्ध में उल्लेख किया गया कि वह सरकारी/राजकीय भूमि पर मकान निर्मित नही तथा उक्त मकान व्यक्तिगत भूमि पर निर्मित है, जिस पर राज्य सरकार का हित नही है। तथा उक्त मकान नदी से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। साक्ष्य में मौके का वर्ष 2009 के बैक पास बुक की प्रति व आधार कार्ड वर्ष 2011 प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर वर्ष 2016 से निवासरत होने की पुष्टि के आधार पर प्रकरण मे कोई कार्यावाही किया जाना उचित नही है।
7—	कृष्णा देवी पत्नी गिरधारी लाल	खसरान0 90 रकवा 40वर्ग मी0	मौके पर कच्चा टीन शैड मकान है।	विपक्षी को जारी नोटिस के कम में उनके द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिकमण की गयी भूमि को हटा दिया गया है, साक्ष्य में मौके की फोटोग्राफ है, इसके अतिरिक्त आवासीय भवन के अतिकमण के समबन्ध में उनके द्वारा वर्ष 1996 का पानी का बिल तथा 1998 का बिजली के बिल की प्रति प्रस्तुत की गयी। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त अवैध अतिकमण जो 40वर्ग मी0 भूमि पर है उक्त को हटा दिया गया है, तथा आवासीय भवन के समबन्ध में वर्ष 2016 से पूर्व के निवास के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जिस कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
8—	रामदीन पुत्र	खसरा न0	कच्चा टीनपोश मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम

	द्वारिका	90मि0 रकबा 80 वर्गमी0		में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया गया है, साक्ष्य में फोटोग्राफ संलग्नक है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
9–	सतीश पुत्र शकुन्तला	खसरा नं0 90मि0 रकबा 120 वर्गमी0	कच्चा मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में वर्ष 2008 का बिज्ली का बिल संलग्न किया गया है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
10–	शीला रानी पत्नी श्री चन्द् किरण	खसरा नं0 90मि0 रकबा 70 वर्गमी0	पक्का मकान	विपक्षी के द्वारा जारी नोटिस के कम मे अपना जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वह नांन जे0ए0 की भूमि पर काबिज है। जो व्यक्तिगत भूमि है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हित/अधिकार निहित नही है, साथ ही उनके द्वारा मौके पर निवास के समबन्ध में माह अप्रैल 2011 का पानी का बिल व दिनांक अक्टूबर 2013 का गैस कनेक्शन का बिल प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी वर्ष 2016 से पूर्व निवासरत है। जिस कारण कार्यवाही किया जाना उचित नही है।
11–	कन्हैया लाल पुत्र रामलखन	खसरा नं0 90मि0 रकबा 66 वर्गमी0	कच्चा मकान	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के कम में विपक्षी के द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया, व उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में वर्ष 2008 का बिजली का बिल संलग्न किया गया है। जिस कारण उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।

अतःप्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या सेवा में प्रेषित है।

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर
देहरादून।

क्रम संख्या– 120 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 10 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 19, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 229/विधायी एवं संसदीय कार्य/26(1)2016

देहरादून, 10 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को दिनांक 05 अगस्त, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के जीवन स्तर के सुधार करने, इन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने, अध्यासित भू–खण्डों के विनियमितिकरण एवं जहां आवश्यक हो, उनका पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन की कार्यवाही किये जाने तथा भविष्य में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 है।

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा राज्य की समस्त नागर निकायों में लागू होगा।

परिभाषा 2. **"बस्ती"** से नागर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जहां अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौमिक अधिकारों के अभाव के कारण जहां स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो तथा जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हों।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 3. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समयग्र प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

नियम बनाने की शक्ति 4. राज्य सरकार मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, मूल्य/शुल्क का निर्धारण तथा भविष्य में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने के लिए संगत विषयों में अपनी अधिकारिता के अधीन नियम बनाने की ऐसी शक्ति ऐसी होगी जैसा विहित की जाय।

निषेध तथा दण्ड 5. राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित मलिन बस्तियों को छोड़कर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् बसने वाली मलिन बस्तियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगी तथा इन बस्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बसने एवं बसाने में सहयोग करने वाले के विरूद्ध इस कृत्य के लिए 06 माह के कारावास का दण्ड का भागीदार होगा तथा अवैध कब्जेधारक से प्रतिदिन रू0 500/– अर्थ दण्ड भी वसूला जायेगा।

यह भी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मलिन बस्तियों में दिनांक 11.

03.2016 के पश्चात् कोई व्यक्ति/परिवार अध्यासन करता है अथवा कराता है और अधिसूचित मलिन बस्तियों में बन्दोबस्त/पुनर्वास/पुनर्व्यस्थापन के पश्चात् अवैध रूप से अध्यासन करता है अथवा कराता है तो उपरोक्तानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

6. इस अधिनियम के, या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया प्रतीत होने वाला कोई कार्य, यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यो के सम्पादन में किया गया हो, उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई सिविल या फौजदारी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

इस अधिनियम के किसी प्रावधानों के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति या अन्य हानि के सम्बंध में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या कोई दूसरी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

The Uttrakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016

[Uttrakhand Act No. 18 Of 2016]

An

Act

for reform, regulations, rehabilitations and resettlement of the Slums in the Urban bodies of the State of Uttarkhand

It is hereby enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of publication in official Gazette and shall be applicable in all the urban local bodies.

Definition

2. **'Slum'** shall mean those areas located within the local body which due to overcrowding, unplanned construction, lack of basic infrastructure and lack of tenurial rights are unfit for human habitation for reasons of health and security and for the above any one or a combination of factors have been notified by the State Government.

Act to have overriding effect

3. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to make rules

4. The State Government have such powers to make rules under his jurisdiction in relevant subject for reform, Regularization, rehabilitations and resettlement of the Slums as may be prescribed.

Prohibition and Punishment

5. Except for the slums notified by the State Government under this Act, any settlement after 11 March, 2016 shall be completely prohibited. Any person directly or indirectly associated with settling or assisting in settling in such slums shall be punished with six months of imprisonment and an amount of Rs 500/- per day shall be recovered from the illegal occupier.

If any person/ family settles or assists in settling any other person/ family in the slums notified by the State Government after 11 March 2016 or if any person/ family settles illegally or assists in settling any other person/family in the slums which have been settled by bandobast / relocated or resettled by the State Government shall

be punishable with the above sentence.

Protection of action taken under this Act

6. No officer or servant of the Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to be done under this Act or under any rues made thereunder, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or the discharge of functions, imposed by or under this Act.

No Suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

क्रम संख्या–113 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2024 ई0

अग्रहायण 12, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 360/XXXVI(3)/2024/44(1)/2024

देहरादून, 03 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 04, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2024)

(भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/प्राधिकरणों पर होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 4 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "06 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "09 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

ले.ज. गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्या– 415 /2025–82688/2025
देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2025

अपर सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया रिस्पना एवं बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुक्रम में सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 10.07.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्र संख्या–821/नागर अनुभाग–एन0जी0टी0/52 दिनांक 18.07.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 18-07-2025
18:12:51

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पत्र संख्या– 415 /82688/2025 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

7200/AS.UD
DS-UD

23/07/25

(कपिल कुमार चौहान)
निजी सचिव अपर सचिव
शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी,
सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 18-07-2025
18:14:07

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।

3448

☎ कार्यालय 0135–2678078
0135–2672404

फैक्स : 0135–2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय 11–मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांकः 821 / नागर अनुभाग – एन० जी० टी० / 52 दिनांकः 18/07/2025

सेवा में,

E-82688
18/7/2025

संयुक्त सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, शहरी विकास विभाग महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2025 को अपराहन 04:00 बजे आयोजित बैठक में सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में रिस्पना में प्रदूषण की रोकथाम के संबन्ध में पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पेयजल विभाग के माध्यम से शहरी विकास विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः प्रकरण पर मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पेयजल विभाग द्वारा शहरी विकास विभाग/निदेशालय को प्रकरण पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0)

पृ0 सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (विधि)/(नागर), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (मु0)

Certificate regarding pollution abatement works in Rispana, Dehradun

INTRODUCTION: - For prevention of the pollution in the Rispana and Bindal River, "Interception and Diversion Works for Rispana and Bindal River" Project sanctioned under the Namami Gange Programme in the year 2020-2021. Under this project it was proposed to send the polluted water of 199 drains falling into Rispana river for treatment into 02 S.T.P.'s (Sewage Treatment Plants) having 20 M.L.D. capacity each existing in Mothorowala after constructing S.P.S. (Sewage Pumping Station) / I & D (Interception and Diversion) Work. It was proposed that the work of Interception and Diversion, for river Bindal at one place will be done, and it will be sent for treatment to 68 M.L.D. S.T.P. At present all the work of the project has been completed.

THE LATEST DETAILS OF WORK FOR PREVENTING THE POLLUTION IN RISPANA RIVER:- Initially in the catchment area of Rispana river, 199 drains were identified which were ultimately discharging into Rispana river. In which 187 drains have been tapped through I&D (Interception & Diversion) work and discharge of these drains is reaching to 2 STPs at Mothorowala. 10 drains have been dried up due to laying of sewer lines in their catchment. 2 drains are carrying clean water, source of which are situated in forest area hence do not require any treatment. In the meantime 9 more drains have been identified in the catchment of Rispana river but they don't carry any discharge due to laying of sewer lines in the catchment of these drains.

Those household whose effluent was being discharged directly into Rispana river have been connected to with the nearby sewer by the Jal Sansthan. The number of such households is 353 and presently no effluents is being discharged into Rispana river.

Also, there were few households who were discharging their effluent into drain/nala from where polluted water was going into Rispana river. However, Jal Sansthan have all such households connected them with nearby sewer and now no polluted water is being discharged into Rispana river. The number of such households is 312.

In view of the above latest details, it is certified that no pollution is generated from the 208 identified domestic drains in Rispana river.

17.07.25

(Er. DK Singh)
Chief General Manager
Uttarakhand Jal Sansthan

17.7.2025

(Ranvir singh Chauhan)
Managing Director
Uttarakhand payjal nigam

er

4 In view of above, State Government is requested to:

a. Submit a detailed report in the matter for examination by the NMCG.

b. Flood Plain Zoning carried out in the stretch along the banks of river Rispana. To be provided by irrigation

c. State Government order / notification, if any defining the protected / regulated zone in the flood plain zoning and criteria adopted for the same, and To be provided by irrigation

d. Any other material state government assumes relevant for the present matter.

An early response, preferably by Friday next, i.e. 02.05.2025 is solicited.

Encl.: As above

(Anup Kumar Srivastava)
Executive Director –Technical

To,

1. The Secretary, Uttarakhand Government, Email: secretaryhealthuk@gmail.com
2. The District Magistrate, Chairperson, District Ganga Committee, Uttarakhand. Email: dm-deh-ua@nic.in

Copy for kind information to:

1. PS to DG, NMCG
2. PS to CS, Uttarakhand, Email: cs-uttaranchal@nic.in

ith OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य सम्बन्धी प्रकरण पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. - श्री आर0 मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. - श्री नितेश कुमार झा, सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. - श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून।
4. - श्री युगल किशोर पंत, सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
5. - श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6. - श्री गौरव कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. - श्रीमती नमामि बंसल, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - श्री विशाल मिश्रा, परियोजना निदेशक, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड।
9. - श्रीमती अपूर्वा पाण्डेय, अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
10. - श्री प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. - श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. - श्री शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. - श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. - श्री संजय सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), पेयजल निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. - श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून।
16. - श्री नितिन वशिष्ठ, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), देहरादून।
17. - श्री डी0के0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
18. - श्री राजीव सैनी, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. - श्री दिनेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
20. - श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तराखण्ड।
21. - श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली (वी0सी0 द्वारा)।
22. - श्रीमती अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वी0सी0 द्वारा)।
23. - श्री अमन रब, विधिक सलाहकार, नगर निगम, देहरादून (वी0सी0 द्वारा)।

अपर सचिव, शहरी विकास द्वारा प्रश्नगत् वाद के सम्बन्ध में तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2022 एवं आदेश दिनांक 17.03.2025 एवं आदेश दिनांक 17.05.2025 के सम्बन्ध

File No. UD2-S/A/2/2025-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 83013)

में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया।

अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा मूल आवेदन में मुख्य रूप से निम्न 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:–

1. - रिस्पना नदी के Flood Plain Zone का सीमांकन,
2. - रिस्पना नदी तट पर स्थित अतिक्रमण का चिन्हीकरण एवं उन्हें हटाया जाना,
3. - रिस्पना नदी में गैर–उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद करना।

प्रकरण के सम्बन्ध में आतिथि तक हुई प्रगति से निम्नवत् अवगत कराया गया:–

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 05.05.2025 को निर्गत की जा चुकी है,
- जिला प्रशासन एवं नगर निगम, देहरादून एवं एम0डी0डी0ए0 के संयुक्त कार्यबल द्वारा रिस्पना नदी किनारे प्राथमिक रूप से कुल 525 अतिक्रमण वर्ष 2024 में चिन्हित किये गये, जिन्हें सम्यक् रूप से नियमानुसार नोटिस निर्गत करते हुए, अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये जाने के उपरान्त, 158 अतिक्रमण जो दिनांक 11 मार्च, 2016 के पश्चात् के थे, को नियमानुसार नगर निगम, देहरादून/एम0डी0डी0ए0/नगरपालिका परिषद, मसूरी एवं राजस्व विभाग द्वारा हटाया गया। अवशेष 367, जिसमें 20 नगर निगम एवं 347 एम0डी0डी0ए0 के स्वामित्व/प्रबन्धन में स्थित भूमि पर हैं तथा उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत् 11 मार्च, 2016 से पूर्व के होने के कारण विधिक् संरक्षण प्राप्त हैं, कि ऐसी संरचनाओं के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 1440/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के क्रम में नेशनल मिशन क्लीन गंगा की समीक्षा के उपरान्त कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
- मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रिस्पना नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 209 नालों में से 177 को बंद किया जा चुका है तथा शेष अन्य नालों से भी रिस्पना में सीवेज का प्रवाह नही हो रहा है।

दिनांक 27.05.2025 को मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:–

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- रिस्पना नदी में गैर–उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद किये जाने के सम्बन्ध में पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का अनुश्रवण एवं प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 18.08.2025 से पूर्व शपथ पत्र स्वयं के स्तर से योजित किया जायेगा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की उपरोक्त तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा जिलाधिकारी, देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून एवं उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे।
- नेशनल मिशन क्लीन गंगा को निर्देशित किया गया कि रिस्पना नदी किनारे के उन समस्त निर्माणों की समीक्षा रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) के द्वितीय परन्तुक में वर्णित शर्तों के आलोक में करते हुए 02 माह के भीतर यथोचित आदेश पारित किये जाये।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशः–

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् सर्व सम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गयी/निर्णय लिया गया।

- मा0 अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय श्री ए0एन0एस0 नादकर्णी को विशेष अधिवक्ता के रूप में आबद्व किये जाने के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त करते हुए तद्विषयक प्रस्ताव श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 01 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिस्पना नदी किनारे स्थित पुनर्वास हेतु चिन्हित मलिन बस्तियों को काठबंगला स्थित नवनिर्मित भवनों में तत्काल पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, एम0डी0डी0ए0 एवं नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये। नगर आयुक्त, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नवनिर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नगर आयुक्त द्वारा अविलम्ब शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाये तथा उक्त प्रस्ताव को मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियोजन विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुनर्वासित किये जाने वाले क्षेत्र को रिक्त करते हुए उक्त स्थल पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की कार्यवाही की जायेगी।
- मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही/प्रगति आख्या मा0 अधिकरण में ससमय प्रस्तुत की जायेगी तथा इसकी एक प्रति शहरी

Department (Computer No. 83013)

Scanned with OKEN S

विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

- रिस्पना नदी में विगत 20 वर्षों में हुए जल प्रवाह का ऑकड़ा उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) में उल्लिखित Active Flood Plain Zone की परिभाषा स्पष्ट किये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जाने वाली सूचना से सम्बन्धित विभागों/जिलाधिकारी, देहरादून को भी अवगत कराया जाये।
- सचिव (नगर विकास) द्वारा ससमय सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों से वांछित सूचना प्राप्त कर मा0 एन0जी0टी0 हेतु मुख्य सचिव की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र तैयार कर व संबंधित AoR/Spl. counsel की राय प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 11-07-2025
17:37:24

(गौरव कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः- 313374/IV(2)–श0वि0–2025
देहरादून : दिनांकः 11 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. - वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास/शहरी विकास/पेयजल/सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. - सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
4. - उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. - जिलाधिकारी, देहरादून।
6. - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7. - नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - गार्ड फाइल

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 11.07.2025
18:02:33

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव

3456

Annexure R

ई–पत्रावली संख्याः 83013
संख्या– 318988, /IV(2)-श0वि0–2025

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
देहरादून।

2. उपाध्यक्ष,
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 11.07.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में निम्नवत् निर्देशित किया गया हैः–

"रिस्पना नदी किनारे स्थित पुनर्वास हेतु चिन्हित मलिन बस्तियों को काठबंगला स्थित नवनिर्मित भवनों में तत्काल पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, एम0डी0डी0ए0 एवं नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उक्त भवनों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन हेतु धनराशि उपलब्धता सम्बन्धी प्रस्ताव नगर आयुक्त द्वारा अविलम्ब शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा उक्त प्रस्ताव को मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियोजन विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी। साथ ही पुनर्वासित किये जाने वाले क्षेत्र को रिक्त करते हुए उक्त स्थल पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की कार्यवाही की जायेगी।"

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 01-08-2025
17:45:50

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 318988, /IV(2)-श0वि0–2025– तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

प्रदीप कुमार शुक्ल
उप सचिव।

Scanned with OKEN

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य सम्बन्धी प्रकरण पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. - श्री आर0 मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. - श्री नितेश कुमार झा, सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. - श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून।
4. - श्री युगल किशोर पंत, सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
5. - श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6. - श्री गौरव कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. - श्रीमती नमामि बंसल, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - श्री विशाल मिश्रा, परियोजना निदेशक, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड।
9. - श्रीमती अपूर्वा पाण्डेय, अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
10. - श्री प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. - श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. - श्री शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. - श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. - श्री संजय सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), पेयजल निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. - श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून।
16. - श्री नितिन वशिष्ठ, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), देहरादून।
17. - श्री डी0के0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
18. - श्री राजीव सैनी, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. - श्री दिनेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
20. - श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तराखण्ड।
21. - श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली (वी0सी0 द्वारा)।
22. - श्रीमती अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वी0सी0 द्वारा)।
23. - श्री अमन रब, विधिक सलाहकार, नगर निगम, देहरादून (वी0सी0 द्वारा)।

अपर सचिव, शहरी विकास द्वारा प्रश्नगत् वाद के सम्बन्ध में तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2022 एवं आदेश दिनांक 17.03.2025 एवं आदेश दिनांक 17.05.2025 के सम्बन्ध

File No. UD2-S/A/2/2025-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 83013)

में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया।

अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा मूल आवेदन में मुख्य रूप से निम्न 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:–

1. - रिस्पना नदी के Flood Plain Zone का सीमांकन,
2. - रिस्पना नदी तट पर स्थित अतिक्रमण का चिन्हिीकरण एवं उन्हें हटाया जाना,
3. - रिस्पना नदी में गैर–उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद करना।

प्रकरण के सम्बन्ध में आतिथि तक हुई प्रगति से निम्नवत् अवगत कराया गया:–

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 05.05.2025 को निर्गत की जा चुकी है,
- जिला प्रशासन एवं नगर निगम, देहरादून एवं एम0डी0डी0ए0 के संयुक्त कार्यबल द्वारा रिस्पना नदी किनारे प्राथमिक रूप से कुल 525 अतिक्रमण वर्ष 2024 में चिन्हित किये गये, जिन्हें सम्यक् रूप से नियमानुसार नोटिस निर्गत करते हुए, अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये जाने के उपरान्त, 158 अतिक्रमण जो दिनांक 11 मार्च, 2016 के पश्चात् के थे, को नियमानुसार नगर निगम, देहरादून/एम0डी0डी0ए0/नगरपालिका परिषद, मसूरी एवं राजस्व विभाग द्वारा हटाया गया। अवशेष 367, जिसमें 20 नगर निगम एवं 347 एम0डी0डी0ए0 के स्वामित्व/प्रबन्धन में स्थित भूमि पर हैं तथा उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत् 11 मार्च, 2016 से पूर्व के होने के कारण विधिक् संरक्षण प्राप्त हैं, कि ऐसी संरचनाओं के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 1440/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के क्रम में नेशनल मिशन क्लीन गंगा की समीक्षा के उपरान्त कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
- मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रिस्पना नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 209 नालों में से 177 को बंद किया जा चुका है तथा शेष अन्य नालों से भी रिस्पना में सीवेज का प्रवाह नही हो रहा है।

दिनांक 27.05.2025 को मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न है:–

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- रिस्पना नदी में गैर–उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद किये जाने के सम्बन्ध में पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।

File No. UD2-5/A/2/2025-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 83013)
Generated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-UrbanDevelopment2-SK, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 11/07/2025 06:10 pm

with OKEN Scanner

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का अनुश्रवण एवं प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 18.08.2025 से पूर्व शपथ पत्र स्वयं के स्तर से योजित किया जायेगा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की उपरोक्त तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा जिलाधिकारी, देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून एवं उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे।
- नेशनल मिशन क्लीन गंगा को निर्देशित किया गया कि रिस्पना नदी किनारे के उन समस्त निर्माणों की समीक्षा रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) के द्वितीय परन्तुक में वर्णित शर्तों के आलोक में करते हुए 02 माह के भीतर यथोचित आदेश पारित कियें जाये।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशः–

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् सर्व सम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गयी/निर्णय लिया गया।

- मा0 अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय श्री ए0एन0एस0 नादकर्णी को विशेष अधिवक्ता के रूप में आबद्व किये जाने के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त करते हुए तद्विषयक प्रस्ताव श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 01 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिस्पना नदी किनारे स्थित पुनर्वास हेतु चिन्हित मलिन बस्तियों को काठबंगला स्थित नवनिर्मित भवनों में तत्काल पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, एम0डी0डी0ए0 एवं नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये। नगर आयुक्त, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नवनिर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नगर आयुक्त द्वारा अविलम्ब शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाये तथा उक्त प्रस्ताव को मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियोजन विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुनर्वासित किये जाने वाले क्षेत्र को रिक्त करते हुए उक्त स्थल पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की कार्यवाही की जायेगी।
- मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही/प्रगति आख्या मा0 अधिकरण में ससमय प्रस्तुत की जायेगी तथा इसकी एक प्रति शहरी

Department (Computer No. 83013)

Scanned with OKEN Scanner

विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

- रिस्पना नदी में विगत 20 वर्षों में हुए जल प्रवाह का ऑकड़ा उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) में उल्लिखित Active Flood Plain Zone की परिभाषा स्पष्ट किये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जाने वाली सूचना से सम्बन्धित विभागों/जिलाधिकारी, देहरादून को भी अवगत कराया जाये।
- सचिव (नगर विकास) द्वारा ससमय सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों से वांछित सूचना प्राप्त कर मा0 एन0जी0टी0 हेतु मुख्य सचिव की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र तैयार कर व संबंधित AoR/Spl. counsel की राय प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 11-07-2025
17:37:24

(गौरव कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 313374/IV(2)–श0वि0–2025
देहरादून : दिनांकः 11 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. - वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास/शहरी विकास/पेयजल/सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. - सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
4. - उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. - जिलाधिकारी, देहरादून।
6. - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7. - नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 11.07.2025
18:02:33

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव

3463
Annexure S

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
ई–पत्रावली संख्या–319112/IV(2)श0वि0–2025
देहरादूनः दिनांक 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

प्रमुख सचिव/सचिव,
वन/आवास/पेयजल/सिंचाई,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2025 को आहूत बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 11.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) में प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– अतः उक्त कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में कार्यवृत्त दिनांक 11.07.2025 में अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए तद्विषयक शपथ पत्र सुनवाई की तिथि से पूर्व मा0 अधिकरण में योजित कराने का कष्ट करें। प्रकरण में सुनवाई की तिथि दिनांक 18.08.2025 नियत है।

संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 01-08-2025 17:47:37
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या–319112/IV(2)-श0वि0–2025, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक, सिंचाई/जल संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

प्रदीप कुमार शुक्ल
उप सचिव।

with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य सम्बन्धी प्रकरण पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. - श्री आर0 मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. - श्री नितेश कुमार झा, सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. - श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून।
4. - श्री युगल किशोर पंत, सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
5. - श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6. - श्री गौरव कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. - श्रीमती नमामि बंसल, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - श्री विशाल मिश्रा, परियोजना निदेशक, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड।
9. - श्रीमती अपूर्वा पाण्डेय, अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
10. - श्री प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. - श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. - श्री शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. - श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. - श्री संजय सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), पेयजल निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. - श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून।
16. - श्री नितिन वशिष्ठ, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), देहरादून।
17. - श्री डी0के0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
18. - श्री राजीव सैनी, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. - श्री दिनेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
20. - श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तराखण्ड।
21. - श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली (वी0सी0 द्वारा)।
22. - श्रीमती अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वी0सी0 द्वारा)।
23. - श्री अमन रब, विधिक सलाहकार, नगर निगम, देहरादून (वी0सी0 द्वारा)।

अपर सचिव, शहरी विकास द्वारा प्रश्नगत् वाद के सम्बन्ध में तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2022 एवं आदेश दिनांक 17.03.2025 एवं आदेश दिनांक 17.05.2025 के सम्बन्ध

में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया।

अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा मूल आवेदन में मुख्य रूप से निम्न 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:-

1. - रिस्पना नदी के Flood Plain Zone का सीमांकन,
2. - रिस्पना नदी तट पर स्थित अतिक्रमण का चिन्हीकरण एवं उन्हें हटाया जाना,
3. - रिस्पना नदी में गैर-उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद करना।

प्रकरण के सम्बन्ध में आतिथि तक हुई प्रगति से निम्नवत् अवगत कराया गया:-

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 05.05.2025 को निर्गत की जा चुकी है,
- जिला प्रशासन एवं नगर निगम, देहरादून एवं एम0डी0डी0ए0 के संयुक्त कार्यबल द्वारा रिस्पना नदी किनारे प्राथमिक रूप से कुल 525 अतिक्रमण वर्ष 2024 में चिन्हित किये गये, जिन्हें सम्यक् रूप से नियमानुसार नोटिस निर्गत करते हुए, अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये जाने के उपरान्त, 158 अतिक्रमण जो दिनांक 11 मार्च, 2016 के पश्चात् के थे, को नियमानुसार नगर निगम, देहरादून/एम0डी0डी0ए0/नगरपालिका परिषद, मसूरी एवं राजस्व विभाग द्वारा हटाया गया। अवशेष 367, जिसमें 20 नगर निगम एवं 347 एम0डी0डी0ए0 के स्वामित्व/प्रबन्धन में स्थित भूमि पर हैं तथा उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत् 11 मार्च, 2016 से पूर्व के होने के कारण विधिक् संरक्षण प्राप्त हैं, कि ऐसी संरचनाओं के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्याः 1440/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के क्रम में नेशनल मिशन क्लीन गंगा की समीक्षा के उपरान्त कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
- मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रिस्पना नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 209 नालों में से 177 को बंद किया जा चुका है तथा शेष अन्य नालों से भी रिस्पना में सीवेज का प्रवाह नही हो रहा है।

दिनांक 27.05.2025 को मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:-

- सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के Flood Plain Zone के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- रिस्पना नदी में गैर-उपचारित सीवरेज के प्रवाह को बंद किये जाने के सम्बन्ध में पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।

File No. UD2-5/A/2/2025-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 83013)

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का अनुश्रवण एवं प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाये।
- मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 18.08.2025 से पूर्व शपथ पत्र स्वयं के स्तर से योजित किया जायेगा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की उपरोक्त तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा जिलाधिकारी, देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून एवं उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे।
- नेशनल मिशन क्लीन गंगा को निर्देशित किया गया कि रिस्पना नदी किनारे के उन समस्त निर्माणों की समीक्षा रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) के द्वितीय परन्तुक में वर्णित शर्तों के आलोक में करते हुए 02 माह के भीतर यथोचित आदेश पारित कियें जाये।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशः–

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् सर्व सम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गयी/निर्णय लिया गया।

- मा0 अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय श्री ए0एन0एस0 नादकर्णी को विशेष अधिवक्ता के रूप में आबद्व किये जाने के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त करते हुए तद्विषयक प्रस्ताव श्रीमती रूचिरा गुप्ता, उपमहाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 01 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिस्पना नदी किनारे स्थित पुनर्वास हेतु चिन्हित मलिन बस्तियों को काठबंगला स्थित नवनिर्मित भवनों में तत्काल पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, एम0डी0डी0ए0 एवं नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये। नगर आयुक्त, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नवनिर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नगर आयुक्त द्वारा अविलम्ब शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाये तथा उक्त प्रस्ताव को मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियोजन विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुनर्वासित किये जाने वाले क्षेत्र को रिक्त करते हुए उक्त स्थल पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की कार्यवाही की जायेगी।
- मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही/प्रगति आख्या मा0 अधिकरण में ससमय प्रस्तुत की जायेगी तथा इसकी एक प्रति शहरी

. Department (Computer No. 83013)

vith OKEN Scanner

विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

- रिस्पना नदी में विगत 20 वर्षों में हुए जल प्रवाह का ऑकड़ा उपलब्ध कराया जायेगा।
- रिवर गंगा (रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एण्ड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, 2016 की धारा 6(3) में उल्लिखित Active Flood Plain Zone की परिभाषा स्पष्ट किये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा महानिदेशक, नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जाने वाली सूचना से सम्बन्धित विभागों/जिलाधिकारी, देहरादून को भी अवगत कराया जाये।
- सचिव (नगर विकास) द्वारा ससमय सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों से वांछित सूचना प्राप्त कर मा0 एन0जी0टी0 हेतु मुख्य सचिव की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र तैयार कर व संबंधित AoR/Spl. counsel की राय प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 11-07-2025
17:37:24

(गौरव कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 313374/IV(2)–श0वि0–2025
देहरादून : दिनांकः 11 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. - वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास/शहरी विकास/पेयजल/सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. - सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
4. - उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. - जिलाधिकारी, देहरादून।
6. - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7. - नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 11-07-2025
18:02:33

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव